खण्ड-127, अंक-4
गुरूवार, 26 अग्रहायण, शक संवत् 1875
(17 दिसम्बर, 1953 ई0)

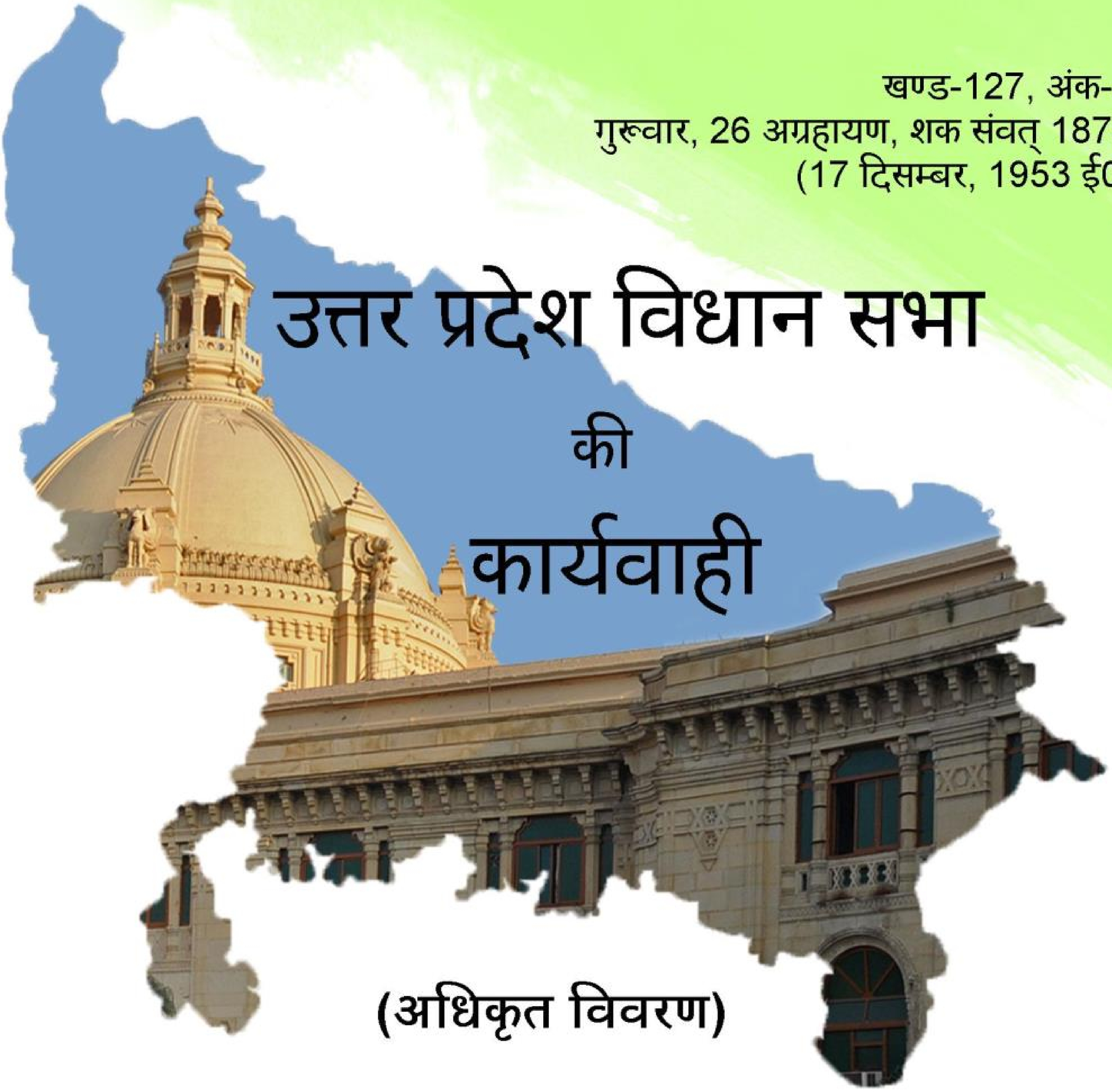

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 127 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ (प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	... ३०९–३१४
उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ (प्रस्ताव पर कि विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय–विचार जारी) ...	... ३१४–३२६
कानपुर स्वदेशी काटन मिल के सम्बन्ध में सरकारी वक्तव्य (अगले दिन के लिये स्थगित किया गया)	... ३२६–३२८
उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ (प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया)	... ३२८–३३०
आगरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ (विचार जारी)	... ३३१–३५८
उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ के सम्बन्ध में सूचनायें	... ३५८–३५९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १७ दिसम्बर, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६२)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृत नाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्ण शरण आर्य श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री

गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकरशुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री

बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (रामपुर)
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
राम प्रसादनौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री

सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

नव निर्वाचित सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

निम्नलिखित सदस्य ने शपथ-ग्रहण की—

१—श्री सहदेव सिंह।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१—२—राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

चीनी मिलों के नल-कूपों से सिंचाई का सुझाव

*३—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को यह आदेश देगी कि वे अपने नलकूपों से मिलों के बन्द हो जाने के बाद नज़दीक के किसानों को पानी दें?

उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री)—सरकार ने अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है।

*४—श्री गेंदा सिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि ऐसी व्यवस्था हो जाने पर मिलों के नज़दीक गर्मी के मौसम में ५०० एकड़ तक फसल को पानी मिल सकता है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—बहुत ही कम मिलों के पास ऐसे नलकूप हैं जिनके द्वारा गर्मी के मौसम में ५०० एकड़ तक फस्ल को पानी मिल सकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (ज़िला देवरिया)—क्या सरकार इस योजना पर विचार कर रही है कि मिलों के द्वारा सिंचाई का काम लिया जाय?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कई चीजें हैं जिनके ऊपर गौर करना पड़ेगा, वह सोचा जा रहा है। मसलन आफ़ सीज़न में बिजली कैसे मिलेगी, फिर उसके लिये जो नहरें बनेंगी उनका ख़र्च क्या होगा, कैसे होगा, इन सब बातों को सोचा जा रहा है।

नोट—तारांकित प्रश्न ३ व ४—श्री जगन्नाथ मल्ल पूछे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को मालूम है कि चीनी मिलों में आफ-सीजन में भी बिजली चलती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—वह बिजली जो है अगर आफ-सीजन में चलती है उसका भी दाम लगेगा ही। वह क्या होगा, कैसे होगा इन सब बातों के ऊपर सोचा जा रहा है।

*५—**श्री गेंदा सिंह** (अनुपस्थित) [२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

सरकार की खादी उपयोग विषयक नीति

*६—**श्री बद्री नारायण मिश्र** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में सरकारी कामों के लिये सरकार ने कितनी खादी खरीदी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में सरकार ने लगभग ७,७५,०४० रुपये की खादी खरीदी।

*७—**श्री बद्री नारायण मिश्र** (अनुपस्थित)—देवरिया जिले में सरकारी कामों के लिये कितनी खादी खरीदी गयी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—देवरिया जिले में वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में सरकारी कामों के लिये लगभग, २,०७३ रुपये की खादी खरीदी गई।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार ने सरकारी कामों के लिये खादी खरीदने की नीति अपना ली है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हाँ, जहाँ तक मुमकिन हो सके।

श्री व्रज विहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय अन्य जिलों के बारे में बतला सकते हैं कि कितनी खादी किस जिले में खरीदी गयी ?

श्री अध्यक्ष—यह आपने प्रश्न पूछा ही नहीं है। देवरिया जिले के बारे में प्रश्न है। उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे सब जिलों की लिस्ट दें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन दिया है कि सरकारी कर्मचारी खादी अनिवार्य रूप से पहनें ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिया गया है कि वे लोग पहनें ही। यह तो उनकी ख्वाहिश के ऊपर है, पहनें तो अच्छा है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो खादी सरकार ने खरीदी है वह किन कामों में लायी गई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफरी—उसमें खादी की बनी हुई चीजें जैसे तौलिया, बेड शीट्स और धोतियाँ हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न ६ व ७—श्री व्रजविहारी मिश्र ने पूछे।

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि खादी ख़रीदने के लिये कौन सा सिद्धांत बनाया गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट नहीं है। आप सोच कर फिर प्रश्न पूछें।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके बतलायेंगे कि अभी जो आप ने फरमाया है कि गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि सब लोग खादी पहनें, उसका इजहार गवर्नमेंट मुलाजिमान ने किस प्रकार किया है ?

श्री अध्यक्ष—यह इससे उत्पन्न नहीं होता।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ये धोतियाँ किस के लिये ख़रीदी गयी हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—धोतियाँ पहनने के लिये ही ख़रीदी जाती हैं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह खादी कहाँ कहाँ से ख़रीदी गई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—खादी गाँधी आश्रम, मेरठ और वोहरी घाट से खरीदी गयी है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह खादी जो ख़रीदी गयी है वह लखनऊ शहर में ख़रीदी गयी है या दूसरे शहरों में भी खरीदी गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसका जवाब दिया जा चुका है कि कहाँ से खरीदी गयी है। लखनऊ शहर का सवाल नहीं है।

श्री केशव गुप्त (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या सरकार इस प्रकार का कोई अधिनियम बनाने का विचार कर रही है कि ५ सौ या ५ सौ स ऊपर वेतन पाने वाले सभी लोग प्रदेश के अन्दर केवल खादी का ही प्रयोग करें और मिल के कपड़े न पहनें ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इस वक्त ऐसा कोई सवाल ज़ेरेग़ौर नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकारी कर्मचारियों में चपरासियों को जो वर्दियाँ दी जाती हैं वे खादी की दी जायंगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह पहले ही बताया जा चुका है कि जहाँ तक मुमकिन होगा खादी का इस्तेमाल होगा।

पुराने नारटाट का निर्यात

*८—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पुराने नारटाट को प्रदेश के बाहर भेजने पर किसी क़िस्म का नियन्त्रण लगाया गया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—नहीं लगाया गया है।

*९—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—यदि हाँ, तो क्या केवल बनारस सिवपुर के किसी एक ही व्यापारी को इसे बाहर भेजने की अनुमति दी गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—प्रश्न नहीं उठता।

*१०—श्री रामस्वरूप—(जिला मिर्जापुर)—[२५ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*११—श्री रामस्वरूप—[१४ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं) [२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३-१५—श्री व्रजभूषण मिश्र—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिए स्थगित किये गये।]

*१६—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[१४ जनवरी, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७-१८—श्री बाबूनन्दन—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

*१९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किय गया।]

*२०—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिल नैनीताल)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिय स्थगित किया गया।]

हाथरस का कुटीर उद्योग ट्यूशनल क्लास

*२१—श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में जो ट्यूशनल क्लास कुटीर उद्योग विभाग की ओर से चलता है उस पर मासिक कितना व्यय होता है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इस क्लास पर लगभग ५०० रुपया मासिक व्यय होता है।

*२२—श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले छः महीनों में उसके शिक्षार्थियों की औसत उपस्थिति क्या रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इस क्लास में जनवरी, १९५३ से जून, १९५३ तक ४ विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति रही।

*२३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार उक्त शिक्षा के उत्थान के लिये बिजली देने के प्रश्न पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—(अ) जी हाँ।

(ब) जितना जल्द सम्भव हो सके।

कुटीर उद्योग की वस्तुओं की बिक्री

*२४—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि प्रदेश के कुटीर उद्योग-धन्धों को जीवित करने के लिये मार्केटिंग (marketing) को विशद्रूप में पुनः संगठित करने की कोई योजना उसके विचाराधीन है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई हुयी चीजों की बिक्री बढ़ाने के लिये राजकीय यू०पी० हेन्डीक्रफटस लगभग ३० वर्षों से प्रयत्न कर रहा है। एक ऐक्सपोर्ट ट्रेड डिवीजन भी खोला गया है जिसके द्वारा विदेशों में माल बेचने का विशेष प्रबन्ध किया जाता है। कुटीर उद्योग की वस्तुओं के स्तर को ऊंचा करने के लिये क्वालिटी मार्किंग योजना भी चालू की गयी है। इसके अतिरिक्त करघे के बने हुये कपड़े की बिक्री बढ़ाने के लिये अखिल भारतीय करघा वस्त्रोत्पादन संघ द्वारा स्वीकृत योजना कार्यान्वित की जा रही है।

समय-समय पर इन योजनाओं में आवश्यकतानुसार सुधार किया जाता है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स से कितना माल विक्रय किया गया और क्या माननीय मंत्री जी उसे संतोषप्रद समझते हैं।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—दस लाख से ऊपर का माल बेचा गया और सन्तोष तो कभी बिक्री से होता नहीं। जितना ज्यादा बेचा जाय उतना ही अच्छा है और उसकी कोशिश भी होनी चाहिये।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि एक्सपोर्ट के लिये जो उन्होंने एक्सपोर्ट ट्रेड डिवीजन खोला है उससे कितना माल एक्सपोर्ट किया गया?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—ढाई लाख से ऊपर पिछले साल में हुआ और इस छः महीने में एक लाख ३५ हजार का बेचा गया है।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या वे केन्द्रीय सरकार से मार्केटिंग के लिये विशेष सहायता प्राप्त करने के लिये कोई उद्योग कर रहे हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स लास में रन कर रहा है।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जहां तक कामर्शल आपरेशन का ताल्लुक है वह लास पर नहीं रन कर रहा है।

श्री श्रीचन्द—(जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हमारे प्रदेश में मैकेनिकल कुटीर उद्योग धंधे कौन कौन से आरम्भ किये गये?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यहां पर हाल में मैकेनिक के सिलसिले में इंजीनियरिंग के बहुत से छोटे छोटे कारखाने खुले हैं।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी उन मैकेनिकल उद्योग धंधों के नाम बताने की कृपा करेंगे।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—मैंने जैसा बतलाया कि उसमें इंजीनियरिंग वर्क्स वही है जैसे इंजन बनता है, एग्रीकल्चरल इम्पीमेन्ट्स बनते हैं या और इसी किस्म की चीजें बनती हैं जिनका कि मशीनियरी में इस्तेमाल होता है। यही सब मैकेनिकल धंधे खुले हैं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट्स में कितना रुपया अबतक इनवेस्ट किया जा चुका है और उससे कितनी आमदनी और मुनाफा हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इस वक्त मेरे पास इसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं। अगर आप चाहेंगे तो बाद में इकट्ठा किये जायंगे।

*२५–२७—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)—[स्थानान्तरित किये गये।]

*२८–२९—श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये।]

दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ और राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में राजकीय चर्म विद्यालयों का आय-व्यय

*३०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ और राबर्ट्स गंज, जिला मिर्जापुर में राजकीय चर्म विद्यालय हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां।

*३१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—यदि हां, तो उनका वार्षिक व्यय और आय अलग-अलग क्या है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—दोहरीघाट विद्यालय का १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ का ब्योरा इस प्रकार है—

	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३
	रु०	रु०	रु०
व्यय	२,५३७	१,१६०	१,४३३
आय	५०	१११	५३

राबर्ट्सगंज विद्यालय का १९५०–५१, १९५१–५२ और १९५२–५३ का व्यय और आय का ब्योरा इस प्रकार है—

	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३
	रु०	रु०	रु०
व्यय	५,१४९	४,८९३	७,१९१
आय	२,२६०	१,२८९	१,५६७

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री जी कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में और राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में सन् १९५१–५२ में सहायता कम करने के क्या कारण हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह जो खर्चा दिखलाया गया है यह आर्डर के ऊपर मुनहसर है। राबर्ट्सगंज में ज्यादा आर्डर पहुंचे, इसलिये वहां उसके कार्मशियल आपरेशन में ज्यादा खर्चा हो गया और इसीलिये आमदनी भी ज्यादा है। दोहरी घाट में कम आर्डर आये, इसलिये कम आमदनी दिखलायी गयी। लेकिन अगर कार्मशियल आपरेशन का एफेक्टिव खर्चा निकाल दिया जाय तो कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। वैसे तो वहां जो स्कूल चलते हैं उनमें खर्चा बराबर होता ही है लेकिन कार्मशियल आपरेशन के आर्डर आने पर खर्चा कम और ज्यादा होता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या यह सही है कि दोहरीघाट में दो वर्षों से काम बिल्कुल बन्द है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--काम बिल्कुल बन्द तो नहीं है। इसमें १९५२-५३ के आंकड़े भी मौजूद हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या उद्योग मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट विद्यालय में सम्प्रति कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--वहां पर इस वक्त जो सिखाने वाले हैं उनकी तादाद इस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन सन् १९५२--५३ में जो वहां खर्चा हुआ है वह ८१५ रुपया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१-५२ में दोनों चर्म विद्यालयों में वार्षिक आय कम क्यों हुयी और ५२-५३ में क्यों बढ़ गयी ।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--वह तो मैंने पहले कहा कि वार्षिक आय जो बढ़ी है वह आर्डर के ऊपर है। दोहरी घाट का विद्यालय चूंकि सेल्फ सफीशेन्सी के बेसिस पर चलता है लिहाजा वहां बाहर के आर्डर लिये गये और राबर्ट्सगंज में आर्डर ज्यादा आगये, इसलिये वहां बढ़ गई ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राबर्ट्सगंज चर्म विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--१९५२-५३ में वहां ९ थे।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या यह बतलाने की कृपा की जायगी कि वहां कितने रुपये का काम तैयार हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--कितने रुपये का काम तैयार हुआ यह तो इसमें है कि १९५२--५३ में ७,१९१ रुपया लगा और १,५३७ रुपये की आय हुयी।

श्री राम स्वरूप--क्या यह सही है कि राबर्ट्सगंज चर्म विद्यालय के शिक्षार्थियों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी हां, वहां पर कोई वजीफा नहीं दिया जाता है बल्कि जो वह काम करते हैं उसकी उनको मजदूरी दी जाती है।

श्री राम स्वरूप--पिछले वर्ष उनको दी गयी थी लेकिन इस वर्ष नहीं दी गयी ।

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जी हां, उनको मजदूरी दी जाती है, कोई वजीफा नहीं दिया जाता ।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां के कर्मचारियों को मजदूरी किस हिसाब से दी जाती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--मैंने जो मजदूरी की बात कही तो कर्मचारियों के लिये नहीं, बल्कि जो लोग वहां काम करते हैं उनको पहले वजीफा दिया जाता है फिर वह जैसा काम सीख जाते हैं उस हिसाब से उनको मजदूरी दी जाती है।

*३२-३३—श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—[१४ जनवरी, १९५४ के लिए स्थगित किये गये।]

*३४—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिए स्थगित किया गया।]

विलीन रामपुर राज्य के राजकीय मुद्रणालय का उपयोग

*३५—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विलीन रामपुर राज्य के राजकीय मुद्रणालय का सरकार ने किस रूप में उपयोग करना निश्चय किया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है।

*३६—श्री कृष्णशरण आर्य (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि इस मुद्रणालय का भवन माल विभाग को स्थानान्तरित हो चुका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी हां।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि कब तक यह प्रश्न विचाराधीन रहेगा ?

श्री महम्मद रऊफ़ जाफ़री—जल्द से जल्द, जितना मुमकिन होगा। इसका फैसला हो जायगा।

*३७—श्री झींगरखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[२२ दिसम्बर, १९५३ ई० के लिए प्र० सं० २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३८—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिए स्थगित किया गया।]

*३९—श्री राम भजन (जिला खीरी)—[१४ जनवरी, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

राबर्ट्सगंज सीमेंट फैक्टरी पर अनुमान से अधिक व्यय

*४०—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या उद्योग मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि राबर्ट्स गंज सीमेंट फैक्टरी का प्रारम्भिक तथा वर्तमान तखमीना क्या है ? और इसमें वृद्धि किन-किन मदों के कारण हुयी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्टरी राबर्ट्स गंज का प्रारम्भिक तखमीना लगभग तीन करोड़ रुपये का था। वर्तमान तखमीना चार करोड़ पैंतालिस लाख रुपये का है। प्रारंभिक तखमीने में वृद्धि निम्नलिखित कारणों से हुयी है :—

(१) प्रारंभिक तखमीना सन् १९४९-५० में बनाया गया था। उस समय से अब तक वस्तुओं के मूल्य तथा मजदूरी की दर में काफी वृद्धि हुयी है।

(२) प्रारंभिक तखमीने में इमारतों का तथा कुछ अन्य मदों का तखमीना कम था।

नोट—तारांकित प्रश्न ३५—३६—श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री ने पूछे।

(३) सन् १९५१ ई० में योजना के परामर्शदाता की मृत्यु हो गयी। वे योजना से सम्बन्धित नक्शे भी बनाते थे । नये परामर्शदाता की नियुक्ति तथा नक्शों की नई व्यवस्था करने में अतिरिक्त व्यय करना पड़ा और इस कारण योजना में देरी होने से भी establishment वगैरह में कुछ अधिक व्यय हुआ ।

(४) वर्तमान तखमीने में कुछ नये काम शामिल हैं, जिनको प्रारंभिक तखमीना बनाते समय करने का इरादा नहीं था ।

*४१—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त फैक्ट्री में सीमेंट कब तक तैयार होना प्रारम्भ हो सकेगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—आशा की जाती है कि जून-जुलाई, १९५४ से सीमेंट बनना प्रारंभ हो जायगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रकम किन-किन मदों में और कितनी-कितनी खर्च हुयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह जो मदों में खर्चा पड़ा वह इस प्रकार है—

प्लान्ट और मशीनियरी में १ करोड़ ५२ लाख रखा गया उसमें १ करोड़ ६० लाख रुपया खर्च हुआ । स्पेअर पार्ट्स वगैरह के लिये ७ लाख रखा गया था, जिसमें १२ लाख खर्च हुआ । रोप वे के लिये १० लाख रखा गया था जिसमें २० लाख खर्चा हुआ । इरेक्शन आफ मशीनरी में १५ लाख रखा गया था लेकिन २५ लाख खर्च हुआ । फ्रेट और इन्श्योरेंस में २० लाख रखा गया था लेकिन ३१ लाख खर्च हुआ । वाटर सप्लाई में ७ लाख रखा गया था लेकिन १३ लाख खर्च हुआ । इसके अलावा जो कम तखमीना किया गया था वह यह है कि रेलवे साईडिंग में ३ लाख रखा गया था यह कम था ५ लाख होना चाहिये था । इसी सूरत से इस्टेब्लिशमेंट में ३ लाख रखा गया था लेकिन वह ९ लाख होना चाहिये था, बिल्डिंग में ६० लाख रखा गया था लेकिन अब जब नयी बिल्डिंग तैयार की गयी है उसकी वजह से एक करोड़ २ लाख रुपया खर्च हुआ है । सड़कों के लिये ५ लाख रखा गया था लेकिन ९ लाख खर्च हुआ क्योंकि साढ़े तीन लाख में बाहर की भी सड़क बनी । सेवेज और ड्रेनेज में ५० हजार रुपया रखा गया था लेकिन ४ लाख खर्च हुआ । जो नया खर्चा पड़ा उसमें नये कंसल्टेन्ट के मुकर्रर करने में ३ लाख ६ हजार रुपया और सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स का जो नया खर्चा हुआ है उसमें २ लाख रुपया खर्च हुआ है । इलेक्ट्रिफिकेशन में ४ लाख खर्च हुआ । पहले क्वेरी मैनुअल लेबर से होने वाला था उसमें पारशल मैकैनाइजेशन हुआ उसकी वजह से १९ लाख खर्च हुआ । वर्कशाप में १५ हजार और डिस्पेंसरी में २० हजार रुपया खर्च हुआ । इस तरह से यह सब खर्चे बढ़ गये हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—प्रश्न संख्या ४० के उत्तर नम्बर ३ में यह लिखा है कि योजना के परामर्शदाता की मृत्यु हो गयी, जिसके कारण फिर दूसरे योजना परामर्शदाता की नियुक्ति की गयी, तो क्या पहले परामर्शदाता ने मरने से पहले पूरी योजना बनायी थी या नहीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—उन्होंने एक साइट चुनी थी, कुछ और काम किया था और हमारा उनका कान्ट्रेक्ट यह था कि उनको हम माहवार कुछ रुपया दिया करते थे। इस तरह उनको ३३ इंसटालमेंट्स दिये गये। उसके बाद वह मर गये और वह सब रुपया जाया गया ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि जो हमारे पहले कंसलटेन्ट थे शेरियर साहब, उनको दो लाख रुपया सालाना दिया जाता था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी नहीं, कुल उस हिसाब से उनको देना था और बाद में ३ लाख ६ हजार रुपया कुल दिया गया था ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि जितने साल वह रहे उन्होंन कोई भी नक्शा तैयार नहीं किया और एक दिन सीढ़ी से गिर कर वह मर गये ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह सही नहीं है कि उन्होंने कोई भी नक्शा नहीं तैयार किया । उन्होंने कुछ काम किया था ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतायेगी कि जो तखमीना उन्होंने बताया है उसके ऐतबार से हर मद में खर्च ज्यादा हुआ ? तो यह गलत तखमीना देने का और खर्च ज्यादा करने का कौन जिम्मेदार है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जैसा कि जवाब में कहा गया है, बहुत सा खर्च तो इस वजह से बढ़ा कि चीजों के दाम में फर्क हो गया। सन् ४९ में योजना बनी थी और वह ५२—५३ तक चल रही है। तो इस वजह से इस बीच में बहुत सी चीजों के दाम बढ़ गये। दूसरे यह बात भी हुई जैसा कि मैंने क्वेरी का बतलाया। उस वक्त यह था कि हाथ से सामान निकाला जायगा, अब उसका मैकेनाइजेशन किया। यह नया काम हुआ। तो इन सब वजहों से तखमीना बढ़ गया। इसकी किसी एक आदमी पर जिम्मेदारी नहीं है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री—क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके उनके नाम बतायेगी जिन लोगों ने यह तखमीना बनाया था ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—उन सब के नाम तो बता नहीं सकता लेकिन पहले जो हमारे कंसल्टेन्ट थे वे शेरियर थे और बाद में श्री थूली से राय ली गयी थी ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि शेरियर साहब की राय के मुताबिक ही मुज़फ़्फ़रनगर की फैक्टरी बनी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जैसा कि पहले बताया जा चुका है, उसमें बहुत कुछ अदला-बदली हुयी ।

राजा वीरेन्द्र शाह—अभी मंत्री जी ने यह बताया कि जून, जुलाई, १९५४ में यह फैक्टरी चलेगी तो क्या मंत्री जी यह बता सकते हैं कि अब तक फैक्टरी में कितना काम तैयार हो चुका है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—बहुत ज्यादा काम हो चुका है। सिर्फ कुछ मशीनरी, वाटर वर्क्स और सिविल इंजीनियरिंग का काम बाकी रह गया है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रेज़ीडेंशियल क्वार्टर्स में कितनी सीमेंट लगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

*४२—श्री नारायण दत्त तिवारी—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिए स्थगित किया गया ।]

बस्ती में चर्म-उद्योग केंद्र

*४३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती में जो तीसी रेशा उत्पादन केन्द्र आग लगने से जल गया था और बाद को बन्द कर दिया गया, उस स्थान पर क्या कोई दूसरा कुटीर उद्योग केन्द्र खोलने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—बस्ती की रेशा योजना को बन्द कर देने के बाद वहां पर एक रेशे का शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र खोला गया । परन्तु इसको भी सफलता प्राप्त न होने के कारण बन्द कर दिया गया । इस समय इस स्थान पर एक चर्म कला उद्योग शिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र चल रहा है ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसमें कितने शिक्षार्थी शिक्षा पा रहे हैं और वहां कितने मास्टर्स हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह शिक्षालय स्थायी है या अस्थायी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह इस पर मुनहसर है कि वहां के लोग इसमें कितनी दिलचस्पी लेते हैं । अगर वहां और विद्यार्थी मिलते रहे तो वह चलता ही रहेगा ।

*४४–४६—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—[२४ दिसम्बर, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[१४ जनवरी, १९५४ के लिय स्थगित किया गया ।]

रतनपुरा, जिला बलिया में सहकारी बीज गोदाम को अति वृष्टि से क्षति

२—श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या सरकार को विदित है कि जिला बलिया के अन्तर्गत रतनपुरा सरकारी बीज गोदाम अतिवृष्टि के कारण गिर पड़ा है ?

सहकारिता उप-मंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—जी नहीं । यहां एक सहकारी बीज गोदाम है जो अति वृष्टि के कारण गिर पड़ा ।

३—श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि इस बीज गोदाम में सरकारी बीज, खाद आदि वस्तुयें रखी गई थीं ? यदि हां, तो कीमत में कितने की क्षति हुयी ?

श्री मंगला प्रसाद—इसमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट रतनपुरा का जिपसम रखा हुआ था और सहकारी यूनियन रतनपुरा का अमोनियम सल्फेट, सीमेंट और अमोनियम फास्फेट रक्खा हुआ था । कुल क्षति २,८५६ रुपये १० आ० ९ पा० की हुयी थी ।

इलाहाबाद म्युनिसिपिल बोर्ड द्वारा टोल टैक्स लगाये जाने के तथा कानपुर में श्री राजाराम शास्त्री तथा अन्य लोगों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास दो काम रोको प्रस्ताव आये हैं। एक तो श्री कल्याणचन्द मोहले साहब का है और वह इस कारण है कि इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी द्वारा टोल टैक्स लगाये जाने का इरादा उनको मालूम होता है । ऐसी उनको शंका है । उसी के आधार पर विचार करने के लिए यह काम रोको प्रस्ताव रखा गया है। चूंकि वह निश्चित नहीं है इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

दूसरा, कानपुर लक्ष्मीरतन काटन मिल्स के फाटक के ऊपर श्री राजाराम शास्त्री और कुछ अन्य सज्जनों की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके सम्बन्ध में है और श्री मदनमोहन उपाध्याय जी ने दिया है। यह महत्व का भी हो सकता है निश्चित भी हो सकता है और आवश्यक भी हो सकता है, लेकिन आज ही चूंकि गवर्नमेंट ने यह वादा किया है कि वह कानपुर के एक मिल के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देगी किसी समय में, तो उसके पहले मैं समझता हूं कि उसके ऊपर मैं निर्णय न दूं। मैं यह जरूर गवर्नमेंट से आशा करूंगा कि अपने वक्तव्य में केवल उसी मिल की जिस की चर्चा कल थी, उसी के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण न दे बल्कि उसी के साथ-साथ इस पूरे प्रश्न के ऊपर अगर थोड़ा वक्तव्य दे दे तो कल जिस वक्त मैं इस कामरोको प्रस्ताव के ऊपर विचार करूंगा और निर्णय दूंगा उस वक्त मुझे यह स्पष्ट हो जायगा कि इसके लिए इजाजत देना उचित है या नहीं। मैं इसे केवल कल के लिए स्थगित करता हूं।

१९५३–५४ के अनुपूरक प्राक्कलन एवं उत्तर प्रदेश विनियोग अनुपूरक विधेयक, १९५३ के कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के वास्ते १९५३–५४ के अनुपूरक प्राक्कलन के प्रस्थापन के लिए २१ दिसम्बर, १९५३ की तिथि नियुक्त की है। मैंने इस पर वाद-विवाद तथा मतदान के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किया है :—

सामान्य वादविवाद	..	..	२३ दिसम्बर, १९५३
मतदान	..	..	२४ दिसम्बर, १९५३

इसके अतिरिक्त २४ दिसम्बर, १९५३ को अनुपूरक प्राक्कलन पर मतदान समाप्त हो जाने के उपरान्त उनसे सम्बन्धित उत्तर प्रदेश विनियोग अनुपूरक विधेयक, १९५३ के पुरःस्थापन, विचार तथा पारण की मदें भी ली जायंगी।

कार्यक्रम में परिवर्तन करने पर आपत्ति

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—कार्यक्रम के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह जो दो विधेयक राजस्व मन्त्री की तरफ से प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिये आये हैं वह पहले दिन भी जब असेम्बली बैठी थी, वह उस दिन चढ़े थे और कल भी वह विधेयक रखे गये थे। इसके पहले हम को कोई सूचना नहीं मिली। कल मालूम हुआ कि यह विधेयक विवाद के लिए आ रहे हैं। तो इस सम्बन्ध में हमारी कठिनाई यह है कि सरकार का यह फर्ज है कि सप्ताह के पहले दिन पूरे हफ्ते का कार्यक्रम बतावे। सरकार ने जो एजेन्डा रखा था, उससे सम्बन्धित चेंज की बात नहीं कही, तो हमने यह समझा कि वही कार्यक्रम विधेयकों का होगा। यह सही है कि ३ दिन पहले हम को तैयार रहना चाहिए, लेकिन यह थ्योरेटिकल तो ठीक हो सकता है, लेकिन एक दिन या आधे दिन का नोटिस देकर विधेयक पास किया जाय, इसमें कठिनाई है। आपसे निवेदन है कि भविष्य में हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए आप सरकार को हिदायत दें कि कोई कार्यक्रम अगर परिवर्तित करना हो, तो उसके २, ३ दिन पहले हमको बता दिया करें।

श्री अध्यक्ष—जहाँ तक हाउस के सामने राजस्व मन्त्री जी के विधेयकों का सम्बन्ध है, यह प्रश्न कल भी सामने आया था, तो कल मैंने सदन की अनुमति से आज का दिन मुकर्रर किया था। सदन को पूरा अधिकार है कि चाहे वह किसी प्रश्न को ले या समाप्त कर दे। इस पूरे सदन को अगर आक्षेप होता तो मैं उस पर विचार करता। आम तौर पर ऐतराज नहीं हुआ, लेकिन जो बात कल कही गयी, उसको मैंने मंजूर किया और फिर उसको आज के लिए रख दिया। किसी को ऐतराज नहीं हुआ और यह आक्षेप इनके लिए लागू नहीं होता। आगे के लिए जो सुझाव है, मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि कुछ अधिक समय दिया जाय। लेकिन ऐसा भी करना आवश्यक होता है जब कि यह सदन यह समझे कि शीघ्र ही यह काम किया जाय। चाहे सरकार उसको चाहे या न चाहे। सदन को यह पूरा अधिकार रहेगा कि वह थोड़े समय में भी किसी विषय पर विचार करने के लिए ले लेवे लेकिन साधारण रीति से यह आवश्यक होना चाहिए कि समय इस से अधिक मिले, जब कि कोई परिवर्तन किया जाय। सप्ताह के प्रारम्भ में, जो कार्य-क्रम सप्ताह के लिए निश्चित हो, उसके लिए सरकार की तरफ से घोषणा हो जाय, तो यह उचित होगा।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—श्री अध्यक्ष महोदय, पेशतर इसके कि मैं अपना प्रस्ताव पेश करूं १, २ शब्द आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं। जो आपत्ति हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने उठायी है, उसके विषय में कल तय हो चुका था। आपकी आज्ञा भी मुझे शिरोधार्य है, लेकिन एक बात विचार करने की है, और वह यह है कि यह दोनों विधेयक जो आज एजेन्डा पर चढ़े हुए हैं, वह कल विचार करने के लिए चढ़े हुए थे। परन्तु अब बजाय विचार करने के प्रवर समिति के लिए गवर्नमेंट की तरफ से यह प्रस्ताव आया है। तो प्रवर समिति के लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। अगर सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव होता कि अभी इस पर विचार कर लिया जाय तो बेशक मैं यह समझता कि त्रिपाठी जी का जो ऐतराज है, उसमें वजन है लेकिन बजाय विचार करने के, वह तो इसलिए चढ़ा हुआ है कि उसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। प्रवर समिति के स्टेज पर तो सिद्धान्त पर ही बहस हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। प्रवर समिति में भेजने के पहले सिद्धान्त पर विचार किया जायगा। इसलिए यह हो सकता है कि कई सिद्धान्त के विषयों पर विचार न हो सके। सब दलों में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पूरे प्रश्न पर विचार न कर सकें और उनके लिए कुछ कठिनाई हो सकती है। और यह उचित भी है इसलिए आइन्दा के लिए जब कभी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाय तो उसके लिए उचित है कि सदस्यों को पूर्व सूचना द्वारा कुछ अधिक समय दिया जाय।

* उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

मैं प्रवर समिति के नाम भी आप की इजाजत से पढ़कर सुनाये देता हूं—

सर्वश्री—

१—उम्मेद सिंह	६—मलखान सिंह
२—भृगुनाथ चतुर्वेदी	७—अवधेश प्रताप सिंह
३—कमला सिंह	८—मदनमोहन उपाध्याय
४—शिवनाथ काटजू	९—बलवंत सिंह
५—महावीर प्रसाद श्रीवास्तव	१०—रामलखन मिश्र

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री चरण सिंह]

११—वसी नकवी
१२—रामस्वरूप गुप्त
१३—राधामोहन सिंह
१४—पुत्तू लाल
१५—नवल किशोर
१६—भगवान सहाय
१७—अब्दुल रऊफ़ खां
१८—राधाकृष्ण अग्रवाल
१९—रामलखन
२०—द्वारका प्रसाद मौर्य ।

मैं यह लिस्ट आप के पास भिजवाये देता हूं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह जो प्रवर समिति के नाम पढ़े गये हैं, उनके बारे में कोई परामर्श हम लोगों से नहीं लिया गया जैसा कि हमेशा होता है ।

श्री अध्यक्ष—परामर्श भी हो जाय, तब भी सदन को अधिकार है और वह नामों में परिवर्तन कर सकता है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम इस में रखा गया है । मैं तो इस विषय में कुछ नहीं जानता हूं । इसलिए इसमें से मेरा नाम हटा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—तो आप और किसी का नाम रखना चाहते हैं, कोई सुझाव है ?

श्री चरण सिंह—अपने स्थान पर श्री मदन मोहन जी, जिसका नाम रखना चाहें वह मुझे मंजूर होगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—श्री गेंदा सिंह का नाम रख लिया जाय ।

श्री चरण सिंह—मुझे कोई एतराज नहीं है ।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—प्रवर समिति के नामों के बारे में श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, तरीका यह रहा है कि गवर्नमेंट अपोजीशन पार्टियों से पूछ लेती है कि वह किस के नाम रखना चाहते हैं, दूसरे एजेंडा में भी लिखा है कि नाम बाद में दे दिये जायेंगे । इसलिए अगर सरकार बाद ही में नाम दे तो ठीक होगा ।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, श्री वीरेन्द्र शाह जी अपनी पार्टी की ओर से जो नाम चाहें, वह रख लें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है ।

राजा वीरेन्द्र शाह—श्रीमन्, मेरा मतलब यह है कि जब तक पार्टी तय न कर ले कि उस के कौन सदस्य कमेटी में जाना चाहते हैं, तब तक हम कैसे किसी का नाम इस समय दे सकते हैं ? इसलिए नामों का मामला बाद में ही तय हो तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि अब प्रस्ताव सामने आ चुका है, और इसके अलावा सदस्यों को अधिकार है कि जो नाम चाहें वापस ले लें और जो जोड़ना चाहें वह जोड़ने का प्रस्ताव करें ।

राजा वीरेन्द्र शाह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री उम्मेद सिंह का नाम भी इसमें जोड़ दिया जाय ।

श्री चरण सिंह—श्री उम्मेद सिंह का नाम तो लिस्ट में सबसे पहले है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसमें श्री मलखान सिंह का नाम जोड़ दिया जाय ।

श्री चरण सिंह—उनका नाम भी इस में पहले से मौजूद है।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, नामों के विषय में काफ़ी आपत्ति हो रही है, ऐसा मालूम होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसके बारे में फिर से प्रस्ताव रख सकते हैं जब कि यह तय कर लिया जाय कि कौन कौन से नाम रखे जायेंगे। तब तक इसके आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स के बारे में सामान्य वाद-विवाद हो जाय, क्योंकि प्रवर समिति से लौटने के बाद फिर आपत्ति होगी कि इस पर ज्यादा बहस अब नहीं हो सकती है। इसलिए श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी कुछ इसके उद्देश्य और कारण पर तब तक प्रकाश डालें, और जरा देर हम उसको सोच लें, उसके बाद नाम रख देंगे।

श्री अध्यक्ष—सामान्य वाद-विवाद के लिए तो रखा ही गया है। आप सामान्य वाद-विवाद शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप तो उसके लिए खड़े ही नहीं होते हैं।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी शुरू करें और कुछ इसके कारण और उद्देश्य पर प्रकाश डालें, उसके बाद फिर हम भी निवेदन करेंगे।

श्री अध्यक्ष—अच्छा आप बैठिये। नाम के बारे में आपका ख्याल है कि उसमें आपत्ति है। मैं नाम आप को सुना दूं। आपने सुना नहीं है इसलिए मालूम हो रहा है कि सबके नाम नहीं रखे गये हैं लेकिन ऐसी कोई आपत्ति की बात नहीं है। अब जहां तक इसके सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, मैं उसके लिए आपको समय देता हूं। माननीय मन्त्री जी को तो मैं बाध्य नहीं कर सकता कि वह बोलें, लेकिन यदि वह बोलना चाहें, तो स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

श्री चरण सिंह—मैं केवल दो मिनट चाहता हूं। एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ में स्टैचयूट बुक का एक अंग बना था। उसका उद्देश्य यह था कि जो इकानोमिक डेप्रिशियेशन सारी दुनिया भर में छा गया था और जिसका असर हमारे देश पर भी हुआ था, उसके फल-स्वरूप कर्जे का बोझ किसानों पर, जमींदारों पर और और भी पेशे करने वाले जो लोग थे और ऋणी थे, उन पर बढ़ गया क्योंकि चीजों के भाव बहुत कम हो गये। जायदाद की भी कीमत गिरने लगी। तो इस उद्देश्य से सन् ३३–३४ और ३५ में दूसरे मुल्कों और हमारे मुल्क के और सूबों में भी सूद कम करने के अधिनियम या और दूसरी तजवीजें सोची गयीं मकरूज या ऋणी को राहत और आराम पहुंचाने की। तो इस तरह के हमारे यहाँ गालिबन तीन ऐक्ट्स बने हैं, एक तो ऐग्रिकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट, एक एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट और एक डेट रिड-म्यूशन ऐक्ट और एक दो और शायद छोटे मोटे ऐक्ट्स बने हैं। तो इस एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट का विशेष उद्देश्य यह था कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनकी जायदाद सारी नीलाम न हो जाय और उनके कर्जे का बोझ कम हो। इस ऐक्ट के मातहत कोई डेढ़ हजार के करीब मुकदमे जेरे तजवीज हैं। वह तय नहीं हो पाये हैं। गवर्नमेंट ने कई साल से उनको रोका भी हुआ है, स्टे आर्डर जारी हुए हैं। इसलिए भी वह तय नहीं हो पाये हैं। जमींदारी खत्म हो चुकी है, तो जो स्कीम इस ऐक्ट की है, उस स्कीम में अब संशोधन करना आवश्यक है, क्योंकि किसी जमींदारी के महफूज रखने का या बचाने का कोई सवाल अब है नहीं। एक तो यह कारण है कि यह बिल लाना पड़ा और दूसरा यह कि डेट रिडम्यूशन ऐक्ट जमींदारों के कर्जे को कम करने के उद्देश्य को यह हमारे यहाँ का विधान मण्डल कुछ महीने हुए स्वीकार कर चुका है। तो उस डेट रिडम्यूशन ऐक्ट के मातहत जमींदारों के कर्जे बाज बाज सूरतों में तो १/५ रह जायेंगे, किसी किसी सूरत में २/५ रह जायेंगे। गरज यह है कि बहुत कम रह जायेंगे। तो इसलिए भी एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के मातहत ही पुराने मुकदमों को तय कराना ठीक नहीं है।

[श्री चरण सिंह]

जमींदारी उन्मूलन होने की वजह से और डेट रिडम्प्शन ऐक्ट के बन जाने की वजह से इस एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट में कान्सिक्वेंशल संशोधन उसके नतीजे के तौर पर होना चाहिए। उसमें जो लिक्विडेशन की कार्यवाही है, वह एक बहुत पेचीदा कार्यवाही है। तो उसके लिए भी अब जरूरत नहीं है। उसको भी सरल करने की आवश्यकता है। यह दो-तीन मोटे-मोटे कुछ इसके उद्देश्य हैं और इस उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया गया है। हो सकता है कि इसकी तफसील में किन्हीं दोस्तों को कुछ कहना हो, इसी ख्याल से यह प्रवर समिति के सुपुर्द किया जा रहा है और उसके लिए मैंने प्रस्ताव पेश किया है। जहाँ तक इसके सिद्धान्त का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल नानकन्ट्रावर्शियल है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। और मैं समझता हूं कोई बहुत अनुचित नहीं होगा कि मैं आपके जरिये सदन से दरख्वास्त करूं कि जितना थोड़े से थोड़ा बोला जाय, जितना कम वक्त खर्च करें, उतना मुनासिब है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में जो थोड़ी सी बातें बतायीं, उस से तो अब एसा हमको भी लगता है कि इस समय इस ऐक्ट में संशोधन की आवश्यकता है, मगर मैं एक पहलू और रखना चाहता हूं, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी की खिदमत में कि क्या अब यह ऐक्ट एक दम से हटा ही लिया जाय तो काम नहीं चल सकता? जरा इस पर भी विचार करें, क्योंकि अब जमींदारी डेट रिडम्प्शन ऐक्ट बन गया। जमींदारों के ऊपर जो कर्जे थे, उन कर्जों को किन किन तरीकों को रख कर जो वह चार्ट बने हैं, उनका भी हिसाब लगाया जायगा और उनको जितना भी कम्पेंसेशन (मुआविजा) और रिहैबिलिटेशन (पुनर्वास) ग्रांट मिलनी है, उनके पूरे चार्ट बने हुए हैं कि कम्पेंसेशन ८ गुना मिल जायगा और २० गुना तक रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट मिलेगी। तो हमारी समझ में नहीं आता कि फिर एक नये ऐक्ट को इम्प्रूव करके या अमेंडमेंट (संशोधन) करके फिर से अलग रखने की क्या आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है कि अगर और बारीकी से इस पर विचार किया जाय तो माल मन्त्री जी का कहना सही हो, लेकिन जब से मैंने इस विधेयक को देखा है, तब से मैं यह महसूस कर रहा हूं कि अगर इसको नहीं रखें, तो हमारी क्या कठिनाई है? आज करीब दो घंटे से हम लाइब्रेरी में खोज रहे हैं कि कोई लिटरेचर मिले इस सम्बन्ध में, क्योंकि यह अपरिचित प्रश्न ही है, लेकिन कोई साहित्य नहीं मिला। डेट रिडम्पशन ऐक्ट की कापी भी नहीं मिल सकी, जिससे आँकड़े भी हम नहीं निकाल सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सही है कि जमींदारों के ऊपर पहले जितने कर्जे थे, उनका हिसाब कायदे से लगाने के लिए सन् ३४ में यह ऐक्ट हुआ और सन् ३६ से लागू है। करीब १७ वर्ष से कई मामले पड़े हुए हैं। माल मन्त्री जी ने बतलाया कि डेढ़ हजार ऐसे मामले विचाराधीन हैं जिनका कायदे से विचार ठीक तरह से हुआ नहीं है। तो मेरा डर यह है कि १७ वर्षों से जिस ऐक्ट के मुताबिक चल करके डेढ़ हजार केसेज पड़े हुए हैं जिनका फैसला नहीं हो पाया कि किस कर्जदार को कितना देना है, कितना पावना है अगर फिर उसका एक सेपरेट (अलग) ऐक्ट लगा करके बना दिया जाय, तो फिर वही दिक्कत हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय मन्त्री जी इसको वापस लेने की भी बात सोचें और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के अन्दर जो जमींदारों के कर्जे घटाने की गुंजाइश है, उसमें जो फारमूला दिया हुआ है, उसके मुताबिक स्पीडी वर्क (शीघ्र कार्यवाही) के लिए एक ट्रिब्युनल (निर्णायक मण्डल) नियुक्त कर दें और उसके मुताबिक जितना भी हिसाब-किताब हो उसको कर लें और उसके बाद जितने भी देने पावने हैं उनको ठीक-ठीक तरह दिला दें।

इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस तरीके से आसानी हो सकती है और जो पुराने १७ वर्ष के मामले पड़े हुए हैं, जिन कानूनी पेचीदगियों के कारण न्याय नहीं मिल पाया है, हो सकता है कि उसमें भी आसानी हो, क्योंकि जब यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी में जायगा, तो उसमें जो इसके प्रावीजन्स हैं और जो एम्स ऐन्ड आब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं के फ्रेमवर्क में हम संशोधन दे सकते हैं। मैं इसलिए माननीय मन्त्री जी से यह उम्मीद करूंगा कि जब वह डेमाक्रेसी की बात करते हैं तो हम ऐसे कानूनी जंगल लादने की कोशिश न करें और इसको जितना सीधा, हलका हो सके बनावें और जितनी

इसमें तात्कालिक न्याय पाने की गुंजाइश हो सके, उसके मुताबिक हम आगे बढ़ें, तब मैं समझता हूं कि इसमें सबका कल्याण होगा। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उसकी धाराएं तो जब आयेंगी और सिलेक्ट कमेटी से होकर जब यह आयेगा तो जो संशोधन देने होंगे, वह देंगे, मगर हम देखते हैं कि इन दोनों कानूनों के बनने के बाद यह एनकम्बर्ड इस्टेट्स अमेंडमेंट बिल जो पेश है, इस बिल को अस्तित्व में न भी रख करके हम अपना काम चला सकते हैं और जल्दी से चला सकते हैं जिससे आसानी से न्याय पाने की गुंजाइश हो सके।

राजा वीरेन्द्र शाह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भवन के सामने अभी सरकार की ओर से बिल पेश हुआ है, उसके उद्देश्यों से मैं सहमत हूं। मैं यह समझता हूं कि जब जमींदारों की जायदाद ली गयी और जिस तरीके से सरकार ने मुआविजे में कमी करके उस जायदाद का पैसा दिया, उसको देखते हुए यह जरूरी है कि यह ऐक्ट आवे और इस सम्बन्ध में जो अड़चनें पड़ी हुई हैं, उनको दूर किया जाय।

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बिल में यह भी गौर करना चाहिए कि जहाँ एन्कम्बर्ड इस्टेट्स ऐक्ट के जरिये जो कर्जा लोगों के ऊपर था, उसके देने के लिए गौर किया गया है और मैं यह मानता हूं कि जिसका रुपया कोई ले उसका रुपया देना चाहिए, वहाँ साथ ही साथ सबको यह भी मानना चाहिए कि अगर वह काफी तादाद में रुपया उस देने वाले को मिल चुका है, उसका प्रिंसिपल मिल चुका है, तो सूद में कमी कर दी जाय या वह खत्म कर दिया जाय, तो कोई बेजा बात नहीं होगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस बिल के द्वारा यह रखा है कि अब चूंकि जायदाद रही नहीं, इसलिए कम्पेंसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट से किस्तें अदा की जायं। रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट इसलिए होता है कि उससे लोगों को बसाया जाय। यदि उससे कर्जे की अदायगी होगी तो उसके कोई माने नहीं रहते। इसलिए मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि आप इस चीज को सिद्धान्त के रूप में निकाल दें। यदि कम्पेंसेशन से रुपया दिया जाय तो ठीक है। रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट का रुपया बसाने के लिए है, उससे किसी की किस्त अदा करना या सिक्योर या इनसिक्योर डेट को अदा करना कहाँ तक उचित होगा? इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि प्रवर समिति इसके ऊपर विचार करेगी और उसको पास करेगी।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (ज़िला फैज़ाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस विधेयक के सिद्धान्तों का प्रश्न है, उनके विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है। जहाँ तक माननीय राजनारायण जी ने सदन के समक्ष यह फरमाया कि अच्छा यह होता कि यह विधेयक न लिया जाता, हम बहुत आसानी से यह कह सकते हैं कि हम जमींदारों को कोई आपत्ति न होती अगर माननीय मन्त्री जी उसको साल या दो साल न लाते। श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि पुनर्वासन अनुदान या प्रतिकर जो दिया जा रहा है, अगर उसमें से भी कमी होती है तो ठीक नहीं है। मैं यह मानता हूं कि बहुत सी कठिनाइयाँ हैं, जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में इस तरह का कोई सेक्शन है जिससे रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट और कम्पेंसेशन में से वे काट सकते हैं, पर तु इसमें थोड़ी सी आपत्ति जो मुझे है, वह मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं और वह यह है कि विधेयक में वे कम्पेंसेशन में इन्टेरिम कम्पेंसेशन भी इन्क्लूड कर रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन विधेयक में कहीं भी कम्पेंसेशन की परिभाषा नहीं की गयी है। यह माननीय मन्त्री जी की बुद्धिमानी थी कि 'कम्पेंसेशन आफिसर' 'कम्पेंसेशन कमिश्नर' की परिभाषाएं तो हैं, लेकिन 'कम्पेंसेशन' की कोई परिभाषा आज तक नहीं पायी जाती है। तो उस कम्पेंसेशन में इन्टेरिम कम्पेंसेशन को भी शुमार करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। माननीय मन्त्री जी यदि इस पर ध्यान दें, तो बहुत अच्छा होगा और जो बहुत सी इसमें खराबियाँ हैं उनको हम संशोधन द्वारा दूर कर सकते हैं।

श्री राधा मोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इस बिल को जल्द से जल्द पास होना चाहिए।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय राज नारायण जी का जो उद्देश्य है कि कानून सीधे से सीधा हो और मुकदमेबाजी जहाँ तक कम हो सके, वह अच्छा है, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं और मेरी भी कोशिश यही थी कि कोई तरमीम पेश करने की जरूरत ही पेश न आये, बल्कि जो डेट रिडम्प्शन ऐक्ट बन चुका है, वही काफी है, लेकिन गवर्नमेंट के कानूनी सलाहकार ने राय दी है कि इस ऐक्ट में ही तरमीम करना ठीक होगा वरना बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो जायंगी। इसलिए पुराने ऐक्ट में संशोधन करना ही मुनासिब समझा गया। अगर माननीय राज नारायण जी पुराने ऐक्ट की धाराओं को देखेंगे तो मालूम होगा कि उसकी ५९ धाराओं में से २० धारायें बिल्कुल डिलीट कर दी गयी हैं। जो बाकी धारायें बची हैं, उनमें से भी आधी से ज्यादा धाराओं के सब-सेक्शन्स और सब-क्लाजेज निकल गये हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय राज नारायण जी को अब कोई शिकायत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एन्कम्बर्ड इस्टेट्स (संशोधन) विधेयक, १९५३, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जिसके यह सदस्य होंगे :—

१—	श्री उम्मेद सिंह	११—	श्री वसी नक़वी
२—	,, भगुनाथ चतुर्वेदी	१२—	,, रामस्वरूप गुप्त
३—	,, कमला सिंह	१३—	,, राधामोहन सिंह
४—	,, शिवनाथ काटजू	१४—	,, पुत्तू लाल
५—	,, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव	१५—	,, नवल किशोर
६—	,, मलखान सिंह	१६—	,, भगवान सहाय
७—	,, अवधेश प्रताप सिंह	१७—	,, अब्दुल रऊफ खां
८—	,, गेंदा सिंह	१८—	,, राधाकृष्ण अग्रवाल
९—	,, बलवंत सिंह	१९—	,, राम लखन
१०—	,, रामलखन मिश्र	२०—	,, द्वारका प्रसाद मौर्य

* उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

प्रवर समिति के जो मेम्बरान होंगे, उनके नाम इस प्रकार हैं—

१—	श्री जगनाथप्रसाद रावत	११—	श्री जगन्नाथ प्रसाद
२—	,, जगमोहन सिंह नेगी	१२—	,, निरंजन सिंह
३—	,, चतुर्भुज शर्मा	१३—	,, सुरेश प्रकाश सिंह
४—	,, रामसनेही भारतीय	१४—	,, रामहेत सिंह
५—	,, श्रीपति सहाय	१५—	,, काशी प्रसाद पाण्डेय
६—	,, भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)	१६—	,, राम सहाय
७—	,, रामेश्वर प्रसाद	१७—	,, सुल्तान आलम खां
८—	,, बाबू नन्दन	१८—	,, विश्राम राय
९—	,, शिवकुमार शर्मा	१९—	,, गेंदा सिंह
१०—	,, सत्यनारायण दत्त	२०—	,, लुत्फ़ अली खां

---

*१४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

अध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लिए मैंने प्रस्ताव पेश किया है, यूं तो वह बहुत छोटा सा विधेयक है, लेकिन एक दृष्टि से वह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इसका असर हमारी आगे आने वाली अर्थ व्यवस्था यानी इकोनोमी पर और आगे आने वाली पीढ़ी के सुख-दुख पर बहुत कुछ पड़ने वाला है।

यह तो निर्विवाद सी बात है कि भूमि किसी भी देश की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति होती है। भूमि यदि खराब हो जाय, किन्हीं हमारी गलतियों की वजह से, तो हमारा मुल्क गरीब हो जायगा। दुनिया में दो ही बड़े मुल्क हैं चीन और भारतवर्ष, जहाँ कुछ लोगों के हिसाब से लाखों वर्षों से और सभी लोगों की सम्मति से हजारों वर्षों से बराबर खेती होती आ रही है और बावजूद इन्टेंसिव कल्टीवेशन के इन दोनों देशों की भूमि में इतनी खराबी, इतना इरोजन नहीं हुआ है, अपेक्षतया उन मुल्कों के जहाँ की आबादी नयी है या जहाँ कुछ दिनों से खेती शुरू हुई है और जो न्यू कन्ट्रीज कहलाते हैं।

हमारे पूर्वजों ने भूमि की बड़ी हिफाजत की और उनके खेती करने के ढंग भी करीब करीब निर्दोष ही थे और अच्छे प्रकार से वह खेती करना जानते थे। इसलिए हजारों वर्षों से खेती करने के बावजूद हमारे मुल्क की उर्वरा शक्ति उतनी नष्ट नहीं हुई, जितनी और मुल्कों की हो चुकी है। मस्लन आज अमरीका में बहुत ज्यादा इरोजन हो चुका है। वहाँ १५ वर्षों से गवर्नमेंट का इस ओर ध्यान है कि भूमि का इरोजन किस तरह से रोका जाय। वहाँ का सारा ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसी तरफ लगा हुआ है कि इरोजन किस प्रकार से रोका जाय, यदि मैं यह कहूं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जिस तरह से हमारे यहाँ ऐग्रीकल्चर स्कूल्स और कालेजेज खोल रखे हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर तथा ऐग्रीकल्चर इन्स्पेक्टर्स वगैरा की सिस्टम है, वहाँ पर इस तरह से काम नहीं होता है। उनके यहाँ दूसरा ही ढंग है। वहाँ पर युनिवर्सिटीज की तरफ से ऐग्रीकल्चरल इन्स्टीटयूशन्स हैं या प्राइवेट लोगों की तरफ से हैं। गवर्नमेंट का काम तो रिसर्च करने का, मश्विरा देने का, प्राइस कन्ट्रोल करने का तथा इरोजन रोकने का है। खैर, मेरे कहने का मतलब यह है कि अमरीका में काफी इस सिलसिले में साहित्य निकल रहा है। कोई साल ऐसा नहीं जाता है कि जब कि २-४ अच्छी अच्छी किताबें विद्वानों की तरफ से अमरीका में इरोजन के सिलसिले में नहीं निकलती हों।

हमारे देश में जैसा मैंने अर्ज किया कि जमीन का कटाव उतना नहीं है जितना दूसरी जगह हो चुका है। लेकिन हमारे यहाँ भी यह दुष्परिणाम शुरू हो चुका है और इधर उधर बढ़ता जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड में, आगरा, मथुरा, इटावा, प्रतापगढ़, राय बरेली, सुल्तानपुर और जौनपुर आदि इलाकों में और कुछ प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी जमीन कटती जा रही है और दिनों दिन खराब होती जा रही है। यमुना, चम्बल, सई और गोमती यह नदियाँ जमीन को बहुत काटती रहती हैं। गंगा और घाघरा नदियों में बाढ़ तो जरूर आ जाती है और घाघरा में तो अक्सर आती है, राप्ती में भी आती है, लेकिन इरोजन नहीं होता है। वह अपना कोर्स बदलती हैं, लेकिन जमीन का कटाव नहीं होता है।

जमीन का कटाव तो सई नदी के चारों तरफ जो कि एक बहुत छोटी सी नदी है, राय बरेली से प्रतापगढ़, जौनपुर वगैरह होती हुई गोमती में गिरती है, बहुत ज्यादा है। तो इस कटाव को रोकना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ आज जितनी आबादी है, उसको देखते हुए हमारे सूबे में जमीन बहुत कम है। यों तो देश भर में ही कम है लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में जमीन एक शख्स के हिस्से में जितनी आती है, वह सबसे कम है। .६४ एकड़ जमीन एक आदमी के हिस्से में हमारे उत्तर प्रदेश में आती है। तो जमीन तो पैदा की नहीं जा सकती है, कोई भी गवर्नमेंट जमीन बढ़ा नहीं सकती है। हाँ, इतना काम कोई गवर्नमेंट या व्यक्ति जरूर कर सकता है कि जमीन का सदुपयोग करें और उसकी पैदावार को बढ़ायें। तो पैदावार को बढ़ाने की बात भी तभी होगी, जब कि जमीन कायम रहे और उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाय।

[श्री चरण सिंह]

आज सूरत यह है कि हमारे यहाँ कोई २० लाख एकड़ जमीन बिल्कुल कट चुकी है, जो कि खेती के नाकाबिल हो चुकी है। यह विशेषज्ञों का अनुमान है और ६० लाख एकड़ जमीन ऐसी है कि जितनी पैदावार उसमें पहले होती थी, या होनी चाहिए उसकी २५ से ५० फीसदी तक ही आज उसमें पैदावार होती है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया इस रकबे का विस्तार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए आवश्यकता यह है कि भूमि का कंजरवेशन हो। भूमि हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो भूमि की रक्षा को मैं देश की रक्षा के बाद एक तरीके से दूसरे नम्बर पर ही रखता हूं। देश की रक्षा तो सबसे जरूरी चीज है लेकिन लॉंग टर्म प्वाइन्ट आफ व्यू से जो स्वायल का कन्जरवेशन है, वह भी बड़ा महत्व रखता है। हो सकता है कि मैं प्रिजुडिस्ट हूं थोड़ा सा, लेकिन मेरी अपनी राय यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे सारे राष्ट्र और सब देशवासियों को इसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अभी अप्रैल के महीने में महकमा खेती के जितने विशेषज्ञ थे, इस मसले के और महकमा जंगलात के जो अफसरान थे और एक दो और राज कर्मचारियों को बुला कर यहाँ एक कान्फ्रेंस की गयी थी, जो बराबर दो दो, तीन तीन दिन तक रही और उसके कुछ रेकमेंडेशन्स हुए। उन रेकमेंडेशन्स को हिन्दी और अंग्रेजी में एक पैम्फलेट की शक्ल में छपवा दिया गया था और जितने विधान मण्डल के सदस्य हैं सबके पास एक-एक कापी भेजी गयी थी और राज कर्मचारियों के पास भी भेजी गयी थी और दरख्वास्त यह की गयी कि जिन सज्जन को उन रेकमेंडेशन्स के बारे में मशविरा देना हो, वे मशविरा दें। महीने भर की मियाद के बाद जब देखा गया तो बहुत कम सज्जनों के मशविरे आये। मुझे इस बात का अफसोस है। इससे यह जाहिर होता है कि हमारे दोस्तों का ध्यान इधर बहुत कम गया। प्रेस में भी आर्टिकिल्स निकाले गये थे लेकिन किसी तरफ से कोई सुझाव नहीं आया या आये तो बहुत कम आये। हो सकता है कि इस बिल के पेश करने के बाद कुछ लोगों का ध्यान इधर आकृष्ट हो। तो उन रेकमेंडेशन के आधार पर इस बिल की रचना हुई। हमारे देश में बम्बई, ईस्ट पंजाब और मद्रास, इन तीनों में स्वायल कंजरवेशन ऐक्ट्स हैं। प्लानिंग कमीशन ने भी यह सिफारिश की है अपनी पहली पंचवर्षीय योजना में कि स्वायल कंजरवेशन के मेजर्स लिये जायं और हर प्रदेश में इसके लिये कवानीन बनाये जायं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह इतना गम्भीर विषय है कि प्लानिंग कमीशन ने इस पर बहुत ही जोर दिया है और: अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं, उन्होंने जो लिखा है, एक ही पैराग्राफ है, पढ़ कर सुना दूं

"The Planning Commission have also impressed upon the necessity of enacting suitable legislation for soil conservation by the States which should provide for :—

(i) Power to execute improvements on the farmer's fields and allocation of the costs of these improvements between the farmers and the State.

(ii) Power to restrict usage practices in certain areas which may be declared "protection areas" i. e. areas in which restriction of such practices is necessary for protection of much larger areas from erosion, silting and desication.

किसानों की खेती के लिये उन्नति के काम किये जायेंगे जिसका कुछ खर्चा किसान भी बरदाश्त करेंगे और हो सकता है गवर्नमेंट भी उसमें हिस्सा बटाये।

दूसरी बात यह कि जिन इलाकों को प्रोटेक्शन एरिया करार दिया जायगा वहां किसानों को मजबूर किया जायगा कि वह बताये हुये तरीके से ही काम करें जिससे जमीन का कटाव और जमीन की जो खराबी बढ़ती जाती है, उसको रोका जा सके।

अब यह जो जमीन के कटाव होते हैं वे दो ही कारणों से होते हैं। एक जल से दूसरे वायु से। इसका कारण यह होता है कि या तो जरूरत से ज्यादा दरख्त काट दिये जाते हैं या चरागाह नष्ट कर दिये जाते हैं अथवा किसानों का जो खेती करने का तरीका होता है वह खराब होता है। इसी को रोकने के लिये यह बिल पेश किया गया है। हर जगह तो नहीं जहां गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी वहां इसको अमल में लाएगी। उसके लिये गवर्नमेंट पहले डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजरवेशन कमेटी बनायेगी जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, और उसके मेम्बर डेवलपमेंट आफिसर, नहर के ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिवीजनल फारेस्ट आफीसर (जहां वे होंगे), डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चरल आफीसर तथा एक आफीसर ऐसा होगा जिसको गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट स्वायल कंजरवेशन आफीसर कहेगी। यह कमेटी अपनी सिफारिश स्टेट कंजरवेशन बोर्ड के पास भेजेगी और तब स्टेट कंजरवेशन बोर्ड प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज करके आज्ञा देगा कि उसके बारे में प्लान तैयार किया जाय। जब प्लान बन कर तैयार हो जायगा तो वह विशेषज्ञों से एक्जामिन करा कर पब्लिक के एतराज के लिये प्रकाशित कर दिया जायगा। पब्लिक अथवा और किसी जरिये से जो भी एतराज आयेंगे उनकी रोशनी में हम प्लान को छोड़ भी सकते हैं, उसको उसी प्रकार ऐडाप्ट भी कर सकते हैं या उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। उसके अन्दर क्या क्या काम होंगे वह तो शिड्यूल में गिना दिये गये हैं। उसमें मोटी मोटी ४ बातें हैं लेकिन इन मोटी मदों के नीचे क्या आइटम्स होंगे वे तफसील से शिड्यूल में गिना दिये गये हैं जिनको यहां दुहराने की जरूरत नहीं है।

अब सिर्फ एक ही बात और कह देना चाहता हूं। वह यह कि हमारे प्रदेश में कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है। सन् ४८ में जो बाढ़ आयी उसने ४१ लाख आदमियों की जिन्दगी पर असर डाला और ३५ लाख एकड़ रकबे को डिवेस्टेट किया। इस बार जो बाढ़ आयी उससे भी मैं समझता हूं इससे कम नुकसान न हुआ होगा बल्कि किसी किसी इलाके में उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बाढ़ को रोकने के लिये गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई कदम उठाया जा सकता है तो वह यही जमीन के कंजरवेशन का है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा कि टैक्नीकल सब-कमेटी ने बाढ आने का सबसे बड़ा कारण बरसात बताया ही है लेकिन उसके अलावा कुछ सब्सीडियरी कारजेज भी हैं जैसे अगर वहां दरख्तों की कमी है, वैजीटेशन की कमी है तो पानी बजाय जमीन में समाने के और धीरे-धीरे नदी तक पहुंचने के बहुत कम समय में ही रिवर बेड में पहुंच जाता है और इसीलिये बाढ़ आ जाती है। दूसरा कारण उन्होंने बतलाया है फाल्टी एग्रीकल्चरल प्रोसेस। मसलन नदी के किनारे जो स्लोप है अगर दूसरी तरफ पैरेलेल स्लोप है और किसान अपने खेतों को जोतता है तो उसमें जमीन भी कटेगी और पानी की रफ्तार जो है वह तेज होगी लेकिन अगर एक्रास स्लोप है और किसान उसके खिलाफ खेत जोतता है तो जमीन नहीं कटेगी और बाढ आने में कमी होगी। और इसी तरह की कुछ बातें उन्होंने बतलायी हैं। तीसरा कारण उन्होंने सिल्टिंग आफ स्वायल बतलाया है यानी नदी के तल में मिट्टी कट कर जमा हो जाती है तो उसकी वजह से भी बाढ़ आती है। तो इस तरह से ये भी फाल्टी एग्रीकल्चरल प्रोसेस हैं जिनमें जंगल झाड़ी आदि भी शामिल हैं। चौथा कारण उन्होंने फाल्टी एलाइनमेंट यानी रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज को बतलाया। सड़कें जो हैं या रेल की पटरियां हैं, रेल की लाइनें हैं या कहीं कहीं जहां नहर हैं उनकी वजह से भी बाढ़ आती है। अगर नदी में पानी ज्यादा बढ़ जाता है और सड़कें जरा ऊंची हुई या कलवर्ट कम चौड़ा है तो उससे भी पानी रुकता है और इस तरह से उस तरफ के गांवों को डुबा देता है। ये जो चार कारण बतलाये गये हैं इनमें फाल्टी एग्रीकल्चरल प्रोसेस और सिल्टिंग आफ स्वायल को रोकने से बाढ़ में बहुत कमी हो जायगी। जो शेड्यूल इस बिल का है उसमें दिया हुआ है। शीट इरोजन, विंड इरोजन, गुली ऐंड रेविन फारमेशन, २. वाटर लागिंग ऐंड इसपेडेड ड्रेनेज, ३. इनक्रीजिंग दि प्रोडक्टिवटी आफ भूड़ एरियाज, ४. रिक्लेमेशन आफ ऊसर लैंड्स ऐंड प्रिवेंशन आफ ऊसर फारमेशन। तो इन सब कारणों को मिटाने में यह ऐक्ट सहायक होगा। आपका ज्यादा समय लेने का मेरा मंशा नहीं था लेकिन मैं फिर

[श्री चरण सिंह]

दोहरा देना चाहता हूं कि यह बाढ़ जो आती है वह ज्यादा वर्षा होने की वजह से आती है जिस वर्षा को कोई रोक ही नहीं सकता।

इसी तरह से जो चार कारण बतलाये गये हैं मुझे आशा है कि उनको दूर करने में यह बिल सहायक होगा। अगरचे यह लांग टर्म की बात भले ही हो, दो चार दस साल में न हो लेकिन मैं समझता हूं कि अगले तीस चालीस साल में उस शिद्दत को कम किया जा सकता है और इस बाढ़ की मुसीबत कम की जा सकती है। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन जहां तक एफ़ारेस्टेशन आदि की बातें हैं उनका किसी पोलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है। एक दफा जो पालिसी बनायी जाय वह आगे आने वाली गवर्नमेंट तीस चालीस साल तक बर्ते जो भी गवर्नमेंट हो उसे इस बात की बराबर कोशिश करनी चाहिये कि बाढ़ में कमी हो। आज का जो मौजूदा जेनरेशन है उसका एक तरह से ऋण अपने देश के ऊपर है। हमें चाहिये कि आने वाले लोगों के लिये रास्ता ठीक कर दें। बल्कि हो सके तो बेहतर अवस्था में उसको छोड़ें खास तौर से जब कि हमारी आबादी इस रफ्तार से बढ़ रही है। पिछले तीस सालों में हमारी आबादी पूरे देश की ४० फीसदी बढ़ी है और उसी हिसाब से हमारे प्रदेश की भी आबादी बढ़ी है। तो आबादी तो बढ़ेगी ही। उस बढ़ाव को रोकने का सवाल हमारे सामने इस समय है भी और अगर उपाय भी किया जाय तो भी बड़ा मुश्किल काम है। तो आबादी तो बढ़ रही है और जमीन हम बढ़ा नहीं सकते हैं। लिहाजा जरूरी हो जाता है कि जितनी जमीन जहां है उसकी रक्षा करें, उसका सदुपयोग करें। तो इस दिशा में यह स्वायल कंजरवेशन बिल एक बहुत बड़ा कदम है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को माननीय सदस्यों की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा उपस्थित किये गये इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसके साथ ही यह प्रस्ताव भी करता हूं कि यह विधेयक तीन महीने के लिये जनमत के लिये घुमा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के उद्देश्यों और मंशा का संबंध है, सदन का हर एक सदस्य इससे पूर्ण रूप से सहमत है क्योंकि यह भूमि संरक्षण का विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और हमारे देश के अलावा अन्य देशों में इस पर बहुत प्रगतिशील कदम उठाये गये हैं। चीन और अमेरिका की बाबत तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने खुद ही बतलाया। देर ही सही लेकिन हमारी प्रादेशिक सरकार का ध्यान अब इस तरफ आया है और इसके लिये माननीय राजस्व मंत्री बधाई के पात्र हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि उन्होंने इस संबंध में जो कुछ साहित्य था उसको तमाम विधान मंडल के सदस्यों के पास भेजा और उसके अलावा सरकारी गजट में भी इस बिल को प्रकाशित किया गया, लेख वगैरः भी अखबारों में निकले लेकिन उसका रिस्पांस बहुत ही कम हुआ और उससे माननीय मंत्री जी को भी दुख हुआ क्योंकि वह चाहते थे कि लोगों की सलाह जो हो उसकी रोशनी में अगर यह विधेयक उपस्थित किया जाता तो अच्छा होता। तो इसलिये मैंने जो संशोधन इस समय रखा है वह रश्रौ भी मजबूत हो जाता है। माननीय राजस्व मंत्री जी की दलीलें सुनकर कि उसको जनमत के लिये भेजना जरूरी है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने बतलाया कि और देशों में इसके लिये बहुत सा साहित्य है। इसके विशेषज्ञ भी हैं। वे लोग इसमें खोज करते रहे हैं। पत्र-पत्रिकायें निकलती हैं। हमारे देश में इसकी कमी है। लेकिन जब हमने इस विधेयक पर दृष्टिपात किया तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विधान मंडल के सदस्यों ने और जनता ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यही नहीं, माननीय राजस्व मंत्री जी के कानूनी सलाहकारों ने भी इस बिल को ड्राफ्ट करने में सावधानी नहीं बरती और इसमें ऐसी ऐसी चीजें छोड़ दी गई हैं जिनकी वजह से यह बिल बहुत ही अधूरा रह गया है। पहले तो इस बिल के जरिये से अध्यक्ष महोदय प्रान्तीय सरकार यह चाहती है कि एक प्रादेशिक स्तर पर भूमि संरक्षण बोर्ड कायम किया जाय। मुझे ड्राफ्टिंग से ऐसा पता चलता है कि बहुत जल्दी में ड्राफ्टिंग की गई है। उसका

कांस्टीट्यूशन इस प्रकार है। उसमें कृषि मंत्री होंगे और उनके अलावा इस प्रादेशिक सरकार के दो और मंत्री होंगे। तीन विधान सभा के सदस्य होंगे और दो विधान परिषद के सदस्य होंगे और फिर और तीन सरकार द्वारा नामजद सदस्य होंगे। मैं समझता हूं यह कांस्टीट्यूशन ऐसा है जिसपर फिर से विचार करना चाहिये। यह विषय ऐसा नहीं है जो कृषि मंत्री या अन्य मंत्रियों तक ही संबंधित है। इस विषय के विशेषज्ञों का इसमें स्थान होना चाहिये था। कृषि मंत्री के साथ ही और मंत्रियों को रखने की इसमें क्या आवश्यकता पड़ी ? इस मंडल के तीन मंत्रियों के उपस्थित रहने से क्या यह आशा की जा सकती है कि वे इस विषय के विशेषज्ञ होंगे ? मैं समझता हूं यह कमी है जो जरूरी है जिसको दूर होना चाहिये और इस बोर्ड को फिर से बनाना चाहिये। जिला भूमि संरक्षण समिति का संगठन अगर आप देखेंगे तो उसमें माननीय मंत्री जी ने खुद ही कहा कि हमारे प्रदेश में योजनाओं में ब्यूरोक्रेसी के लोग ज्यादा होते हैं और इस तरह से दूसरे मुल्कों में नहीं होता। लेकिन इस विधेयक में भी जब हम जिला समिति की तरफ देखते हैं तो उसमें यही लिखा है कि एक कलेक्टर, नहरों के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जिला विकास विभाग के आफिसर इंचार्ज, डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऐग्रीकल्चर आफिसर और जिला भूमि संरक्षण अधिकारी उसके सदस्य होंगे। अध्यक्ष महोदय, इतने लोग तो थे ही। एक ऐसे जिला भूमि संरक्षण अधिकारी की और कल्पना की गयी है। मैं तो यह समझता हूं कि यह काम अगर विकास योजना के अंतर्गत कर दिया जाता तो कम से कम एक और मशीनरी कायम करने की और एक अफसर बढाने की जरूरत नहीं थी। इसमें एक चीज यह की गयी है कि नानआफिशियल एसोसियेशन की बात नहीं की गयी है। ५,७ आदमी जो सरकारी कर्मचारी हैं वह उसमें रहेंगे। आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का दृष्टिकोण क्या होता है। सरकार का और विरोधी दल का यह प्रयत्न रहा है कि उनका वह दृष्टिकोण बदले, लेकिन वह आज तक बदला नहीं है। हो सकता है कि प्रादेशिक समितियां कुछ लोगों का वहां पर नामजदगी के जरिये से रखें लेकिन समिति का नानआफिशियल एसोसियेशन जो है वह खत्म हुआ। इसके बारे में राजस्व मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। यह इस बिल में डिफेक्ट रह गया है, बल्कि प्लानिंग कमीशन इसके लिये सलाह दे। इन सरकारी कर्मचारियों को इतनी वाइड पावर दी गयी है कि जिसका कुछ कहना नहीं है। मैं ज्यादा लम्बा नहीं जाना चाहता हूं लेकिन इसमें भूमि संरक्षण आफिसर को इतना अधिकार दिया गया है कि जो कहीं पर ट्रैक्टर चले तो वह उसको बता सकता है कि तुम ६ इंच नीचे चलाओ, बन्दी का निर्माण करा सकता है, कम्पोस्ट तैयार करा सकता है और भी इसी तरह के काम वह करा सकता है क्योंकि यह सब साधन भूमि की उपज बढ़ाने के लिये कहे गये हैं। इतने वाइड अधिकार नहीं देने चाहिये थे क्योंकि इससे फिर रिश्वत का बाजार गर्म होगा और भ्रष्टाचार फैलेगा।

इसके साथ ही मुझे खर्चे के बारे में भी आपत्ति है। माननीय मंत्री जी तो खुद के लिये यश लेना चाहते हैं लेकिन इसका खर्चा उनके मत्थे जायगा जिनको लाभार्थी कहा गया है। उनको यह अधिकार दिया गया है कि सारे लोग जिनको इससे लाभ होगा यह खर्चा उनसे वसूल किया जायगा। चकबन्दी का बिल जब यहां बर पेश था तब भी हमने कहा था कि यह खर्चा उनसे वसूल न किया जाय। यदि वहां पर पम्पिंग सेट लगाये जायं या नालियां बनवाई जायं या तालाब गहरे किये जायं उन सबके लिये खर्चा सरकार को करना चाहिये। अगर उनसे वसूल किया जायगा तो उनको इससे कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। कोई कर्मचारी यहां कह सकते हैं कि पेड़ लगाओ और गवर्नमेंट गार्डन से पौधे खरीदो और साधारण गांवों से लोग न लें। यह एक ऐसा व्यापक प्रश्न है जिस पर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। मैं यह मानता हूं कि उन के पास समय बहुत कम रहा है और मंत्रिमंडल भर में अगर मैं किसी एक व्यक्ति के परिश्रम से प्रभावित हुआ हूं तो वह हमारे राजस्व मंत्री ही हैं। इस समय मुमकिन है कि उनको पूरी परिस्थिति का ज्ञान न हुआ हो और जल्दी में यह बिल आ गया हो लेकिन हम माननीय राजस्व मंत्री जी के हाथ और मजबूत करना चाहते हैं। हमारे पास जो साहित्य आता है वह इतना

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

अधिक होता है कि हमारे लिये उसको पढ़ना ह्यूमेनली इम्पासिबिल होता है। हां, अगर किसी स्पेशल चिट्ठी के साथ हमारे पास कोई लिटरेचर जाता तो शायद हमारे बहुत से माननीय सदस्य उसको पढ़ लेते। एक तो महत्वपूर्ण घटना यह है कि इस विधान सभा के सामने अब यह लाइमलाइट में आ जाता है और यह स्वाभाविक है कि मेम्बरान इस पर गौर करें और हो सकता है कि सरकार की ओर से यह आपत्ति पेश हो कि इसमें देर हो जायगी। लेकिन जब इतनी वर्षों की देर हो गई और जब ७,८ साल इस सरकार को होने आये इतनी देर हो गई तो ३ महीने की कौन सी बात है? इस पर हम बजट सेशन के बाद गौर कर सकते हैं। इसमें तमाम बातों पर गौर नहीं हो पाया है, केवल ३,४ सेक्शन बना दिये गये हैं और नियमों में व्यापक अधिकार रख लिये गये हैं। उन्होंने बिल में यह व्यवस्था रखी है कि नियम बनाकर लागू कर दिये जायेंगे लेकिन विधान सभा की बैठक के सामने वह नहीं आवेंगे।

जमींदारी अबालिशन और दूसरे बिलों के वक्त तो यह बात रखी गई थी कि जो नियम बनाये जायेंगे वह लागू कर दिये जायेंगे और सेशन होने पर उनकी स्वीकृति ले ली जायगी। नियमों में इतनी बड़ी व्यवस्था करना और उनको विधान सभा के सामने न लाना मुनासिब नहीं है। साथ ही माननीय राजस्व मंत्री का कथन है कि इसमें ज्यादा समय न लिया जाय। जब बिल के प्रिंसिपिल्स में इतनी आशंकायें हैं तो उनको देखते हुये यह एक एकलिप्स सा हो जाता है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। आज खाद्य की समस्या है और वर्तमान सरकार उसको ठीक तौर से सुलझा नहीं पा रही है। अगर ठीक से प्लानिंग किया जाता तो अरबों रुपयों का गल्ला जो विदेशों से आया है वह हमें लाना न पड़ता और यह एक ऐसी घटना है कि जो दस पांच साल ही में पैदा हुई है। पहले हमें अनाज कभी बाहर से नहीं लाना पड़ा था।

एक सदस्य—आबादी जो बढ़ी है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—आबादी बढ़ने की बात कही जाती है तो यह चकबन्दी का कानून या इम्कम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट या जमींदारी एबालिशन ऐक्ट आप की बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोक सकता, सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है। अगर सरकार चाहती है कि आबादी का बढ़ना रोका जाय तो मेरा सुझाव है कि वह तमाम बजट में ज्यादा से ज्यादा कमी कर के रुपया इस काम के लिये निकाले और ऐसे क्लिनिक खोले और आबादी को रोकने की कोशिश करे।

लेकिन सरकार हर अपनी अयोग्यता का एक बहाना ढूंढ लेती है कि आबादी बढ़ गयी है, जैसे कि साधारण लोग कह देते हैं कि यह तो ईश्वर प्रदत्त चीज है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन सरकार तो हर बात के लिए जिम्मेदार होती है और ज्यादा से ज्यादा रुपया आप लगावें, करोड़ों की संख्या में खर्च करके इसके रोकने का उपाय करें, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन सरकार ने तो एक आध जगह लखनऊ में, एक आध जगह कानपुर में और ऐसे ही एक आध और जगह कुछ डाक्टर्स रख दिये और समझ लिया कि पर्याप्त योजना हो गयी, आबादी के रोकने की। इसके लिए तो जितने भी जोर शोर से, और ज्यादा कानून बनाये जाते हैं और ज्यादा रुपया लगाकर इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल किया जाता है, उतना ही अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री जी कह दिया करते हैं और और भी माननीय मन्त्री लोग कहा करते हैं कि आबादी का बढ़ना तो स्टैन्डर्ड आफ लिविंग के बढ़ाने से रुक सकता है, तो उसके बारे में तो हम कहते कहते थक गये लेकिन हमारा सुझाव कभी माना नहीं गया और हर बिल जो स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़ाने के रास्ते में आगे बढ़ सकता है, वह ठुकरा दिया जाता है। तो इस सूरत में मैं इस विषय में बहुत आगे नहीं जाना चाहता। इस विधेयक का मैं स्वागत करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरा प्रस्ताव स्वीकार करके तीन महीने के लिए यह जनमत के लिए प्रसारित कर दिया जाय और उसके बाद फिर उसे विधान सभा के सामने रखा जाय। मैं समझता हूं कि राजस्व मन्त्री जी को इसमें कोई एतराज नहीं होगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—श्रीमन्, मैं अपने राजस्व मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। किन्तु उनके भाषण में एक बड़ी समस्या की ओर ध्यान नहीं दिखाया गया, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने कुछ पूर्वी जिलों और कुछ पश्चिम के जिलों के नाम गिनाये हैं, जिसमें कि यह संकट भूमि का उपस्थित हो रहा है। लेकिन हमारे प्रदेश की सब से बड़ी समस्या जो है वह पहाड़ के नीचे के जिलों की है। देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और नैनीताल जिलों में बाढ़ की वजह से या जंगल कटने की वजह से भूमि का क्षरण जारी रहता है तो प्रान्त के अन्य जिलों की समस्या और अधिक विकट हो सकती है। इस कारण हमें उन जिलों में सब से पहले भूमि संरक्षण का प्रबन्ध करना चाहिए जो कि पहाड़ के नीचे अवस्थित हैं।

मैं अपने सहारनपुर जिले की समस्या थोड़े में रखना चाहता हूं। सहारनपुर जिले में गंगा और यमुना के ऊपर शिवालिक की पहाड़ी विद्यमान है। ५ हजार फुट ऊंचे पहाड़ से ८ या १० नदियां निकलती हैं और वह आमतौर पर बरसात में ही चलती हैं। उस शिवालिक पहाड़ के निचले हिस्से में जंगल विद्यमान हैं और पिछले ४०, ५० वर्षों से वह जंगल निरन्तर कट रहे हैं। उनके कटने का परिणाम यह है कि जो नदियां निकलती हैं, उनके पानी के साथ भूमि का कटाव होता जा रहा है और लगातार बाढ़ें बढ़ रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चार नदियां, रानीपुर, पथरी, रतमऊ और सैलानी, इन चार नदियों का पाट दिन पर दिन चौड़ा होता जा रहा है। मेरे ही पड़ोस में एक बड़ा इलाका है, जिसको कि धार का इलाका कहते हैं और जो कि ज्वालापुर, रुड़की, भगवानपुर मुजफ्फराबाद और फ़ैजाबाद कई परगनों में उपस्थित हैं। सहारनपुर जिले का करीब आधा भाग है।

आमतौर पर लोग यह समझते हैं कि सहारनपुर जिला बहुत उपजाऊ है, लेकिन इसका जो उत्तरी हिस्सा है, उसमें इन बाढ़ों की वजह से और भूमि संरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण जो जमीन वहां है वह दिन प्रति दिन कटती जा रही है और मेरा ख्याल है कि वहां की हालत ऐसी खराब होती जा रही है कि अगर यही हाल रहा तो आज अगर वहां कुओं में थोड़ा बहुत पानी निकलता भी है, तो आगे चलकर कुओं का पानी और नीचे चला जायगा। आज भी अगर वहां पर एक कुआं बनाना होता है, तो दस बारह हजार रुपया लगता है और बड़े लोग जो कि सम्पन्न हैं वह तो अपने कुओं से पानी का फायदा उठा लेते हैं लेकिन धार के हरिजनों को केवल इसलिए कि पानी नहीं मिलता है चार-चार और पांच-पांच मील तक पानी के लिए जाना पड़ता है।

तो मैं सदन के सामने यह समस्या इस रूप में पेश करना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बचाने की और जमीन की रक्षा करने की आवश्यकता है तो पहले उन जिलों में इसका प्रबन्ध करना चाहिए जो कि पहाड़ के नीचे हैं और जिनमें यह प्रबन्ध यदि नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी उसका संकट हो सकता है।

सहारनपुर जिले के बहुत बड़े भाग में एक सैलानी नदी बहती है।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जरा विधेयक के ऊपर आ जायं और उसके उसूलों पर भी कुछ बोलें।

श्री दीनदयालु शास्त्री—जी, मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। सैलानी नदी शिवालिक पहाड़ से निकलती है और सारे सहारनपुर को पार करती हुई मुजफ्फरनगर में जाती है। सैलानी नदी आज से २० वर्ष पहले तो इतनी छोटी थी लेकिन अब इतनी बढ़ गयी है कि उससे न केवल सहारनपुर के बीसियों गांवों को बल्कि मुजफ्फरनगर जिले के गांवों को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है और वह उनको डुबा रही है।

श्री अध्यक्ष—मैं राजस्व मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि सहारनपुर जिले को क्या इस विधेयक से अलग कर दिया गया है?

श्री चरण सिंह—इसमें सभी की बात हो सकती है। मैं सहारनपुर जिले का नाम दोहराना भूल गया था।

श्री दीनदयालु शास्त्री—मैं सहारनपुर जिले और पहाड़ी जिलों की बात दोहराना चाहता था। आशा है कि सदन इस पर विचार करेगा और ध्यान देगा।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मुझे, राम नारायण त्रिपाठी जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस विधेयक को ३ महीने के लिए जनमत में डाल दिया जाय, उसका विरोध करना पड़ रहा है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि हमारी जो भूमि है, वह कुछ दैविक आपत्तियों के कारण और कुछ हमारी भूलों के कारण कम हो रही है और कट रही है। दूसरी ओर हमारा जन-समाज जो है, वह केवल समाज की और जनता की भूलों के कारण बढ़ता जा रहा है और बड़ी आवश्यकता थी कि हम अपनी भूमि का संरक्षण करें और इस बात का प्रयत्न करें कि जितनी भी भूमि हम प्राप्त करा सकें वह जनता को प्राप्त करायें। इसी आशय को ले करके राजस्व मन्त्री ने इस विधान सभा के सामने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

दूसरे देशों में, अमरीका को लीजिये, और दूसरे देशों को लीजिये, उन्होंने तो पहले ही इसी प्रकार के ऐक्ट्स बना रखे हैं और वह अधिक से अधिक रुपया भूमि-संरक्षण पर व्यय करते हैं, हालांकि उनके यहां जन-समाज कम है और भूमि अधिक है, लेकिन तब भी वे भूमि संरक्षण पर काफी ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में इस प्रकार का कोई अधिनियम नहीं बना, हालांकि इस प्रकार की जरूरत थी। हम तो चाहते थे कि इस प्रकार का विधेयक बहुत पहले विधान सभा के सामने आता लेकिन वह देर से आया, लेकिन खैर, "देर आयद दुरुस्त आयद।" तब भी ठीक है। मुझे ताज्जुब है कि एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि यह बहुत पहले आना चाहिए था और बहुत देर से आया। दूसरी तरफ यह कोशिश की जा रही है कि इस विधेयक को टाल दिया जाय और फिर जनमत में डाल दिया जाय। यह तो गजट में भी प्रकाशित हो चुका है और जनमत के सामने आ चुका है। रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि इसके बावजूद भी समाज ने इसकी अवहेलना की और बहुत कम ध्यान दिया और बातें भी ऐसी हैं कि यह इतना गहन प्रश्न है कि केवल विशेषज्ञ ही इस पर विचार कर सकते हैं और विचार करते हैं। आम जनता को कोई ज्यादा रुचि ऐसे विधेयकों से नहीं हो सकती और हमने राजस्व मन्त्री जी से कहा कि हमारा तो जन-समाज इतना भूला हुआ है कि हमारा काश्तकार खुद इस प्रकार के तरीके अख्तियार करता है कि जिससे भूमि का संरक्षण होने के बजाय भूमि घटती है। इसलिए इस विधेयक को जनमत में भेज देने से और ढील देने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो अब व्यवस्था हुई है, दो ढाई महीने में वही व्यवस्था रहेगी और राम नारायण त्रिपाठी जी ने जो इसमें त्रुटियां बतलायीं तो उसके लिए भी मौका है। इसी लिए यह प्रवर समिति में लाया जा रहा है। जब वह वहां जायगा, विशेषज्ञ विचार करेंगे और जो इसको स्टडी करेंगे, इस विषय की जो त्रुटियां हैं, उनको दूर कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यह विधेयक हम पारित करें और स्टैटयूट बुक पर ले आयें, ताकि हमारी भूमि का संरक्षण हो सके। इसके अधिनियम बनने के बावजूद भी अगर कमियां रहेंगी, तो जब व्यवहार रूप में यह विधेयक आयेगा, तो रफ्ता रफ्ता वह दूर होती जायंगी। हमारा जमींदारी अबालिशन ऐक्ट बना, उसमें बहुत सी भूलें रहीं और व्यवहार में लाने के बाद वह दूर करने की कोशिश करते हैं और संशोधन विधेयक लाते हैं। इसी प्रकार से अगर ऐसी बात रहेगी तो उसके अनुसार संशोधन प्रस्तुत हो जायेंगे।

इसलिये मैं माननीय रामनारायण जी का जो प्रस्ताव है उसका घोर विरोध करता हूं और विधान सभा से आप के द्वारा यह प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक को, जो कि एक बड़ा महत्व का विधेयक है और बहुत छोटा सा विधेयक है, जल्दी से जल्दी कार्यरूप में परिणत करें और माननीय रामनारायण जी का जो प्रस्ताव है उसका रद्द करें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हृदय से माननीय माल मन्त्री को इस विधेयक के लाने के लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ इस बात पर ताज्जुब प्रकट करता हूं कि माननीय रामनारायण जी ने जो जनमत के लिए इसे भेजने का प्रस्ताव किया है वह किस युक्ति से किया है। जनमत के लिए कोई विधेयक या कोई बात उन अवसरों पर भेजी जाती है, जब कि कोई खास मतभेद हुआ करता है, दो रायें हुआ करती हैं या

दो के अलावा और कई रायें हुआ करती हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जब मैं देखता हूं कि सदन का प्रत्येक व्यक्ति यहां तक कि विरोधी दल के लोग भी, माननीय राम नारायण जी भी इसको जनमत के लिए भेजने के साथ साथ यह कहते हैं कि यह बड़ा सुन्दर है, इसकी बड़ी आवश्यकता है, इसका पास होना जरूरी है, तो फिर जनमत के लिए क्या बात रह जाती है।

जहां तक इसकी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, वह माननीय मन्त्री जी ने सदन के समक्ष रख दिया है। मैं स्वयं अध्यक्ष महोदय उस जिले से आता हूं जो इस रोग से बहुत ज्यादा पीड़ित है। सई की भयंकर कटान और भयंकर बाढ़ों का दृश्य जिसने देखा है, वह इस बात को सदन में कहेगा कि यह विधेयक जल्द से जल्द पास किया जाय। फैजाबाद में रहने वाले लोग जहां कि सरयू और घाघरा का प्रभाव होता है, उन्हें कटान और बाढ़ का बहुत ज्यादा अनुभव हो सकता है। इसलिए मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि यह विधेयक जनमत के लिए न भेजा जाय। जहां तक जनमत का सम्बन्ध है, जनमत तो इसके साथ है ही। जब सदन का हर एक व्यक्ति कहता है कि इसकी आवश्यकता है तो जनमत तो इसके साथ है ही। इसके साथ साथ जैसा केशव जी ने कहा कि यह तो एक्सपर्ट्स के जानने की बात है। यह तो एक्सपर्ट्स ही बतावेंगे कि किस तरह से यह विधेयक लागू किया जाय।

एक बात बहुत ज्यादा कही गयी और वह खर्चे के विषय में कही गयी है कि इस विधेयक में लाभार्थियों से खर्चा लेने की बात कही गयी है। जिनको प्रैक्टिकल अनुभव है उन्हें मालूम है कि आज काश्तकार सैकड़ों दरख्वास्तें ले करके आता है और यह प्रार्थना करता है कि उनके तालाबों का पानी निकलवा दिया जाय या इस प्रकार के बांधों के बनाने का आदेश दिया जाय जिस से उसकी अड़चनें दूर हों। इसके लिए यह श्रमदान भी देने के लिए तैयार होता है। साथ ही साथ यदि आवश्यकता पड़े, तो पैसा भी देने के लिये तैयार ही है। केवल वह काश्तकार या गांव का रहने वाला यह चाहता है कि शासन की तरफ से उन कठिनाइयों को दूर कर दिया जाय जो कि स्थानीय लोग पैदा करते हैं और जिन को काश्तकार स्वयं हल नहीं कर सकता है। तो आज यह देश की मांग है, गांव के आदमी चाहते हैं, किसान चाहते हैं और जिनके पास खेत हैं वे चाहते हैं। इसलिए इसको जनमत के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैं बड़े जोरदार शब्दों में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जनमत के लिए इस प्रस्ताव के रखने के विचार को न तो समझ पा रहा हूं, और न मैं समझने की आवश्यकता समझता हूं, इसलिए इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, चकबन्दी के बाद मैं समझता हूं कि यह दूसरा सब से ज्यादा उपयुक्त बिल हमारे सामने आया है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—और कोई नहीं ?

श्री बलवन्त सिंह—हां, और लोगों के लिए जैसा हमारे बालेन्दु शाह जी फरमा रहे हैं यह हो सकता है कि एन्कम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट बहुत उपयुक्त हो। मगर किसान के नाते मैं यह कह सकता हूं कि चकबन्दी का सब से ज्यादा उपयुक्त बिल इस भवन में पास हुआ और उसके बाद उसी महत्व का या यों कहिये कि यह ज्यादा महत्व का बिल अब हमारे सामने है।

अभी जैसा कि श्री दीन दयालु शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे कुछ जिलों की ओर जो कि तराई में हैं ध्यान कम दिया गया है। मैं तो यह कहूंगा कि यह बिल जो हमारे सामने है, यह किसी खास पहाड़ या तराई या और नीचे के जिलों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि सारे प्रान्त के लिए है। मैं तो यह मानता हूं कि अगर हम उन हालात को देखें, जो किसी भी छोटे से छोटे गांव में या किसी इलाके में होते हैं तो हमें यह पता लगेगा कि यह बिल कितना उपयोगी है। एक छोटा सा नाला किसी गांव में खेती के बीच में बहता है, आहिस्ता आहिस्ता खेतों की मिट्टी कट कर नाले में चली जाती है और खेत में छोटी-छोटी नालियां बन जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों खेत इस तरह से खराब होते चले जाते हैं और हम आप यह सोचते भी नहीं कि इसका क्या प्रबन्ध होगा। इसी प्रकार से देहात के खेतों के आस पास या

[श्री बलवन्त सिंह]

खेतों के बीच में जो पुराने तालाब होते हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता खेतों की मिट्टी पट जाती है और वे सिल्टअप हो जाते हैं। इस प्रकार से तमाम के तमाम खेत खराब रहते हैं और बाज-बाज दफा तो ऐसा होता है कि एक-एक और दो-दो फसलें भी नहीं बोयी जाती हैं। मैं यह अर्ज कर रहा था कि केवल नदियों की वजह से ही इस बिल का आना जरूरी नहीं है बल्कि बाढ़ की वजह से भी जरूरी है और मैं तो यह समझता हूं कि जो भूमि हमारे देश में खेती के काम में आ रही है उसको बनाने के लिए इस बिल की बहुत पहले से आवश्यकता थी।

अब रही बात यह कि इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या कुछ दिनों के लिए मुल्तवी कर दिया जाय। मैं यह समझता हूं कि यह बिल्कुल ही अवांछनीय है बल्कि इसे फौरन पास होना चाहिए और जो एन्कम्बर्ड एस्टेट्स ऐक्ट वगैरह हैं, उनको चाहे दस या पांच महीने के लिए पोस्पोन भी कर दिया जाय तो कोई ऐसी बात नहीं है। चूंकि यह बिल बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसलिए इसे फौरन ही पास किया जाना चाहिए और इसमें इस बात का भी प्रयत्न किया जाय कि सेलेक्ट कमेटी में अधिक से अधिक सुझाव जो मेम्बर चाहें दें, चाहे वे सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर हों या न हों और उनके रास्ते में कोई रुकावट की बात न हो। मैं यह मानता हूं कि इसमें दो चार बातें ऐसी हैं कि जिनका दुरुस्त होना बहुत ही आवश्यक है और इसी बात के लिए ये सेलेक्ट कमेटी रखी गयी है।

मैं यह उचित समझता हूं कि जिले के स्तर पर जो कमेटी रखी गयी है, मेरे ख्याल से वह प्लानिंग कमेटी से सम्बधिन्त होनी चाहिए। यह भी हो सकता है कि किन्हीं जिलों में वहां के प्लानिंग आफिसर पूरा न कर सकें, तो वहां पर दूसरे आफिसर को रखने की जरूरत पड़ेगी, परन्तु ज्यादातर जिलों में प्लानिंग आफिसर ही इस काम को अन्जाम दे सकेंगे। इस लिए ऐसे जिलों में कोई आफिसर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मेरा सुझाव यह भी है कि जिले के स्तर पर प्लानिंग कमेटी के रूप में ही इस को रखा जाय और इस ऐक्ट के जरिये से उनके जो कार-बार होंगे, वह विस्तृत हो जायेंगे। जिले के स्तर पर जो कमेटी रखी गयी है, मैंने उसमें कुछ ऐसा देखा है कि सिर्फ आफिशियल ही रखे गये हैं मगर मेरा सुझाव यह है कि उसमें नान-आफिशियल भी रखे जायं। क्योंकि इस में चन्द बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें कि नान-आफिशियल्स की राय लेनी जरूरी है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी जी ने जो खर्चे की बात रखी, वह भी काबिले गौर है। मैं यह समझता हूं कि बहुत से काम इसमें इतने बड़े और इतनी ज्यादा लागत के होंगे जिनको कि शायद लाभार्थी नहीं उठा सकेंगे इस लिये इसमें जो आर्थिक नियम बनें उनमें ऐसा प्राविजन रहे और रूल्स इस हाउस के सामने भी आने चाहिये। इस में इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसानों से या ऐसे लोगों से जिनको कि खेती या जमीन में लाभ होगा, उनसे कितना लिया जाय और कितना परसेन्टेज गवर्नमेंट दे। क्योंकि इस लिए जरूरत है कि मान लीजिये कि एक नदी काटती चली जाती है और उस से किसी एक आदमी के खेत को लाभ हो जाता है। अगर कहीं ऐसी बात सोचेंगे कि वह भूमि का रुपया जो नदी के बहाव के बचाने के लिए किसी आदमी से लिया जायगा, तो उसकी मिकदार इतनी संख्या में होगी कि वह अपनी सारी की सारी जमीन बेचकर भी न दे सकेगा। जमीन का कटाव रोकना एक मामूली किसान या बड़े किसान के वश की बात नहीं है। यह काम तो गवर्नमेंटल बेसिस पर ही हो सकते हैं और गवर्नमेंट ही इन कामों को कर सकती है। इसलिए मैं यह बात राजस्व मन्त्री जी के सामने रखूंगा कि जिस समय खर्चे का विचार किया जाय, तो इस ढंग से रूल्स बनाये जायं कि एक किसान से उतना ही रुपया लिया जाय, जितना कि वह देने के योग्य हो यानी जितनी कि उसकी सामर्थ हो। मैं समझता हूं कि यही दो तीन बातें हैं जिनको सेलेक्ट कमेटी में जो सज्जन हैं, उनको विचार करना चाहिए और इस ऐक्ट को ऐसे ढंग से बनाया जाय जो हमारे प्रान्त के लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सके और ज्यादा से ज्यादा उससे फायदा हो सके और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी श्री राम नारायण त्रिपाठी जी ने इस विधेयक के संबंध में जनमत संग्रह के लिए जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय श्री राम नरेश शुक्ल ने यह कहा कि विशेषज्ञों की राय से ही यह बिल इस सदन में पेश हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि सदन के बाहर कोई विशेषज्ञ है ही नहीं ?

श्री अध्यक्ष—श्री राम नारायण त्रिपाठी जी से यह कह देना चाहता हूं कि वह मेरे पास अपना संशोधन भेज दें और तिथि भी निश्चित करके भेज दें संशोधन में कि यह विधेयक कब तक जनमत से वापस आजाय क्योंकि वह नियम के अनुसार जरूरी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—गवर्नमेंट के सलाहकारों के अतिरिक्त सदन के बाहर भी बहुत से अच्छे-अच्छे विशेषज्ञ हैं। जनमत संग्रह करने के लिए त्रिपाठी जी ने इसी लिये कहा है कि सदन के बाहर जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय भी मिल सके। मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे साथी श्री केशव गुप्त जी ने बतलाया कि जनमत की राय लेने में बहुत देर होगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय हुकुम सिंह जी आज यहां पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने माल मन्त्रित्व काल में नागर क्षेत्र जमींदारी बिल विनाश पेश किया था, जो आज भी प्रवर समिति के सामने है। मैं समझता हूं कि साल भर गुजर जायगा लेकिन वह बिल आने वाला नहीं है। माननीय कृषि मन्त्री जी चाहते हैं कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय। पहले भी माननीय मन्त्री जी ने भाषण दिया था कि यह बिल जल्दी से जल्दी पास हो जाय, जिस से नगर में बसने वाले किसानों की परेशानी और दिक्कत दूर हो सके। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जनमत के माने यह नहीं हैं कि बिल में देर न हो और जल्दी से बिल सदन में पेश हो जाय।

भूमि संरक्षण मण्डल एवं जिला भूमि संरक्षण समिति का निर्वाचन भी बहुत जनतंत्र विरोधी है। भूमि संरक्षण मण्डल में केवल सरकारी भावों को व्यक्त करने वाले ही सदस्य रहेंगे। ऐसे सदस्य नहीं रहेंगे, जो अनुचित बातों का विरोध करें। इसी प्रकार जिला भूमि संरक्षण समिति का चुनाव होगा। जिसमें केवल नौकरशाही के अलावा और कोई न होगा।

दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि गांवों में, छोटे-छोटे कस्बों में जहां पर कि ग्राम-समाज की स्थापना हुई है, उसकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं गांवों में देखता हूं और हमारे इस सदन के बहुत से सम्मानित सदस्य ऐसे होंगे जो गांवों में रहते हैं और देखते हैं कि सरकारी अधिकारी जनता की राय के विरुद्ध किस कदर काम करते हैं। यह भूमि संरक्षण समिति जो जिले में बनायी गयी है, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि इसमें जन-प्रतिनिधियों का खयाल नहीं किया गया तो जनता का हित नहीं हो सकेगा और यह बिल अवश्य ही नुकसान देने वाला होगा, जैसा कि पिछली बार माननीय कृषि मन्त्री जी ने गलत इन्दराज ठीक करने के लिए बिल पेश किया और उसका असर आजमगढ़ की जनता पर जो पड़ा उसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूं। इस बिल का जो उद्देश्य है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि कोई भी आदमी इसके सम्बन्ध में कोई एतराज नहीं करेगा। लेकिन बिल के उद्देश्य की पूर्ति के सम्बन्ध में जो रास्ता माननीय कृषि मन्त्री जी ने अख्तियार किया है, उससे नुकसान होने की सम्भावना विशेष है खास कर गांव समाज के जन-प्रतिनिधियों के अभाव में। इसमें जो १२(२) में रखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को भूमि के लेने के सम्बन्ध में एतराज है तो वह ३० दिन के अन्दर भूमि संरक्षण अधिकारी के सामने अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि गांवों में अदालतों के जरिये जो समन पहुंचते हैं, उनको तो बड़े आदमी दो चार पैसे देकर वापस कर दिया करते हैं। यदि गांव समाज का कोई अधिकारी उस कमेटी में नहीं रहता है या कोई छोटी-छोटी कमेटियां नहीं बनायी जाती हैं जिनमें गांव के लोगों के प्रतिनिधि हों, तो मेरा खयाल है कि ३० दिन का जो समय दिया गया है, उसका उस खेत के मालिक को पता भी नहीं चलेगा और वह जमीन सरकार अपने कब्जे में कर लेगी।

[श्री रामसुन्दर पान्डेय]

योजना के निष्पादन में भी ऐसी त्रुटियां हैं, जिनसे मेरा खयाल है कि झगड़ा और बढ़ेगा। योजना के निष्पादन क बारे में १९ में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इसमें विघ्न डालगा, तो वह सजा पायेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा भी होता है कि समन न मिला, उसको कोई सूचना न मिली और खेत पर जब सरकार की ओर से आदमी कब्जा करने जायं, तो उसको पता चले और एतराज करे तो जेलखाने जाना होगा। यह सब से बड़ी आपत्ति की बात है। दफा २० में जो ५ तक पैराग्राफ हैं, उनमें भी इस तरह की त्रुटियां हैं जिनकी वजह से गांव समाज को, गरीब लोगों को नुकसान होगा। इस बिल को देखने से यह साफ जाहिर होता है कि गांव समाज के लोगों के हक की रक्षा नहीं हो सकेगी। जब तक जनमत संग्रह नहीं किया जायगा तब तक मेरा ख्याल है कि यह सदन अगर इस बिल को पास कर देगा तो भी इस से बड़ा नुकसान हमारे प्रदेश को होने वाला है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से श्री राम नारायण त्रिपाठी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री शिवनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—एक भाषण और हो जाने के बाद मैं इस प्रस्ताव को लूंगा।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बी तकरीर नहीं करूंगा। यह जो जनमत के लिए भेजने का प्रस्ताव आया है, मैं उसका विरोध करता हूं। यह समस्या बहुत ही गम्भीर है। संसार की जनसंख्या १९०१ में ७३ करोड़ थी, जो सन् ५१ में १ अरब ३० करोड़ हो गयी। इसके अलावा रेगिस्तान भारत में ही नहीं, तीन और कान्टिनेंट्स में बढ़ रहे हैं। आस्ट्रेलिया, अमेरिका और अफ्रीका में रेगिस्तान बढ़ रहा है। हमारे प्रान्त में भी राजस्थान का रेगिस्तान धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। हर जिले में कमोबेश इसी तरह की समस्यायें हैं। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उसने बहुत मौके से इस योजना को सदन के सामने रक्खा। जहां तक इस विधेयक के उद्देश्य का ताल्लुक है, मैं निवेदन करूंगा कि यह विधेयक बहुत ही जरूरी है। हमारे लिये ही नहीं, बल्कि आगे की पीढ़ियों के लिए भी यह एक आवश्यक चीज है कि हम अपने देश की रक्षा करें, उसकी भूमि की रक्षा करें। हमारी आबादी बढ़ रही है, जिसके बारे में श्री राम नारायण जी ने कहा कि उसके लिए मुनासिब कोशिश नहीं की जा रही है कि जिस से आबादी कम हो। मेरा ख्याल है कि इसके लिए उनके पास भी कोई ज्यादा मुनासिब तरीका नहीं होगा कि जिसके द्वारा आबादी को कम किया जा सके। आबादी बढ़ेगी और जितनी हमारी जमीन है, वही रहेगी, उसके ज्यादा बढ़ने की सम्भावना नहीं है, अतः यह कोशिश बहुत ही जरूरी हो जाती है कि उस भूमि की रक्षा हो और हम उस भूमि के उत्पादन को बढ़ा सकें। यह विधेयक इन्हीं सिद्धान्तों को लेकर रखा गया है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि यह विधेयक बहुत जरूरी है और इसको जनमत के लिए भेजने की बिलकुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देर होगी। यह प्रवर समिति के सामने तो जायगा ही, फिर इस सदन के सामने भी विचार के लिए आयेगा, तब उस पर गौर किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कानपुर स्वदेशी काटन मिल के सम्बन्ध में सरकारी वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब वाला! मुझको सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि कानपुर की काटन मिल की बाबत जो यहां कल गुफ्तगू थी, उसके बारे में मैंने यह अर्ज किया था कि गवर्नमेंट की जानिब से आज उसके मुताल्लिक एक बयान दे दिया

जायगा और यह बयान आज इस हाउस में क्वेश्चन होने के बाद हो सकता था, लेकिन मैंने इस बात का इन्तजार किया कि होम मिनिस्टर साहब खुद आने वाले थे, और मैं समझता था कि वे उस वक्त तक आ जायेंगे इस लिए मैंने वह नहीं दिया। चूंकि वे अभी तक नहीं आये हैं। इसके अलावा अभी ऐडजर्नमेंट मोशन की निस्बत फरमाया गया है कि वह कल होगा तो उसके साथ ही साथ इसके मुताल्लिक भी गवर्नमेंट कुछ कह देगी। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि यह मामला आज के बजाय कल क्वेश्चन के बाद फौरन ले लिया जाय तो बेहतर होगा, उस वक्त होम मिनिस्टर साहब भी मौजूद होंगे। उन्हीं के जरिये से सब बातों की बाबत स्टेटमेंट हो जायगा। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई एतराज न होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसमें एतराज की बात तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही बतला देना चाहता हूं कि वह वक्तव्य जो होगा, वह कामरोको प्रस्ताव पर मेरे फैसले के पेश्तर होगा। दूसरी बात यह है कि कामरोको प्रस्ताव के बारे में मैंने इसी लिए अभी फैसला नहीं दिया है कि वक्तव्य हो जाय और उससे एक बात का निश्चय कर सकूं, उसका महत्व तो मैंने मान लिया है। अर्जेंसी भी मान ली है और निश्चितता भी मान ली है लेकिन मैं सरकारी वक्तव्य से यह जानना चाहता हूं कि यह गिरफ्तारी जो की गयी है, वह मामूली इन्तजामी मामलात से ताल्लुक रखती है या गवर्नमेंट की नीति से। अगर मामूली इन्तजाम का मामला है तो ऐसे के लिए कामरोको प्रस्ताव जैसा कि अभी तक इस सदन में निश्चय हुआ है उस रीति के अनुसार कि मामूली इन्तजाम से सम्बन्ध रखने वाली चीजों के लिए कामरोको प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट की नीति से इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध है तो सदन यह अवश्य चाहेगा कि उसके ऊपर कुछ वाद-विवाद हो और ऐसी अवस्था में इजाजत दी जा सकती है कि कामरोको प्रस्ताव सदन में उपस्थित किया जाय तथा उसके ऊपर वाद-विवाद हो। तो इस विषय पर भी गवर्नमेंट को प्रकाश डालना चाहिए और विरोधी पार्टी को भी यह बतलाना पड़ेगा कि मामूली इन्तजामी मामलात से यह मामला परे है। इस कारण वक्तव्य के बाद ही कामरोको प्रस्ताव पर निश्चय किया जायगा कि यह वैध है या अवैध है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि कल जो वक्तव्य होगा उसका इस ऐजर्नमेंट मोशन से क्या कोई सम्बन्ध नहीं होगा? वह तो दूसरे विषय पर ही कामरोको प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष—वह दूसरा प्रश्न है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा विरोध यह है कि कल जो वक्तव्य होगा, वह एकांगी होगा। गवर्नमेंट के उस वक्तव्य को मद्देनजर रखते हुए अगर श्रीमान ऐजर्नमेंट मोशन (कार्य-स्थगन प्रस्ताव) पर अपना फैसला देंगे, तब तो कोई ऐजर्नमेंट मोशन कभी आ ही नहीं सकेगा।

श्री अध्यक्ष—बात यह है कि जब कोई बात स्पष्ट नहीं होती, तब वक्तव्य का होना जरूरी होता है और कल जो ऐजर्नमेंट मोशन आया था, उसे मैंने मान लिया था कि यह बिल्कुल निश्चित नहीं है। श्री राम नारायण त्रिपाठी ने मुझसे मेरे कमरे में भी बातचीत की और उनसे भी मैंने यही कहा कि यह निश्चित नहीं है। इस पर उन्होंने कहा कि हमें भी तो कम से कम कुछ कहने दीजिये। जब गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दिया जाय, तो हमें भी बोलने का मौका दिया जाय। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मामूली इन्तजाम में गिरफ्तारी हुई है, यही बात अखबारों में पढ़ने को मुझे मिली है और उसी बेसिस पर कल इस प्रश्न के ऊपर प्रकाश डाला जाना चाहिए कि यह मामला नीति से सम्बन्ध रखता है या मामूली इन्तजामी मामले से सम्बन्ध रखता है। यदि यह मामला मामूली इन्तजाम के परे का है तो कामरोको

[श्री अध्यक्ष]

प्रस्ताव पेश करने को स्वीकार करना चाहिए। फिर सदन को अधिकार रह जाता है कि सदन इजाजत दे कि इस पर बहस हो या न हो।

(इस समय १ बज कर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३

(क्रमागत)

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने यह संशोधन पेश किया है कि यह विधेयक जनमत जानने के लिए तीन मास के वास्ते भेज दिया जाय। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनको जैसा स्वयं स्वीकार है, यह विवादास्पद विषय नहीं है। कन्ट्रोवर्शल भी नहीं है। इसमें प्रायः सभी लोग एकमत हैं। जो विधेयक पब्लिक ओपिनियन के लिए सरकुलेट किये जाते हैं, वे ऐसे होते हैं जिनमें बहुत तीव्र मतभेद हो या तीव्र मतभेद होने की सम्भावना हो। यह ऐसा विषय है जिसमें ऐसी आशंका होने की सम्भावना नहीं है, तो इसलिए मुझे उनके प्रस्ताव के मानने में उलझन हो रही है।

दूसरी बात यह है कि मैं तो कुछ कुछ मानने ही वाला था, लेकिन जितने और भी माननीय सदस्य खड़े हुए उन सबने त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध किया। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर मैंने त्रिपाठी जी के संशोधन को स्वीकार किया तो वह एक तरह से सदन के बहुत से सदस्यों की बात को टालना होगा। मैं अब भी इस बात के लिए तैयार हूं कि सदन जैसा चाहे तय कर दे, चाहे सेलेक्ट कमेटी में भेज दे और चाहे जनमत जानने के लिए भेज दे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं है।

उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कन्जरवेशन कमेटी की बात कही कि उसमें पापुलर रिप्रेजेन्टेटिव्ज का असोसियेशन नहीं है। वे लोग इसमें शरीक नहीं किये गये हैं। यह बात ठीक है। इसमें जैसी तजवीज है, उसमें कोई चुने हुए लोग नहीं हैं। लेकिन अगर सेलेक्ट कमेटी ऐसा जरूरी समझे तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। हो सकता है कि जिस इलाके में कन्जरवेशन का काम हो, वहाँ के जो विधान सभा के सदस्य हैं वे इसमें ले लिये जायं। उसमें मुझे विशेष आग्रह नहीं है कि इस तरह न हो, उस तरह हो। राम सुन्दर जी पाण्डेय ने यह कहा था कि इसमें गाँव सभा के लोग शरीक नहीं किये गये हैं। तो वे कैसे शरीक किये जायेंगे, मैं उनसे पूछता हूं? एक तहसील में कई सौ गाँव सभायें होंगी, तो उनके कई सौ आदमी कैसे इस कमेटी में शरीक किये जायेंगे? यही नहीं, एक एक तहसील ही नहीं, जैसे ट्रांस-राप्ती एरिया को हम लेते हैं तो गोरखपुर और बस्ती के सारे इलाके को लेना होगा। वह रीजन होगा। कन्जरवेशन की दृष्टि से एक ही रीजन में दो दो तीन तीन जिले पड़ सकते हैं और उनमें सैकड़ों गाँव सभायें हो जायंगी। तो किस तरह से उनको लिया जा सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। फिर यह डिस्ट्रिक्ट स्वायल कन्जरवेशन कमेटी तो एक प्लान बनाने वाली चीज है। टेक्निकल नालेज की उसमें आवश्यकता है, विशेषज्ञों की उसमें आवश्यकता है। हाँ, यह सब ठीक है, लेकिन अमल करने के लिए और उसको समझने के लिए जनता के प्रतिनिधि उसमें आने चाहिए। वह किस प्रकार से उसमें आ सकते हैं, इसकी कोई तरकीब अगर सेलेक्ट कमेटी निकाल सके, तो मुझे उस तरकीब के स्वीकार करने में खुशी होगी।

हेडक्वार्टर के स्वायल कन्जरवेशन बोर्ड में ३ आदमी तो असेम्बली से आयेंगे, २ आदमी कौंसिल से आयेंगे और तीन आदमियों को स्टेट नामिनेट करेगी। इस प्रकार से यह ८ आदमी ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर के न हों। सभी विशेषज्ञ रखे जा सकते हैं। अगर विशेषज्ञ बाहर का मिलता है, तो उनको आप रख सकते हैं। वह लोग असेम्बली के ही हों यह लाजिमी नहीं है। यह तो एक तरह से नान-एक्सपर्ट की कमेटी है। यह जो नान-आफिशियल

प्वाइन्ट आफ व्यू होगा, उसकी नुमाइन्दगी करेंगे, इस वजह से इस बोर्ड में रखे गये हैं। राम सुन्दर पाण्डेय जी ने कहा कि जिस तरह से किसानों का हक दिलाने के लिए लैण्ड रिफार्म सप्लीमेंटरी कानून बनाया गया था और उस से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो इससे भी हो जायगा। मुझे यह जानकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आजमगढ़ के किसानों का इस से बड़ा नुकसान हो गया। तो क्या मैं यह समझूं कि वह जो बहुत प्रयत्न कर रहे थे कि इस ऐक्ट में दरख्वास्त करने के लिए कुछ मियाद बढ़ा दी जायं, तो क्या उससे किसानों को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य था? आपकी तो यह कोशिश थी और सत्याग्रह भी इसीलिए किया जा रहा था कि सरकार ने और मियाद नहीं बढ़ायी। दरख्वास्त लेने के लिए मियाद बढ़ाने की बाबत कोशिश थी, लेकिन गवर्नमेंट ने मियाद बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा, तब यह सत्याग्रह किया गया। तो क्या यह सच है कि म्याद बढ़ाने की दरख्वास्त देने से किसानों का नुक़सान होता? नहीं, मैं जानता हूं कि वे खुद जानते हैं कि किसानों को उससे लाभ हुआ। मगर गवर्नमेंट की ओर से काम अच्छे होते जाते हैं तो और कहा क्या जाय? तब यही कह दिया जाता है कि उसके अमल में नुक़सान हुआ। यह इस सरकार की बदकिस्मती है कि वह सब काम लोगों के लाभ के ही करती है और जब ऐसा है तो उनको एक मौका मिस्रिप्रिजेन्ट करने का ही रह जाता है और दूसरा मिस्रिप्रिजेन्टेशन इसके बाद देखिये। दफा १६ में लिखा है कि धारा १४ के अधीन सरकारी गजट में योजना के प्रकाशन से ३० दिन के पश्चात् जिला भूमि संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ कर्मचारियों तथा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत श्रमिकों के लिये यह वैध होगा कि वह ऐसे क्षेत्र की किसी भूमि में जिस पर योजना प्रवृत्त हो, प्रवेश करें, उसकी माप करें और उसका समतल लें। वही अंग्रेजी में यह है कि, "It shall be lawful for the District Soil Conservation Officer and his subordinates and workmen authorised by him in this behalf to.....

(a) enter upon, survey, and take levels of any land in the area to which the plan applies".

कौन जमीन पर क़ब्जा लेने की बात है, किसानों की जमीन छीनने का प्रश्न कहां है? परन्तु यह हिम्मत श्री रामसुन्दर पांडेय की ही है कि वह इतने पढ़े लिखे आदमियों के सामने इसके ऐसे अर्थ कर सकते हैं। यह हिम्मत की बात है कि इस तरह से अर्थ का अनर्थ कोई कर सके। यह तो वही बात है कि रोटी को कह दिया जाय कि यह जहर है तो वह भी जहर हो जाय। इसके अलावा मुझे खुशी है कि इसके विषय में और कोई खास बात नहीं कही गई है और आम तौर पर इसका स्वागत किया गया है और जैसा कि श्री त्रिपाठी जी ने स्वीकार किया कि इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है और न होना ही चाहिये। इन शब्दों के साथ में अपने कथन को समाप्त करता हूं और सदन पर छोड़ता हूं कि वह चाहे तो इसे प्रवर समिति में भेजे या अगर चाहे तो पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---श्रीमान् जी, मंत्री जी ने जो कहा कि आजमगढ़ के किसानों को नुक़सान होने की बात मैंने कही उसके बारे में मुझे कहना है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो यह कहा.....

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---मंत्री जी के भाषण के बाद अब बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य केवल अपनी बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने माल मंत्री जी के सभासचिव का विचार सुनने के बाद मुझे अवसर दिया।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

मैंने यह कहा था कि जिला भूमि संरक्षण समिति जो बनेगी उसमें नौकरशाही की बू है और इस कमेटी में जब तक जन-प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तब तक जनता को नुक़सान होगा। इसी अभिप्राय से मैंने कहा था। ग़लत इन्द्राज प्रस्तुत करने वाले विधेयक की प्रवर समिति एवं रूल में मैंने जोरदार शब्दों में कहा था कि जन-प्रतिनिधि की राय भी अधिकारी लें। लेकिन माल मंत्री जी ने उसका विरोध किया और पूरा अधिकार जिलाधीशों एवं मजिस्ट्रेटों को दिया जिससे आजमगढ़ में नुक़सान हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ को जनमत के लिये घुमाया जाय जिसकी अन्तिम तिथि १५ मार्च, १९५४ होगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण विधेयक, १९५३ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय और उस प्रवर समिति में निम्नलिखित सदस्य हों--

राजस्व मंत्री के साथ

१--श्री जगन प्रसाद रावत
२--श्री जगमोहन सिंह नेगी
३--श्री चतुर्भुज शर्मा
४--श्री रामसनेही भारतीय
५--श्री श्रीपति सहाय
६--श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (प्रतापगढ़)
७--श्री रामेश्वर प्रसाद
८--श्री बाबूनन्दन
९--श्री शिवकुमार शर्मा
१०--श्री सत्यनारायण दत्त
११--श्री जगन्नाथ प्रसाद
१२--श्री निरंजन सिंह
१३--श्री सुरेश प्रकाश सिंह
१४--श्री रामहेत सिंह
१५--श्री काशी प्रसाद पाण्डेय
१६--श्री रामसहाय
१७--श्री सुल्तान आलम खां
१८--श्री विश्राम राय
१९--श्री लुत्फ अली खां
२०--श्री गेंदा सिंह

श्री चरण सिंह--श्री गेंदा सिंह जी का जो नाम है मैं चाहता हूं कि उसको हटा करके उनकी जगह श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का नाम रख दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, माननीय मंत्री जी जानते हैं कि गेंदासिंह जी की भी राय बहुत कीमती होती है। तो अगर किसी एक कांग्रेस पार्टी वाले का नाम कम करके ये दोनों नाम रख लें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। उपयोगिता के लिये यह मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री चरण सिंह--मुझे स्वीकार है। जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी बराबर इस कोशिश में रहते हैं कि माननीय नेता विरोधी दल की जो बातें हों उन्हें मान लिया जाय, उसी तरह से मैं भी यही कोशिश करूंगा कि उनकी बात मान ली जाय। चौधरी लुत्फ अली खां के बजाय त्रिपाठी जी का नाम रख दिया जाय और गेंदा सिंह जी का नाम रहने दिया जाय क्योंकि जिस इरादे से दाढ़ी रखी गई है वह तो उनका पूरा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष--तो श्री लुत्फ़ अली खां के बजाय श्री रामनारायण त्रिपाठी का नाम रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३

† खण्ड ६ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—अब आगरा यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक पर फिर वादविवाद जारी रहेगा।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, माननीय शिवनारायण जी बोलने के लिए खड़े थे, इसलिए मैं नहीं खड़ा हुआ, मैं समझता हूं माननीय शिवनारायण जी को बोलना चाहिये था न कि शिक्षा मंत्री जी को क्योंकि यह बड़ा ही इम्पार्टेंट मसला है और इस पर माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिलना चाहिये।

(तत्पश्चात श्री उपाध्यक्ष ने श्री शिवनारायण का नाम पुकारा)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—(श्री शिवनारायण के खड़े होने पर), प्वाइंट आफ आर्डर सर, स्पीकर महोदय ने जब शिक्षा मंत्री जी का नाम एनाउंस कर दिया तो शिवनारायण जी का क्वेश्चन राइज नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—बात यह है कि मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया कि एक माननीय सदस्य खड़े थे, वह बोलना चाहते थे, इस वजह से कोई दूसरे सदस्य खड़े नहीं हुए, इसलिए मैंने यह कर दिया है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे खड़े होने की कीमत की। मैं कल से तैयार था इसके ऊपर बोलने के लिए जो कि वाइस-चांसलर के वेतन के ऊपर यह डिस्कशन हो रहा था। हाउस के अन्दर किसी ने कहा कि १५ सौ रख दिया जाय किसी ने कहा कि ७ १/२ सौ रख दिया जाय, लेकिन मैंने हिसाब लगाया है जो इन अर्थशास्त्रियों को बताना चाहता हूं कि आज जो आमदनी की रेट है वह जरा हिसाब सुनें। २०००×३/१६ करने पर ३७५ रु० का औसत आता है। और जो २०० रु० का वेतन हाउस एलाउंस रखा है उसका औसत ३६ रु० है। कुल मिला कर ४११ रु० की औसत इनकम मामूली रेट पर हो रही है जो रेट सन् १९४६ में था। आज इनकी तनख्वाह १ हजार भी कुछ नहीं और न दो हजार। तो हमें डिगनिटी आफ दि वाइस-चांसलर को मद्देनजर रखना है।

आज समाज में अध्यापक समाज के और शिक्षा संस्थाओं के स्तर को सबसे ऊंचा होना चाहिये। संसार-गुरु भारत रहा है और यह जो वाइस चांसलर का दर्जा है यह उन ऋषियों का स्थान है, मामूली आदमियों का नहीं है। हमने गुरु द्रोणाचार्य को उसी स्थान पर बैठाया था। तो मैं सम्मानित सदस्यों से और मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि आज जो यह बिल रखा गया है वाइस-चांसलर के वेतन के सिलसिले में तो इसमें उनका वेतन कम नहीं रखा गया है। न कम है, न ज्यादा है; दोनों बात मैं कहता हूं। मार्केट रेट से उसकी कीमत सिर्फ ४११ रुपया है। कल करांची प्रस्ताव का जिक्र किया गया। पूज्य बापू का चित्र हमारे सामने है। करांची प्रस्ताव आज विलीन नहीं किया गया। जब वहां मिनिस्टर की तनख्वाह ५०० रु० रखी गयी थी तो ठीक रखी गयी थी। आज भी हमारे मिनिस्टर उससे कम पा रहे हैं। इसी रेट पर, जैसा कि हमारे लायक दोस्त काटजू साहब ने कहा रुपये की कीमत पहले से ४ आने और ३ आने है। आखिर में जिन्होंने ७५० रुपया रखी थी उनके हिसाब से १४६ रु० सिर्फ वाइस-चांसलर की तनख्वाह होती है। तो मैं इन सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं जिन्होंने २,००० से नीचे भी देखने की कोशिश की है और माननीय त्रिपाठी जी से भी

* १४ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

† १६ दिसम्बर, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री शिवनारायण]

जो आज कहते हैं कि समाज का स्तर हम ऊंचा उठाना चाहते हैं आप तो ऊंचे को नीचा लाना चाहते हैं। हम इस विचारधारा को टालरेट नहीं कर सकते। किसी को पामाल कर देना, ग़रीब कर देना बहुत आसान है लेकिन ऊंचा उठाना मुश्किल है। किसी मकान को गिराने में एक घंटा लगेगा, लेकिन उसको बनाने में बहुत समय लगेगा। आज वाइस-चांसलर की डिगनिटी का क्वेश्चन है, उसकी प्रेस्टीज का क्वेश्चन है जब कि हमारे लेक्चरार्स को १२००, १४०० रुपया तनख्वाह मिलती है तो अगर वाइस-चांसलर को उनसे कम पर रखें तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मैं एक शब्द इस सदन में कहना चाहता हूं जिसके लिए मैं माफ किया जाऊं कि जब हम बाहर जाते हैं जिनकी शिक्षा कम है या जिनकी योग्यता बहुत कम है तो जो दशा हमारी होती है उन बड़े बड़ों के सामने वह कोई छिपी बात नहीं है। (हंसी)। चाहे मदनमोहन जी हों या कोई हों, यह कोई हंसने की बात नहीं है। यह बुरी बात है।

तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, यह बतला देना चाहता हूं कि जो सरकार ने रखा है २,००० रु० यह कुछ ज्यादा नहीं है यह जो कि लाल टोपी वाले उस ब्रिटिश रेजीम की दुहाई देना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा हुआ था कि हमने उनसे कम रखा और हम अपनी डिगनिटी का ख्याल रख रहे हैं।

कल कहा गया कि हमारे मिनिस्टर १,२०० पाते हैं। मैं कहता हूं कि वे रुपये पर नहीं आये हैं। वह पब्लिक सर्वेन्ट हैं, पब्लिक की सेवा की गरज से आये हैं। वह १,२०० क्या १२,००० वकालत से कमा सकते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि यह वाइस-चांसलर मिनिस्टरी की कैटेगरी का आदमी नहीं है, असेम्बली की कैटेगरी का आदमी नहीं है। उसे तो एक संस्था के नौकर की हैसियत से, आगरा यूनिवर्सिटी में एक पेड सर्वेंट की हैसियत से हम रखने जा रहे हैं।

कल यह भी कहा गया कि उनका संरक्षण कौन करे। पब्लिक सर्विस कमीशन से एक मेम्बर रखना चाहिये। हमने तो एग्जिक्युटिव कौंसिल को रखा, उसको पूरी अथारिटी दे दी। सिर्फ गवर्नर उनको रिकमेंड कर देंगे। अगर एग्जिक्युटिव कौंसिल से एक नाम भेजा गया।

एक सदस्य—वह तो कल पास हो गया।

श्री शिवनारायण—सो तो वह हो गया। तो यह जो पे रखी गयी है यह बहुत ठीक रखी गयी है। आज मध्यम वर्ग जो शिक्षा संस्थाओं में खास तौर से काम कर रहे हैं उनको शिकायत है कि उनको वेतन कम मिल रहा है और जितने एजूकेशनिस्ट्स हैं उन सबको शिकायत है और अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो मालूम होगा कि शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों की क्या हालत है।

दूसरी बात यह है कि जो वाइस-चांसलर होगा वह किताबें नहीं लिख सकेगा, वह एग्जामिनर नहीं होगा। हमारे प्रोफेसर जो १२ सौ रुपया पाते हैं वे एग्जामिनर होते हैं, किताबें लिखते हैं। लेकिन वाइस-चांसलर के ऊपर यह प्रतिबन्ध रहेगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने अमेंडमेंट दिये हैं उनको उन्हें वापस ले लेना चाहिये और जो सरकार का प्रस्ताव है उसको मानना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं और जिन लोगों ने संशोधन दिये हैं उनका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह वाइस-चांसलर के सम्बन्ध में जो श्री रामनारायण जी ने संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसके पहले इस सदन में काफी वादविवाद हो चुका होगा और इसके पूर्व ही जब माननीय मंत्रीगण के वेतन के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा चल रही थी तब भी बहुत सी सैद्धान्तिक बातें कही गयी थीं। आज मुझे अपने मित्र शिवनारायण जी को भी सुनने का जो थोड़े में मौका मिला, उन्होंने भी अपने उद्गार व्यक्त किये। कुछ मानों में तो माननीय शिवनारायण जी ने बहुत ही सही भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया है। जहां तक शिवनारायण जी की यह भावना है कि उपकुलपति की डिगनिटी मेन्टेन (मर्यादा सुरक्षित) होनी चाहिये मैं समझता हूं कि शिवनारायण जी की उसी भावना का यह भी अर्थ है कि एक अध्यापक की भी डिगनिटी मेन्टेन होनी चाहिये। शिवनारायण जी जो अपने मधुर स्वर में कुछ कह रहे हैं वह यही कह रहे हैं कि हां, अध्यापकों की भी तनख्वाह बढ़नी चाहिये।

श्रीमन्, मैं आज माननीय मंत्री जी से कुछ निवेदन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। इस सदन के, मैं समझता हूं कि, अधिकांश सम्मानित सदस्य हमारे विचार के साथ होंगे। और मुझे बड़ी खुशी है श्रीमन्, जब कि मैं अपने बगल में कांग्रेस पार्टी के चीफ ह्विप श्री मंगला प्रसाद जी को बैठा हुआ देखता हूं। ये भी शायद हमारे विचार के प्रतीक हों। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह बड़ा सुन्दर संशोधन है और यह संशोधन उस समय आया है जब कि अपने देश की एक स्टेट में मंत्रियों की तनख्वाह विरोधी दल के एक संशोधन के मुताबिक पांच सौ रुपया रह गयी है। मैं सम्मानित सदस्यों से यह पहले ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि वे यह न समझें कि केवल विरोध के लिये मैं विरोध कर रहा हूं। पहले मैं अपने उद्गार रखना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि आप अपने देश की गरीबी को देखें। शिवनारायण जी तो चले गये, शायद हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता था कि जब वे यह कहते हैं कि वाइस-चांसलर विद्यादान करने वाले हैं, उनकी प्रतिष्ठा को सुरक्षित होना चाहिये और उनकी तुलना पुराने महर्षियों और ऋषियों से करते हैं, तो मैं उनकी सेवा में यह विनम्र निवेदन करूंगा कि वे महर्षि और ऋषि भी क्या कभी इस तरह से धन ले करके विद्यादान करते थे। बराबर हमारे यहां कहा गया है :—

सरस्वति के भंडार में बड़ी अपूरब बात,
ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटि जात।

यह विद्यादान एक ऐसा दान है कि जिसके पास यह है उसको स्वतः दान करना चाहिये।

एक और बात माननीय शिवनारायण जी ने कही। श्रीमन्, मैं उसको सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि एक वाइस-चांसलर विद्याविद्विशारद होगा, मगर वाइस-चांसलर की डिगनिटी से उस पर किसी पुस्तक के न लिखने देने का बन्धन लगा करके मेन्टेन करना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं तो यह समझूंगा कि अगर किसी वाइस-चांसलर के लिये यह क्लाज होगा तो अपने देश में ऐसे विद्याविद्विशारद हैं जो ऐसी वाइस-चांसलरी को ठोकर मार देंगे। वहां केवल तनख्वाह ले करके बने रहें इसको हर्गिज वे पसन्द नहीं करेंगे जब कि उनको किसी कानून की धारा से बांध दिया जाय कि वे कोई पुस्तक न लिख सकें। मैं ऐसे वाइस-चांसलर और उपकुलपतियों को जानता हूं कि वे श्रीमन्, अपनी लेखनी को कभी रोक नहीं सकते। उस लेखनी से जो जलप्रवाह की सी विचार-धारा निकलती है उसे मैं श्रेयस्कर समझूंगा बजाय १५०० या २००० रुपये तनख्वाह लेकर किसी उपकुलपति के पद पर बने रहने से। इसलिये अगर विधान की किसी लाइन में भी कहीं इस तरह की चर्चा हो तो मैं चाहूंगा कि जरा उस पर भी हमारे मित्र विचार कर लें।

श्री शिवनारायण—श्रीमन्, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई वाइस-चांसलर किताबें लिखे या एग्जामिनर बने। यह बिलो डिगनिटी की बात होगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं यह नहीं समझता कि इसमें क्या बिलो डिगनिटी (मर्यादा को नीचे गिराने) की बात हो जायगी अगर वे एग्जामिनर हो जायं। मने इस सम्बन्ध में श्री मंगला प्रसाद जी से भी समझने की कोशिश की थी तो उन्होंने भी श्री शिवनारायण जी के विचार का दबी जबान से समर्थन किया। मगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं और मैं माननीय मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं तथा इस सदन में जितने सम्मानित सदस्य हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे सोचें कि स्कूली कोर्स की पुस्तकें लिख करके उससे धन उपार्जन करना, वह एक दूसरी बात है और अन्य पुस्तकों को लिख करके अपने विचार प्रवाहित करना यह एक दूसरी बात है। इसको भी जरा शिवनारायण जी देखें और किसी भी प्राचीन ऋषि महर्षि की चर्चा करें तो मैं उनके सामने नतमस्तक हूंगा और बाहर भी जितने उनके समर्थक हैं उनके सामने भी नतमस्तक होने के लिये तैयार हूं। मैंने जितने भी उदाहरण देखे किसी में मुझे यह नहीं मिला कि तनख्वाह ले करके विद्यादान की गई हो। बुद्ध भगवान की मिसाल हमारे सामने है। क्या हमारे पातंजलि शास्त्री तनख्वाह लेकर के और वेतन ले करके इतने बड़े पंडित हुये। इसलिये जहां तक किसी की डिगनिटी के मेन्टेन होने का सवाल है उसके लिये तो एक ट्रेडिशन (परम्परा) है कि किसी एक व्यक्ति को इतना ऊंचा रख दिया जाय कि समाज के लोग बराबर समझते रहें कि वह बहुत प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हो गया है और दूसरे व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकते। इस मनोवृत्ति को सुरक्षित रखने की बात इस विधेयक के द्वारा यहां की जा रही है। सरकार के लिये आवश्यक है कि अपने देश की आमदनी को देखे और दूसरे देशों की आमदनी को भी देख कर फिर इसे इम्पलीमेंट (कार्यान्वित) करे। दुनिया के और मुल्कों को सामने रखते हुये, उनकी आमदनी में और अपने मुल्क की आमदनी में सैकड़ों और हजारों गुने का फर्क है इसलिये इस चीज को सामने रखते हुये अगर हम अपने यहां के वाइस चांसलर का दूसरे मुल्कों के वाइस-चांसलरों से मुकाबला करेंगे तो यह अनुचित होगा। इस तरह के आंकड़े इस सदन में कई बार प्रस्तुत किये जा चुके हैं और उनको मद्दे नजर रखते हुये, दृष्टिगत रखते हुये माननीय मंत्री जी विधेयक बनाया करेंगे।

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आप हजारों गुने का फर्क बतला रहे हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, चूंकि माननीय माल मंत्री जी फिर जानने के लिये लालायित हो गये हैं, इसलिये मुझे उनकी खिदमत में कुछ निवेदन करना ही पड़ेगा। चाहे वे अमरीका को देखें, चाहे वह इंगलैंड को देखें, चाहे वह रूस को देखें, आज हिन्दुस्तान में पर कैपिटा कैपिटल (एक मजदूर पर लगी पूंजी) केवल १५० है जब कि अमरीका में ७,००० है। यह कितना बड़ा फर्क है। अगर मुझे ब्लेक बोर्ड लेकर के समझाना हो तो मैं माननीय माल मंत्री को अच्छी तरह से समझा सकता हूं कि यह फर्क हजारों में हो जाता है। श्रीमान्, माननीय मंत्री जी यह देखें कि इस तरह से इंगलैण्ड का पर कैपिटा कैपिटल ४,००० के करीब हो चुका है। मगर उनकी समझ में यह बात नहीं आती है। आखिर इन आंकड़ों के फर्क से कितना अंतर हो जाता है। एक हजार का फर्क नहीं है बल्कि कई हजारों का फर्क हो जाता है। मगर हमारे माननीय माल मंत्री जी ज्यादा बिजी (कार्यरत) रहते हैं जैसे कि रामनारायण जी ने कहा कि हमारे माननीय मंत्री जी अपने काम की तैयारी में ज्यादातर बिजी रहते हैं। वह दुनिया में क्या हो रहा है इसको समझने की परवाह नहीं करते हैं। वह तो इस बात में रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन आदि कैसे हो। जहां तक हो सकता है वह वर्तमान ढांचे में कोशिश करते रहते हैं, सरक पायें या न पायें।

श्रीमन्, आपके जरिये मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा के सम्बन्ध में काफी प्रगतिशील कदम उठाना चाहिये और वह कहा भी करते हैं वह उठाना चाहते हैं और उन्हीं के जरिये यह विधेयक उपस्थित हुआ है। यहां यह कहना चाहता हूं कि प्रगतिशील कदम वाइस-चांसलर की तनख्वाह २,००० रुपये माहवार रख कर नहीं उठाया जा सकता है। प्रगतिशील कदम तो उसे ही कहा जायगा जो बराबरी और समानता की तरफ उठाया जाय। शिक्षा के क्षेत्र में जब हम इस खाई को पाटने का काम करेंगे तभी हमारा प्रगतिशील कदम कहा जायगा।

वाइस-चांसलर की डिगनिटी के नाम पर गलत स्लोगन (नारा) उठाकर और गलत नारे लेकर यह कह देना कि वाइस-चांसलर की डिगनिटी सुरक्षित नहीं रह सकती अगर उसको २,००० रु० माहवार तनख्वाह न दी जाय, मैं तो इसको अनर्गल और व्यर्थ का प्रलाप समझता हूं। श्रीमन्, यहां के लोग जानते हैं कि आज भी ऐसे वाइस-चांसलर मौजूद हैं, जैसे आचार्य नरेन्द्र देव जी, जिनको तनख्वाह २,००० या २,४०० रुपये मासिक मिलती है लेकिन उन्होंने घोषित कर दिया है कि वह अपने वेतन का एक तिहाई प्रगतिशील विद्यार्थियों के स्कालरशिप के लिये देते रहेंगे। इसके माने यह हैं कि वह यह समझते हैं कि आज वह जितना वेतन ले रहे हैं उससे कम में भी उनका काम चल सकता है और वह विद्यादान दे सकते हैं और डिगनिटी भी मेन्टेन कर सकते हैं।

मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। आँकड़े की बात मैंने इसलिये कह दी क्योंकि हमारे माल मंत्री जी को बड़ी उत्सुकता और कौतूहल था। इसलिये मैंने समझा.....

श्री चरण सिंह—कौतूहल तो होता ही जब कि आपने हजारों की बात कही।

श्री राजनारायण—मैं अर्ज करना चाहता हूं कि व्यर्थ के वादविवाद में हमें समय खर्च नहीं करना चाहिये बल्कि हम इसके तत्व को ग्रहण करें। माननीय श्री रामनारायण जी ने जो एक हजार रुपये मासिक का संशोधन रखा है वह ठीक है। श्री नवल किशोर और श्री देवकी नन्दन विभव ने, जो कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य हैं १२०० और १५०० रुपये रखा है और श्री श्रीचन्द जी ने ७५० रुपये ही रखा है वह भी शायद कांग्रेस पार्टी के ही मेम्बर हैं। कानों में आवाज आ रही है कि इससे तो वही अच्छा है। कभी-कभी अल्ट्रालेपिटिज्म (अतिशय वाग्वादिता) हो जाता है तो वह भी रिएक्शनरी स्टैप (प्रतिगामी कदम) में चला जाता है। कोई अगर इस तरह से कोशिश करेगा तो उसकी भी हम मुखालिफत करेंगे। हम तो ठीक न्याय चाहते हैं। श्रीमान् जी, इसके औचित्य को सामने रखते हुए रामनारायण जी ने एक हजार रुपये का संशोधन रखा है। श्रीमन्, इसको आप स्वयं समझते हैं कि यह इसी समय प्रस्तुत नहीं किया गया है लेकिन पहले भी किया जा चुका है। चीफ मिनिस्टर की भी एक डिगनिटी है, माननीय शिक्षा मंत्री जी की भी एक डिगनिटी है, वाइस-चांसलर की भी एक डिगनिटी है और इनकी डिगनिटी को भी सामने रखते हुये हमने एक हजार रखा है क्योंकि यह इतना ग़रीब मुल्क है कि इससे ज्यादा किसी भी पद की डिगनिटी मेंटेन करने के लिये हम नहीं दे सकते। उस डिगनिटी को मेन्टेन करने के लिये कितना सुन्दर और कितना बढ़िया संशोधन हमारे मित्र रामनारायण जी ने प्रस्तुत किया।

मैं इतना कहने के बाद पुनः माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अध्यापकों के अन्दर इस सैलरी के सवाल को लेकर आज एक आपसी विद्वेष की भावना बढ़ रही है जो उनके अन्दर छोटे और बड़े का सवाल पैदा कर रही है। वह भी मैं सामने

[श्री राजनारायण]

रखता हूं जो डिसिप्लिन का नाम लेते हैं, अनुशासन का नाम लेते हैं। विद्यार्थियों में, श्रीमन्, अगर आप चाहें कि अनुशासन रहे तो उसके लिये जरूरी है कि अध्यापकों में अनुशासन हो, उनमें भी वह साम्य पैदा हो, उनमें भी परस्पर प्रेम पैदा हो क्योंकि मुझे निजी अनुभव है और अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहेंगे तो उनकी खिदमत में पेश करूंगा और वह भी जानते होंगे कि बहुत से ऐसे कालेजेज हैं जहां अध्यापकों के परस्पर द्वेष के कारण विद्यार्थियों में भी दो दल बन जाया करते हैं। आज माननीय कमलापति जी यहां पर नहीं हैं उन्हें मालूम होगा कि बनारस में सैयद रजा में हायर सेकेंडरी स्कूल है। आज वहां के विद्यार्थियों में भी दो दल हो गये हैं। य सब बातें क्यों हो रही हैं? इसकी अगर कोई तह में जाय तो वह केवल यह नहीं कह सकता कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति में, प्रोफेसर्स की नियुक्ति में, अध्यापकों की नियुक्ति में अगर सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहेगा तो अनुशासन नहीं रहेगा। मैं इस बात को क़तई नहीं मानता और इसकी सख्त मुखालिफ़त करता हूं और इतनी दूर तक मुखालिफ़त करने के लिये तैयार हूं कि कल श्रीमन्, तीसरे पहर शायद आप ही इस पद पर आसीन रहें जब कि लखनऊ के विद्यार्थियों के बारे में बहस होने वाली है। मेरा अपना पक्का विश्वास है कि अगर तमाम पहलू को इस दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो यह भी हमारे लिये एक संकेत होगा। इसलिये, श्रीमान् मैं इशारे के लिये माननीय शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि आज भी सारे सूबे में शिक्षा के क्षेत्र में जो खराबियां हैं, जो परस्पर विद्वेष की भावना बढ़ती जा रही है उस सबकी बुनियाद में एक आर्थिक व्यवस्था भी है। इस आर्थिक व्यवस्था को अगर वह मद्देनजर रखें तो वह किसी भी वाइस चांसलर की डिगनिटी मेनटेन करने के लिये दो हजार वेतन देने की ओर क़दम नहीं बढ़ायेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी आज अपने मुल्क की हालत देखते हुये माननीय रामनारायण जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को सहर्ष स्वीकार करें।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---कोई बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ है इसलिये मैं समझता हूं कि प्रश्न उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसमें चार संशोधन साथ-साथ आये हैं। मैं तो यह समझता था कि यदि माननीय शिक्षा मंत्री सबका समाधान कर दें तो उत्तर देने के लिये चार व्यक्तियों को बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी चाहें तो कुछ कहें नहीं तो मैं रामनारायण जी को बोलने के लिये कहूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--- शिक्षा मंत्री जी को बोलने दीजिये। मुमकिन है कि उनके सदुपदेश का हमारे ऊपर कुछ असर पड़े।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, कल ही से इस संशोधन पर इस भवन में वाद विवाद हो रहा है। दोनों ओर से युक्तियां भी दी गईं। मैं अपने को इस माने में असमर्थ पाता हूं कि उसमें से किसी युक्ति का खंडन करूं। निस्संदेह यह तो सत्य है कि देश की आर्थिक दशा ऐसी है जिसमें हम बड़े लम्बे वेतन नहीं दे सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी कारण हैं, ऐसी भी परिस्थितियां हैं जिनको आपको सामने रखना होगा। मैं स्वयं उन व्यक्तियों में से हूं जो यह नहीं मानते कि किसी पद का मापदंड उसके वेतन से किया जा सकता है। यह बात मैं समझता हूं कि यदि किसी पद को कोई सुशोभित करता है तो उससे पद का मान बढ़ता है न कि व्यक्ति का मान

बढ़ता है। यदि इस धारणा से हम अपने पदों का वेतन रखते हैं तो उसके लिये यह जरूर कहा जायगा कि वह हमारे देश की आर्थिक हालत से मेल नहीं खाता। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको हमें अपने सामने रखना पड़ेगा। ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भी इस विषय पर बड़ा वादविवाद हुआ था वहां भी लोगों में बहुत मतभेद था लेकिन यदि आप देखें तो जो डिसेंटिंग नोट दिया गया है उसमें इस बात पर कोई मतभेद जाहिर नहीं किया गया है। जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे उनके साथी भी वहां थे लेकिन उन्होंने अपने डिसेंटिंग नोट में यह नहीं लिखा कि वाइस-चांसलर की तनख्वाह २ हजार से कम कर दी जाय। अब मैं भवन के सामने वह परिस्थितियां रखना चाहता हूं जिनके कारण २ हजार रुपया रखा गया था। हमारे यहां जितने भी विश्वविद्यालयों के उपकुलपति हैं उनको २ हजार रुपया ही दिया जाता है। मैं इसको बड़ा भारी त्याग नहीं समझता कि कोई वाइस-चांसलर की तनख्वाह दो हजार रुपया लेकर दान कर दे। यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि वह यह समझता है कि उस पद की तनख्वाह दो हजार रुपया ज्यादा है। अगर वह दो हजार न लेकर ५०० रुपया या एक हजार रुपया लेता तो यह माना जा सकता था। इसलिये इसका हवाला देकर माननीय राजनारायण जी ने जो युक्ति रखी उसमें कोई वजन नहीं है।

मैं यह कह रहा था कि हमारे प्रान्त में जितने विश्वविद्यालय हैं, हमारे देश में जितने विश्वविद्यालय हैं, उन सब स्थानों से हमने यह जानने की कोशिश की कि वहां के उप-कुलपतियों की कितनी तनख्वाह है। जहां तक मुझे मालूम हो सका मुझे मालूम हुआ है कि कहीं भी उनकी तनख्वाह दो हजार रुपया से कम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आगरा यूनीवर्सिटी, जो कि सब विश्वविद्यालयों से बड़ी है, उसके उपकुलपति का वेतन अगर कम रखा जाता है तो जब कभी वह उपकुलपतियों की सभा में जायगा तो अपने मन में वह अभाव अनुभव कर सकता है। यद्यपि मैं इस मापदंड को सही नहीं मानता फिर भी उसके ऊपर यह असर हो सकता है कि मेरी तनख्वाह कम क्यों रखी गयी है। अगर आप सब की तनख्वाह कम कर सकें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं लेकिन अगर सब जगह दो हजार रुपया है और एक विश्वविद्यालय में कम हो तो वह जरा ठीक चीज नहीं मालूम होती है। उस सिलसिले में मंत्रियों की बातें या और लोगों की बातें ले आना मेरी समझ में कुछ विषयान्तर होगा लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जैसा कि यहां कहा गया है कि अगर हमारे मुख्य मंत्री १,२०० रु० लेते हैं तो हर एक आदमी १,२०० रु० ले सकता है, मैं समझता हूं कि यह युक्ति इसमें नहीं लग सकती है। यह युक्ति तभी लग सकती है जब आप यह समझ लें और यह मान लें कि हमारे मुख्य मंत्री केवल १,२०० रुपये तनख्वाह के लिये ही यहां काम करते हैं। आप अपने मुख्य मंत्री ऐसे या आचार्य नरेन्द्रदेव जी ऐसे आदमियों को इस प्रान्त के अन्दर अंगुलियों के ऊपर गिन लें तो मालूम हो जायगा कि ऐसे आदमी मिलने बहुत मुश्किल हैं। शिक्षा संस्थाओं में या शिक्षा क्षेत्र में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं जो केवल सेवा भाव से ही काम करना चाहते हैं और वेतन के लिये काम नहीं करना चाहते हैं। अगर हमारे यहां शिक्षा के क्षेत्र में यह स्थिति होती तो न यह आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट ले आने की आवश्यकता होती, न इस विधेयक का नाम लेकर रोना ही शुरू होता। तो इसीलिये मैं यह समझता हूं कि यदि आप यहां तनख्वाह को कम करते हैं तो आगरा यूनिवर्सिटी के उपकुलपति को नीचे स्तर का समझते हैं। क्योंकि अपेक्षाकृत और लोगों के सामने गो कि उसका कार्य ज्यादा है वह सबसे कम तनख्वाह पायेगा। जितने विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं उनके पास बड़े बड़े कालेज हैं जैसे इलाहाबाद को ले लें, लखनऊ को ले लें, बनारस को ले लें, वहां के जो उप कुलपति हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि बड़े-बड़े कालेज हैं लेकिन आगरा विश्व-विद्यालय के उपकुलपति के पास ६६ कालेज हैं। इसीलिये यह रखा गया है कि वहां

[श्री हरगोविन्द सिंह]

का उपकुलपति होल टाइम होगा जिसमें वह इसके लिये अपना समय दे सके। हां, वह हंसने की बात तो नहीं थी जो श्री शिवनारायण जी ने कही। एक प्रोफेसर को आप ले लीजिये, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आप ले लीजिये जो १,२०० रु० तनख्वाह पाता है, मूथम कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है कि एक प्रोफेसर की तनख्वाह बढ़ा कर १,५०० रु० कर देना चाहिये। मान लीजिये कि जो १२०० रु० पाता है वह पेपर सेटर होता है, एग्जामिनर होता है, उसकी किताबें कोर्स में होती हैं लेकिन एक वाइस-चांसलर जो है उसके ओहदे के लिये यह आवश्यक है कि वह एग्जामिनर न हो, वह पेपर सेटर न हो, वह ऐसी किताबें न लिखे जो वहां के कोर्स में प्रेसक्राइब्ड हों। तो इस प्रकार उसकी आमदनी इस दिशा में जरूर बन्द हो जायगी। आज अगर कोई यूनीवर्सिटी का प्रोफेसर है तो उसमें कोई ऐसा नहीं है जिसकी आमदनी चार पांच हजार से कम न हो। इन सब से वाइस-चांसलर वंचित होगा। आप और हम सभी जानते हैं कि अपेक्षाकृत जब आप इलाहाबाद यूनीवर्सिटी का नाम लेते हैं, जब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं तो उसके सामने आगरा यूनीवर्सिटी एक नीचे स्तर की यूनीवर्सिटी समझी जाती है। तो हम यह चाहते हैं कि उसका स्तर ऊंचा हो, वह जरा और बढ़े और बढ़ कर जो हमारी और यूनिवर्सिटीज हैं उनके समान स्तर पर आवे। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा कि आप औरों की तनख्वाह तो वही दो हजार रुपये रखें और इनकी तनख्वाह कम करके १,५००, १,२००, १,००० या ७०० रु० रखें। यह युक्ति होते हुये भी कि हम तनख्वाह इतनी नहीं दे सकते हैं लेकिन आगरा यूनीवर्सिटी का उपकुलपति एक होता है जिसकी तनख्वाह आप १,५०० के बजाय १,००० भी कर दें तो आप क्या बचाते हैं। १ साल में केवल १२,००० रुपये का सवाल है। लेकिन जब और यूनिवर्सिटीज के वाइस-चांसलर्स की तनख्वाह दो हजार रुपये ही रहती है तो यह जरा असंगत सा मालूम होता है कि उसकी तनख्वाह कम की जाय। तो इसमें एक नियम के अनुकूल चीज की जा रही है। यह इस भाव से नहीं किया जा रहा है कि हिन्दुस्तान के लोगों की आमदनी अब बहुत बढ़ गई है इसलिये उनको दो हजार रुपये दिये जायं। इसलिये यह जो प्रस्ताव लाये जाते हैं वे इन प्रश्नों से कम सम्बन्धित हैं और इन कारणों से जो मैंने दिये हैं मैं समझता हूं कि जो दो हजार की तनख्वाह हमने रखी है वह ठीक है और इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो पूरी आशा थी कि जब विरोधी दल और सरकारी दल दोनों की तरफ के माननीय सदस्य इस पर जोर दे रहे थे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कुछ कारण दिये। वे सदन के सामने पहले भी आ चुके हैं। मैं संक्षेप में तीन चार बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। यह कहना कि हमारे संशोधन से वाइस-चांसलर की डिगनिटी पर असर पड़ता है ठीक नहीं है। हमारा यह मंशा नहीं है। कल भी मैंने इस संशोधन को पेश करते हुये पहले ही कहा था कि वाइस-चांसलर का इतना बड़ा पद है कि उसकी तनख्वाह के बारे में कोई संशोधन उपस्थित करना एक नाजुक विषय है और यह गलतफहमी हो सकती है कि हमारी पार्टी की तरफ से किसी भी वाइस-चांसलर को और अन्य लोगों से नीचे स्तर पर देखा जाता है। लेकिन कल भी मने साफ साफ कहा था कि हमारी पार्टी का जो एक हजार का संशोधन है वह हमारी पार्टी की मौलिक नीति पर आधारित है। हमने स्पष्ट कहा है कि अगर कभी हिन्दुस्तान में सोशलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट हुई तो हम अपने प्रेसीडेंट का वेतन एक हजार से ज्यादा नहीं रखेंगे। हम वाइस-चांसलर को बाइज्जत अपने यूनियन के प्रेसीडेंट के पद के समान आसीन करते हैं। कतई मंशा नहीं है कि किसी वाइस-चांसलर के पद को खत्म किया जाय।

कल कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने भारतीय परम्परा की बात कही थी। माननीय विरोधी दल के नेता ने भारतीय परम्परा के बारे में निवेदन किया था। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि भारतीय परम्परा तो विरोधी पक्ष के साथ है सरकारी पक्ष के साथ नहीं है। आमतौर पर समाजवादी लोग पदार्थवादी (मैटीरियलिस्ट) कहे जाते हैं तो पदार्थवादियों की तरफ से तनख्वाह कम करने का प्रस्ताव हो और परमार्थवादियों की तरफ से तनख्वाह ज्यादा करने की मांग पेश की जाय यह समझ में नहीं आता। हमारी यह कतई मंशा नहीं है कि वाइ-सचांसलर की जो डिगनिटी है उसको हम नीचे स्तर पर लावें। कल माननीय ब्रजभूषण जी ने दुखी होकर कहा था और मैं उन भावनाओं की कद्र करता हूं कि जब मैंने वेतन के सम्बन्ध में माननीय आचार्य नरेन्द्रदेव जी की तारीफ की तो उन्होंने यह समझा कि मैंने आजकल उनके अतिरिक्त जितने वाइस-चांसलर्स और यूनिवर्सिटियों के हैं उनकी निन्दा की। कतई नहीं। मैंने किसी वाइसचांसलर की तुलना नहीं की। लेकिन जो अच्छा कार्य करता है उसकी प्रशंसा की जाती है और प्रशंसा मैंने इसीलिये की कि उन्होंने दूसरों के लिये एक आदर्श उपस्थित किया। तो हमारा मतलब यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर होंगे वह जानबूझकर यदि १ हजार रुपये पर काम करते हैं तो हमारे मंत्री या जो और बड़ी बड़ी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं उनपर प्रभाव पड़ेगा। आज आल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा जो प्राइवी पर्सेज हैं या माननीय मंत्रियों की तनख्वाहें हैं उनमें कटौती की मांग की गई है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि यह जो लम्बा भेद है कम तनख्वाह पाने वालों का और सब से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों का वह कम किया जाय। तो एक मौका था कि एक नमूना पेश करते जिससे कि देश के लोगों पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता। मैं भारतीय परम्परा के बारे में कह रहा था कि हमारे यहां पहले यह व्यवस्था थी कि हमारे यहां वेतन गुरु लोग नहीं लिया करते थे। वह वेतन लेना अपना छोटापन समझते थे। कणाद आदि का नाम इसी कारण से चला आता है कि वह खेतों से कण-कण चुन कर अपना निर्वाह किया करते थे लेकिन किसी से भी कोई पैसा नहीं लेते थे। इसी वजह से भारत संसार का गुरू बन गया था लेकिन आज कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि जितने ठाट-बाट से रहा जाय, जितनी ज्यादा तनख्वाह ली जाय उतना ही अच्छा है और उतना ही मनुष्य का स्तर ऊंचा उठता है और उसकी महत्ता पर असर पड़ता है। इसी आधार पर विदेशों में जितने हमारे राजदूत भेजे गये हैं उनको तनख्वाह दी गयी है। महात्मा गांधी ने यह बतलाया था कि सादे ढंग से रहना चाहिये और वह स्वयं उसी पोशाक में बादशाह से मिलने गये और कोई परिवर्तन नहीं किया। इस बात को कांग्रेस पार्टी के लोग ज्यादा समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्होंने क्या उसूल देश के सामने रखा। लेकिन आज उस सिद्धान्त को भुलाया जा रहा है।

मूथम कमेटी रिपोर्ट में यह हो सकता है कि स्टैंडर्ड आफ लिविंग का ध्यान नहीं किया गया हो तो उस आधार पर कुछ तनख्वाह प्रोफेसर की जरूर बढ़नी चाहिये लेकिन १५०० तनख्वाह कर देना आज कल भारत की दशा को देखते हुये उचित नहीं मालूम होता है। अभी कहा गया है कि वाइस-चांसलर कोर्स की किताब नहीं लिख सकते हैं। वाइस-चान्सलर की योग्यता इतनी होती है कि वह कोई न कोई किताब कोर्स की अवश्य लिख सकते हैं और उससे उनको बहुत बड़ी आमदनी हो सकती है। सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गयी जिससे मैं यह समझूं कि मेरा प्रस्ताव वापस लेना जरूरी है। मैं शिक्षा मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि २,००० रुपया बहुत ज्यादा है और वह फिर इस पर विचार करें। मैं अपने संशोधन को फिर प्रेस करता हूं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)--मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)--मैं भी अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा ९ की उपधारा (४) की पंक्ति २ में संख्या "2,000" के स्थान पर "1,000" रख दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१९

विपक्ष में--१३९)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) की पंक्ति २ में "Rs. 2,000" के स्थान पर "Rs. 750" और पंक्ति ४ में "Rs. 200" के स्थान पर "Rs. 75" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१८

विपक्ष में--१३५)

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में नयी धारा ९ की उपधारा (६) की पंक्ति ३ में शब्द "shall" तथा शब्द "be" के बीच में शब्द "ordinarily" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मूल विधेयक में यह कहा गया है कि "No person, who has at any time previously held in a substantive capacity the Office of Vice-Chancellor in the University, shall be eligible for re-appointment." यहां पर इस धारा में उपकुलपति को ५ वर्ष का स्थान दिया गया है और उसको फिर पुर्नानियुक्ति के लिये बिल्कुल डिबार कर दिया गया है। जैसा कि मूथम कमेटी में भी यह कहा गया है कि साधारणतया पुर्नानियुक्ति होनी स्वाभाविक नहीं है लेकिन उस कमेटी में भी यह एक्सेप्शन दिया गया है कि कहीं कहीं किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को दूसरे वक्त का मौका मिलना भी आवश्यक हो जाता है। यहां पर सिर्फ यह शब्द "आर्डिनरिली" जोड़ने से, इस धारा में जो कि एक मैंडेटरी प्राविजन बन गया है, उसमें इस छोटे से शब्द के जोड़ने से एक किस्म का बहुत सुन्दर सा रूप आ जायगा। आर्डिनरिली शब्द के जोड़ने से जो इसका मैंडेटरी प्राविज़न है कि उस व्यक्ति को फिर दूसरी बार वाइस-चांसलर होने का मौका नहीं दिया जायगा, उसे कम से कम ऐसी परिस्थितियों में जब कि विशेष परिस्थितियां आ खड़ी होंगी, फिर से रखे जाने का अवसर रहेगा। स्वभावतः आज हम देखते हैं कि इस राज्य में किसी व्यक्ति को भी एक्स-टेंशन चाहे वह योग्य हो या न हो अगर गवर्नमेंट के यहां तक उसकी पहुंच होती है तो उसको एक्सटेंशन दे दिया जाता है। लेकिन यहां पर हम इस आर्डिनरिली शब्द के जोड़ने से यह अर्थ लाना चाहते हैं जिसको कि मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय स्वीकृत करेंगे और जैसा कि मैंने अभी कहा कि मूथम कमेटी में भी यह प्राविजन दिया गया है। एक स्थान पर यह कहा गया है कि पुर्नानियुक्ति के लिये विशेष परिस्थितियों में मौका दिया जाना चाहिये यहां पर हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रत्येक मंत्री ५ वर्ष के लिये रहे लेकिन जब कानून इतना सख्त बना दिया जाता है तो वह दोबारा नहीं आ सकता। वाइस-चांसलर ऐसा व्यक्ति होगा जिसके ऊपर किसी विश्वविद्यालय का पूर्ण उत्तरदायित्व है और साधारणतया वह ५ वर्ष के लिये चुना जायगा। कभी कभी विश्वविद्यालय में ऐसी परिस्थिति आती है जहां

पर उसके विकास के लिये किसी वाइस-चांसलर को एक टर्म और दो टर्म भी दिये जाने का मौका दिया जा सकता है। हमने पहले भी देखा है कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डाक्टर गंगानाथ झा रहे हैं। वह तीन बार वाइस-चांसलर नियुक्त हुये और उन्हीं के कारण इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड कायम हुआ। इसी तरह से कलकत्ता विश्वविद्यालय के अन्दर भी सर आशुतोष मुकरजी दो तीन बार मुकर्रर हुये और उनके प्रयत्न से कलकत्ता विश्वविद्यालय ने देश में ही नहीं बल्कि कुछ परिस्थिति में बाहर के देशों में भी एक ख्याति प्राप्त की है। इस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी यू० पी० में अपना रेपुटेशन कायम रखा है और ब्रिटिश रेजीम में भी वहां के लड़के प्रत्येक कम्पटीशन में अच्छी परिस्थिति में निकलते थे। उसी प्रकार से आज यह सबको मालूम है कि आचार्य नरेन्द्र देव जी जिस किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं वहां की परिस्थिति सुधर जाती है और जहां बिगड़ी हुई परिस्थिति होती है वह उनकी वजह से एक नया रूप धारण कर लेती है। किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा समय आ जायगा जब यह महसूस होगा कि वाइस-चांसलर को ५ वर्ष से भी अधिक समय दिया जाय। लेकिन जब हम उसका मैंडेटरी प्रावीजन बना देते हैं कि कोई भी व्यक्ति ५ वर्ष के बाद एलेक्शन सीक नहीं कर सकता है तो हम उस कानून को बदल नहीं सकेंगे। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में भी कोई आदमी होता है और उसकी उम्र पूरी हो जाती है, सरविस पूरी हो जाती है तो साधारणतया उसको भी मौका नहीं मिलना चाहिये लेकिन जिस प्रकार गवर्नमेंट यह समझती है उसके द्वारा उनको काम आगे बढाना है तो कानूनी प्रतिबन्ध न होने के कारण उनको भी मौका दिया जा सकता है। उसी प्रकार से यहां भी ऐसा प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। हम जो संशोधन दे रहे हैं उससे गवर्नमेंट के हाथ ही मजबूत होंगे। कोई भी गवर्नमेंट हो अगर वह समझ लेगी कि किसी व्यक्ति का रहना विशेष उपयोगी है। विश्वविद्यालयों में नयी नयी योजनायें प्रारम्भ कर दी जाती हैं और अगर किसी वाइस-चांसलर का एक वर्ष रह गया है और नयी योजना प्रारम्भ कर दी गयी है और गवर्नमेंट चाहती है कि उस योजना को सफल बनाने के लिये उसी वाइस-चांसलर का रहना आवश्यक है तो उस समय यह शब्द "आर्डिनरिली" उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। इसलिये यह शब्द रहना बहुत आवश्यक है।

श्री हरगोविन्द सिंह--पांच दफा वही बात दोहरा कर कही जाती है यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य एक बात को बार बार न कहें।

श्री गंगाधर मैठाणी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार बार तो नहीं कह रहा हूं केवल इसलिये कह रहा हूं कि प्रायः जितने संशोधन रखे गये हैं वे इसलिये नहीं स्वीकृत होते हैं कि दूसरी पार्टी की ओर से रखे गये हैं। यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है, इसलिये मैं इसको प्रस्तुत करता हूं और मुझे आशा है कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का जो कि अभी सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है विरोध करता हूं। यह जो शब्द 'आर्डिनरिली' रखा गया है यह जजेज को बड़ी परेशानी में डालता है। शब्द ऐसा होना चाहिये जिसका अर्थ अच्छी तरह से निकाला जा सके। 'आर्डिनरी' शब्द सीधा परन्तु बड़ा खतरनाक है। अगर इस को मान लिया जाय तो जिस सब-सेक्शन को यह संशोधित करता है वह खत्म हो जाता है। अमेंडमेंट जो हो वह सेक्शन के अन्तर्गत होना चाहिये। सब-सेक्शन में यह दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति वाइस-चांसलर के पद पर अप्वाइन्ट नहीं किया जायगा जो किसी सब्सटेंटिव पोस्ट पर रह चुका हो। 'आर्डिनरिली' शब्द के माने यह होते हैं कि वह हो भी सकता है। सब-सेक्शन यह कहता है कि एप्वाइन्ट न करो और इधर आप यह डिस्क्रेशन दे रहे हैं कि तबियत हो तो एप्वाइन्ट करो और तबियत न हो तो न करो। सब-सेक्शन में डिस्क्रेशन नहीं दिया गया है और आप डिस्क्रेशन देना चाहते हैं। इसलिये आप सब-सेक्शन को ही खत्म कर रहे हैं।

[श्री नौरंग लाल]

ऐसी दशा में जो सब-सेक्शन है उसके विरोध में आपका संशोधन जाता है और इसलिये वह असंगत है ।

दूसरी बात यह है कि आप यह क्यों सोचते हैं कि एक ही काबिल आदमी इस प्रदेश में निकलेगा जो वाइस-चांसलर हो सकेगा । मैं तो यह सोचता हूं कि जिस देश के अन्दर एक काम के लिये एक ही आदमी उपयुक्त हो, वह देश बेकार है । आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भविष्य में इस काम के लिये एक आदमी इस काबिल निकलेगा जो आगरा युनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर हो सकेगा । हम तो यह कहते हैं कि एक दफा एक आदमी हो, दूसरी दफा दूसरा हो और तीसरी दफा तीसरा हो । यह छोटी सी भावना आप दिल में ले करके क्यों यह सोचते हैं कि एक ही आदमी मिलेगा । जो सब-सेक्शन रखा गया है वह ठीक रखा गया है और इस विचार से रखा गया है कि ऐसा न हो कि कोई वाइसचांसलर फिर अपनी पार्टी जमा ले । इन सब बातों को सोच करके यह सब-सेक्शन रखा गया है और आवश्यकता होने पर यह तब्दील भी किया जा सकता है । लेकिन मौजूदा परिस्थिति में यही जरूरी है कि इस सब-सेक्शन को कायम रखा जाय कोई डिस्क्रीशनरी पावर न दी जाय । इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, कल आपकी कृपा दृष्टि से मुझे इस सदन में अपना शोक प्रकट करने का अवसर मिला था । आज फिर आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी, किन्तु आज शोक के स्थान में मुझे हार्दिक हर्ष प्रकट करना है । मुझे खुशी हुई जब मने माननीय शिक्षा मंत्री को गुलूबन्द लपेटे हुये यहां बैठे देखा । इससे मैं यह समझा कि कल का व्यर्थ क्रोध उन्होंने आज त्याग दिया है ।

मैं यह नहीं समझ पाया कि यह उपधारा किस सिद्धांत के अनुसार इस विधेयक में रखी गयी है । पहले ऐक्ट में वाइसचांसलर की अवधि तीन साल की थी । इस विधेयक में उसको तीन साल से बढ़ा कर पांच साल तक कर दिया गया है, यानी हमारी वर्तमान सरकार यह समझती है कि तीन साल का समय काफी नहीं है और एक नये वाइसचांसलर को कम से कम पांच साल का अवसर देना आवश्यक है जिससे वह अपना असर उस यूनिवर्सिटी के ऊपर डाल सके और अपनी काबलियत का कोई नमूना पेश कर सके । यह जो दो साल सरकार ने बढाया है यह बहुत उचित किया, किन्तु अभी उसका प्रश्न विशेषकर सामने नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या एक व्यक्ति की अवधि पांच साल से अधिक नहीं हो सकती ? जो उपधारा इस समय हमारे सामने है उसका तात्पर्य यही निकलता है कि एक व्यक्ति वाइसचांसलर के पद को केवल पांच साल के लिये ही ग्रहण कर सकता है । यह किस सिद्धांत के अनुसार है या किस विचारधारा के अनुसार है जिससे कि सरकार इस निश्चय पर आई है कि पांच साल से अधिक किसी भी व्यक्ति को चाहे वह कितना ही काबिल साबित क्यों न हुआ हो, चाहे उसने उस यूनिवर्सिटी में कितनी ही तरक्की क्यों न की हो, मौका नहीं मिलेगा और उसके ऊपर कलंक लगाकर उसे यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर होना मना कर दिया जायगा । मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति बहुत हों और वह दिन बुरा होगा जैसा कि नौरंग लाल जी ने कहा, जबकि सरकार या देश के सामने आगरा युनिवर्सिटी की वाइसचांसलरशिप के लिये एक ही व्यक्ति हो । यह हमारे लिये बड़े सौभाग्य की बात होगी कि हमारे देश में एक से एक बड़े व्यक्ति ऐसे पदों को ग्रहण करने के लिये आते रहें । परन्तु यह उस प्रश्न का उत्तर नहीं कि एक समय एक व्यक्ति को तलाश करने के पश्चात्, उसे पांच साल का अवसर देने के पश्चात् और जबकि वह उस पांच साल के अवसर में अपनी काबलियत दिखाता है, जब कि वह व्यक्ति स्वस्थ है और काम करने के काबिल है और काम करने की इच्छा रखता है, उसके ऊपर सरकार किसी किस्म का प्रतिबन्ध उसको दोबारा नियुक्त होने में लगाये । अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा विचार है एक वाइस-चांसलर का प्रभाव उस युनिवर्सिटी में केवल ५ साल ही तक नहीं केवल १० साल तक ही नहीं बल्कि उसका प्रभाव युनिवर्सिटी में उसके देहान्त के पश्चात् भी रहता है । यह बात हमारे

माननीय मंत्री महोदय भी मानेंगे कि आज यदि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी को हम मदनमोहन मालवीय यूनिवर्सिटी के नाम से पुकारें तो यह कोई गलत बात नहीं होगी। पूजनीय मालवीय जी का प्रभाव आज भी उस यूनिवर्सिटी में उतना ही है जितना कि उनके जीवन में था। इस उदाहरण से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कहना कि एक व्यक्ति को एक यूनिवर्सिटी का वाइसचांसलर केवल पांच साल तक ही रहना चाहिये और उसके पश्चात् किसी और को वहां वाइसचांसलर होने का मौका दिया जाय, यह कोई बहस नहीं है। साथ ही साथ यहां जब हम देखते हैं कि इस विधेयक द्वारा वाइसचांसलर की नियुक्ति के संबंध में काफी परिवर्तन कर दिया गया है और एक्जीक्यूटिव कौंसिल के ऊपर बहुत प्रतिबन्ध डाला गया है और एक्जीक्यूटिव के पर्सनल में भी बहुत अदल बदल किया गया है, तो मैं नहीं समझ पाता कि किस तरह कोई वाइसचांसलर एग्जीक्यूटिव कौंसिल द्वारा नियुक्त हो जायगा और यदि यह संभव हो तो उसके पांच साल पद ग्रहण करने के पश्चात् उसके दोबारा नियुक्त होने के रास्ते में सरकार क्यों बाधा डाल रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सबको मालूम है और श्री नौरंगलाल जी की बहुत सबको खटकती है कि एक व्यक्ति को एक से अधिक मौका देना उचित नहीं है। हम जानते हैं, जैसाकि मैंने शुरू में कहा कि बहुत से महामान्य व्यक्ति भारतवर्ष में पाये जा सकते हैं किन्तु यह मानना पड़ेगा कि हमारे वर्तमान वाइस प्रेसीडट साहब सरीखे, या डाक्टर अमरनाथ झा सरीखे या श्री आचार्य नरेन्द्र देव जी सरीखे जहां भी जायेंगे वहां के लोग हमेशा यह चाहेंगे कि वे हमेशा यथाशक्ति वाइस चांसलर बने रहें। हालांकि मैं नौरंगलाल जी से इस बात में सहमत हूं कि जो इस संबंध में सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से प्रस्ताव आया है उसके शब्द बहुत स्पष्ट नहीं हैं। मेरी इच्छा शुरू में श्री वासुदेव प्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करने की थी लेकिन पार्टी पोलीटिक्स की वजह से वह पेश नहीं हो सका। इसलिये मैं श्री गंगाधर मैठाणी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में और अधिक कहना अनावश्यक है। मैं इस संबंध में केवल यह कह देना चाहता हूं कि जिस समय सिलेक्ट कमेटी में यह चर्चा हो रही थी मैं वहां उपस्थित था और मैंने इस प्रश्न को उठाया भी था और इस पर काफी चर्चा हुई थी। इतना मैं और कह देना चाहता हूं जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन के सामने कहा है कि फलां चीज का जिक्र नोट आफ डिसेंट में नहीं है इसलिये यह समझा जाना चाहिये कि इसको कमेटी ने यूनानिमस पास किया है। जैसा कि हमारा अनुभव है और शिक्षा मंत्री जी का भी अनुभव है कि नोट आफ डिसेंट न देने के माने यह नहीं हैं कि उससे सब लोग सहमत हैं। बहुत से लोग लिहाज की वजह से चुप हो जाते हैं।

अन्त में प्रार्थना करूंगा कि यह प्रतिबन्ध अनावश्यक है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ५वर्ष से ज्यादा समय देना ठीक नहीं है तो हमारी नई एक्जीक्यूटिव कौंसिल इस व्यक्ति का नाम ही नहीं भेजेगी। जब आपने एक तरफ यह चीज बना दी है तो फिर यह रिडेंडेंट सा क्लाज बन जाता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी इसको डिलीट करने की कृपा करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और श्री बालेन्दुशाह जी के भाषण को आज सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कल जो वाइसचांसलर के निर्वाचन की विधि इस विधेयक में दी हुई है उस पर उनको बड़ी आपत्ति थी कि सरकार अपना आदमी रखना चाहती है इसलिये यह निर्वाचन की विधि रखी गई है। कल उन्होंने मेरे भाषण के बाद हमारे पक्ष में वोट दिया होता तब तो मैं समझता कि मेरे कहने के बाद कि सरकार की कोई इसमें छिपी नीति नहीं है, ऐसी बात यदि होती तो मुझे ताज्जुब न होता। लेकिन आपने वोट भी वैसे ही दिया जिसमें आपको सरकार की छिपी नीति दिख रही थी कि वह अपनी मर्जी का वाइस-चांसलर चाहती है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में मंत्री जी कुछ कह रहे हैं इसलिये मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। कल मैंने जो कहा था उसका आज उल्टा मतलब लगाया जा रहा है । कल जो मैंने निर्वाचन के संबंध में निवेदन किया था उसका स्पष्टीकरण यह है कि.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—प्वाइन्ट आफ़ आर्डर। माननीय मंत्री जी खड़े हैं, दो सदस्य एक साथ नहीं खड़े रह सकते।

श्री हरगोविन्द सिंह—किसने उनको बोलने का मौका दिया ? मैं तो बैठा नहीं और उपाध्यक्ष जी ने भी आज्ञा नहीं दी।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मैं स्पष्टीकरण के लिये मौका चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या स्पष्टीकरण आवश्यक है ?

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—जी हां।

श्री उपाध्यक्ष—तो कहिये।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी जिक्र किया कि कल जब वाइसचांसलर की नियुक्ति का जिक्र यहां चल रहा था तो मैंने सरकार के संशोधन का विरोध किया था। यह बात सही है, किन्तु अंतिम नतीजा यही हुआ कि सरकार ने जो पेश किया था वही पास हुआ। तो आज मुझे उसी के मुताबिक अपना भाषण देना है। यह नहीं कि मैं लकीर का फ़कीर बना रहूं और अपने विचारों का गुलाम बना रहूं।

श्री हरगोविन्द सिंह—बात यह है कि बिगड़ी हुई बात किसी तरह से बनती नहीं। आपने एक्सप्लेनेशन अपना यह दिया कि वह पास हो गया। तो आपका तो यह आक्षेप था कि जो विधेयक में विधि रखी गयी है उसमें सरकार का एक छिपा हुआ हाथ है। अपने आदमी को यहां रखने के लिये सरकार ने ऐसा रखा, यह आपका आक्षेप था। तो इसलिये अगर सरकार अपना ही आदमी रखना चाहती है तब तो आपको इसका विरोध करना चाहिये था। उसमें "आर्डिनरीली" न रखते वर्ना सरकार एक दफा निर्णय करेगी और फिर दूसरी दफा उसको बना देगी। तो मुझे ताज्जुब यही हुआ कि जब बालेंदुशाह जी ने कहा कि जो संशोधन आया वह उसका विरोध करेंगे। लेकिन वह आज यह कहने लगे कि कानून में इसकी गुंजाइश होनी चाहिये कि अगर वह चाहें तो पांच वर्ष के बाद भी शासनारूढ़ कर दें। कारण स्पष्ट है कि उन्होंने स्वयं कहा कि तीन वर्ष के बजाय पांच वर्ष कर दिया गया। दूसरे मैंने स्वयं कल कहा था कि अभी तक जिस दिन वाइस-चांसलर चुन लिया जाता है उसी रोज से दूसरे वाइसचांसलर के चुनाव की तैयारी होने लगती है ताकि वह वाइसचांसलर जान जाय कि उसे पांच वर्ष ही रहना है और फिर नहीं होना है इसलिये उसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट न रहे और पार्टीबन्दी न करे कि जिसमें फिर वह पांच वर्ष के बाद चुना जा सके इसको ऐसा नहीं रखा गया और बहुत सी कमेटियों ने भी यही रिपोर्ट दी कि एक दफा वाइस-चांसलर चुन लिया जाने के बाद राधाकृष्णन कमीशन ने भी यही रेकमेंड किया है उसको दूसरी दफा नियुक्ति का अवसर नहीं होना चाहिये। इसीलिये उसमें यह रखा गया है। यह भी इस बात का बड़ा भारी सबूत है और अगर बालेंदुशाह जी इससे संतुष्ट न हुये हों तो वह देख लें कि यह भी इस बात का सबूत है कि सरकार अपना कोई आदमी वहां थोपना नहीं चाहती है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नौरंग लाल जी ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है। वे काबिल वकील हैं अगर वे इस भाषा को ठीक ढंग से पढ़ते कि "नो परसन" के बाद "शैल आर्डिनरीली बी एलिजिबिल" है तो इसका साफ अर्थ समझते। इस क्लाज का जब इंटर-

प्रिटेशन करें तो उसका साफ अर्थ है कि 'इन वेरी एक्सट्रा आर्डिनरी सरकमस्टैंसेज'। वैसे तो इस सिद्धांत को मानता हूं कि कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जायगा लेकिन मेरे बार-बार कहने का मतलब यही है कि 'इन वेरी एक्सट्रा आर्डिनरी सरकमस्टैंसेज'। अगर वहां पर यह जोड़ दिया जायगा तो कानून का एक अच्छा रूप हो जायगा और इसे रखने में भी कौन सी आपत्ति है क्योंकि जैसा अभी विधेयक में रखा गया है उसकी नियुक्ति के लिये एक ऐसी तिकड़मबाजी का रूप दिया गया है कि एक सेलेक्शन कमेटी होगी और वह नाम चांसलर के पास जायेंगे। तो वहां तो काफी मौका रहेगा इस बात को देखने का कि आया इस व्यक्ति की नियुक्ति युनिवर्सिटी के हित में है या अहित में है या वहां की पार्टीबाजी बढती है या घटती है इस बात का काफी अवसर मिलेगा। तो ऐसा रखने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये और अगर यह कहा जाय कि किसी ऐसे पद पर ५ वर्ष से अधिक नहीं रहना चाहिये तो ऐसे पदों पर तो मिनिस्टर लोग भी हैं, उनके लिये भी ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन इस बात को आप कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वे भी बदल दिये जायं तो काम अच्छा चलेगा। इसलिये मेरे ख्याल में अगर ऐसा प्रावीजन कर दिया जाय और इस क्लाज को मेंडेटरी न बनाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसा लूपहोल होगा तो किसी की नियुक्ति फिर हो तो सकेगी। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं इसको स्वीकार नहीं करता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में नयी धारा ९ की उपधारा (६) की पंक्ति ३ में शब्द 'shall' तथा शब्द 'be' के बीच में शब्द 'ordinarily' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(श्री गेंदा सिंह का संशोधन उपस्थित करने के लिये श्री गंगाधर मैठाणी के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—मेरे ख्याल से आपको कोई लिखित अधिकार तो नहीं दिया गया है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी—श्रीमन्, यहां की परम्परा ऐसी ही है कि यह मान लिया जाता है कि उनको लिखित आज्ञा दे दी गयी है। इसके बारे में आपकी ही व्यवस्था मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष —मेरे पास उसकी सूचना भेज दीजिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—जी हां, ऐसा कर दिया जायगा।

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में धारा ९ की उपधारा (९) की तीसरी पंक्ति में शब्द 'Current' के स्थान पर शब्द 'Routine' रख दिया जाय तथा उक्त उपधारा के अन्त में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय—

"but he shall not preside at the meetings of the University authorities."

उपाध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम में भी यह था—

"Until such arrangements have been made, the Registrar shall carry on the current duties of the Vice Chancellor....."

जहां तक यूनिवर्सिटीज का संबंध है रजिस्ट्रार और वाइस-चांसलर का काम बिलकुल अलग-अलग है लेकिन दोनों के काम महत्वपूर्ण अवश्य हैं लेकिन जहां कुछ आवश्यक परिस्थितियां हो जायं वहां पर रजिस्ट्रार को वाइस-चांसलर के पूरे अधिकार दिये जाना स्वाभाविक नहीं है। इसलिये जो शब्द नीचे दिये गये हैं उनको जोड़ देना बहुत आवश्यक है। आगरा विश्वविद्यालय का पुराना जो ऐक्ट है उसमें भी यह शब्द रखे हुये थे—

[श्री गंगाधर मैठाणी]

तथ्य यह है कि रजिस्ट्रार कागजात को रखता है, यूनिवर्सिटी के रिकार्ड को रखता है, ऐसी स्थिति में वह प्रीसाइड करे यह सुन्दर न होगा और न उसमें ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐफीशियेंसी हो रहेगी। यह ठीक है कि यूनिवर्सिटी का काम बन्द न हो इसलिये रजिस्ट्रार को रोटीन वर्क के चालू रखने के अधिकार दे दिये जायं लेकिन अगर किसी की नियुक्ति का सवाल हो या कोर्ट की मीटिंग आदि हो और उसम प्रेसाइड करने का सवाल हो, तो उसको ऐसे अधिकार नहीं मिलने चाहिये। जो शब्द बाद को जोड़े जा रहे हैं वे पहले कानून में भी थे, उनको अगर फिर जोड़ दिया जायगा तो बहुत सुन्दर होगा। जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है उससे रोज के काम में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होगी और काम बराबर चलता रहेगा।

श्री हरगोविन्द सिंह —माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के दो अंश हैं। एक तो यह है कि "current" के स्थान पर "routine" कर दिया जाय। मैं नहीं समझता कि ऐसा करने से क्या फायदा होगा। यह तो ठीक है कि रजिस्ट्रार वाइसचांसलर के अबसेंस में सब रोटीन ड्यूटी कर लेगा और वह ऐसा करता ही है। तो इस वजह से इसका तो मुझे विरोध है। दूसरी बात जो है अगर वे चाहते हैं तो हम इसको मान भी सकते हैं कि रजिस्ट्रार, वाइस-चांसलर की नियुक्ति जब तक न हो जाय तब तक, यूनिवर्सिटी की किसी मीटिंग में प्रेसाइड न करे, आर्डिनरिली वह करता भी नहीं है क्योंकि एक तो इस तरह की कोई मीटिंग एक्जी-क्यूटिव की या सिनेट की होती भी नहीं है और अगर होती भी है तो उसमें के सब लोग मिलकर उसी में से अपना चेयरमैन चुन लेते हैं। अगर वे चाहते हैं तो पहले पार्ट को विदड्रा कर लें, मैं दूसरे पार्ट को मान लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को पहला हिस्सा स्वीकार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, दूसरा हिस्सा स्वीकार है।

श्री गंगाधर मैठाणी—तो मैं अपने संशोधन का पहला हिस्सा वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन का पहला हिस्सा वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ में धारा ९ की उपधारा (९) के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ दिया जाय—

"but he Shall not preside at the meetings of the University authorities."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंश माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७, ८, ९ और १०

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १० का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा १० में—

(१) उपधारा (२) में शब्द "Statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं;

(२) उपधारा (५) में शब्द "Statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

(३) उपधारा (६) में शब्द "Statutes" और "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

८—मूल अधिनियम की धारा ११ में—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा ११ का संशोधन।

(१) उपधारा (२) में शब्द "fixed by the Executive Council" के स्थान पर शब्द "prescribed by the Ordinances" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (३) में शब्द "menial" के स्थान पर शब्द "inferior" रख दिया जाय और शब्द "Regulations" के पहिले शब्द "the Ordinances" जोड़ दिये जायं।

(३) उपधारा (४) में शब्द "the Statutes" और शब्द "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

९—मूल अधिनियम की धारा १२ में शब्द "the Statutes" और शब्द "and" के बीच में कामा लगा दिया जाय और उसके बाद शब्द "the Ordinances" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १२ का संशोधन।

१०—मूल अधिनियम की धारा १३ के मद (iv) में शब्द "the Board of Inspection" के स्थान पर शब्द "the Finance Committee" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १३ का संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष—खंड ७, ८, ९ और १० में कोई भी संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ७, ८, ९ और १० इस विधेयक के अंश माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

११—मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट ८, १९२६ की धारा १४ का संशोधन।

"*The Senate*:—

14. (1) Subject to the provisions of the Statutes, the Senate shall consist of the following members so, however, that—

(*a*) the total number of members excluding the ex-officio and life members shall not exceed 125 ; and

(*b*) the number of members who may be in the service of the University or an affiliated college shall at no time exceed the number of other members ;

Class I. *Life Members*—

(i) Such persons as may be appointed by the Chancellor to be life members on the ground that they have rendered eminent service to the University or to the cause of learning ;

Provided that their number in the Senate shall not at any time be more than four.

(ii) Persons who have made donations of Rs.20,000 or more to and the purposes of the University.

(iii) All persons who have held the office of Vice-Chancellor in the University for one complete term.

Class II. *Ex-officio Members*—

(i) the Chancellor ;

(ii) the Minister of Education in the Government of Uttar Pradesh ;

(iii) the Vice-Chancellor ;

(iv) the Director of Education, the Director of Industries, the Director of Agriculture, and the Director of Medical and Health Services, Uttar Pradesh ;

(v) the Vice-Chancellors of all the other Universities established by law within the territory of Uttar Pradesh ;

(vi) the members of the Executive Council of the University.

Class III.

Representatives not exceeding ten, as may be determined in accordance with the Statutes, of persons who have made donations of sums of Rs.2,500 or more but less than Rs.20,000.

Class IV.

Representatives, not exceeding five, of industries, commerce, agriculture, learned bodies and the professions.

Class V.

Seven persons who are members of the Uttar Pradesh Legislature, out of whom five shall be membes of the Legislative Assembly and two shall be members of the Legislative Council.

Class VI.

Twenty representatives of the Registered Graduates to be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote by the Registered Graduates from among such Registered Graduates as are not in the service of the University or an affiliated college and whose names have been on the Register of Graduates for at least three years.

Provided that no Registered Graduate shall be entitled to vote at an election unless his name has been on the Register for at least one year prior to the date appointed for the return of voting papers.

Class VII.

Such number, as may be prescribed by the Statutes, of representatives of the Academic Staff and of the Managements of the affiliated colleges consisting of the following categories :—

(i) Teachers of the University ;

(ii) Principals of affiliated colleges of class A ;

(iii) Principals of affiliated colleges of class B ;

(iv) Teachers of affiliated colleges of class A ;

(v) Teachers of affiliated colleges of Caiss B ;

(vi) Representatives, not exceeding ten, of the Managements of affiliated colleges, other than those maintained exclusively by Government, of whom not less than one-half shall be representatives of colleges of class A.

For the purpose of this clause affiliated colleges shall be classified by the Statutes as Colleges of class A or class B according to the amount of advanced instruction imparted in them.

Class VIII.—Nominees of the Chancellor not exceeding ten.

(2) Subject to the provisions of Section 36 the term of members other than members belonging to classes I and II shall be five years.

(3) The manner of selection of members of classes III, IV, VI, and VII shall be determined by the Statutes.

(4) The Chancellor may declare vacant the seat of a member other than an *ex-offcio* or life member who has absented himself from three consecutive annual meetings of the Senate without sufficient cause."

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ११ में धारा १४ की उपधारा (b) की दूसरी पंक्ति के शब्द "exceed" के स्थान पर "be less than one half" रख दिया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस उपधारा का जिक्र है वह इस प्रकार है—

"The number of members who may be in the service of the University or an affiliated college shall at no time exceed the number of the other members."

यह तो उपस्थित विधेयक की धारा (b) है ।

मेरे संशोधन के बाद उसका यह रूप होगा—

"(*b*) the number of members who may be in the service of the University or and affiliated college shall at no time be less than one-half....."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन का मतलब यह है कि इस १२५ में से जो ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटीज की सर्विस में है या अफीलियेटेड कालेजेज की सर्विस में हैं उनकी संख्या आधे से कम न हो । उसके माने यह हैं कि १२५ के आधे ६२ होते हैं यानी ६३ से कम कभी न हों जो धारा में है उससे यह भी हो सकता है कि निश्चित संख्या न होने पर या और कोई प्रतिबन्ध न होने पर वह बहुत कम भी हो सकते हैं । खास तौर पर जब अभी यह पता नहीं है कि सिनेट का कांस्टीट्यूशन किस तरह का हो । तो ऐसी दशा में इस विधेयक में इस धारा का अनिश्चित सा छोड़ देना मुनासिब नहीं मालूम होता और इसी सिद्धांत के मातहत मेरा यह संशोधन है । इसके साथ ही उनका रिप्रेजेंटेशन होने के माने यह है कि वे अपनी यूनिवर्सिटी का प्रबन्ध खुद ज्यादा करें । उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल नामुनासिब बात है कि यूनिवर्सिटी के बाहर के लोग वहां के लोगों से ज्यादा हों । अपने घर में प्रधानता दूसरों की दूसरे शब्दों में यह चीज हो जाती है । मैं इसलिये भी यह मुनासिब नहीं समझता हूं कि अपने आप प्रबन्ध करना अटानामी का प्रथम उसूल है । हो सकता है कि माननीय मंत्री जी यह कहें कि इसमें पार्टीबाजी हो जाने की संभावना है और बाहर के लोग जो वाइस-चांसलर की तरफ से चुने चुनाये हैं उनकी वोटिंग में अगर जरूरत हो तो हार जायं । तो उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब इस किस्म का मौका आया है और जब-जब डिसेण्ट्रलाइजेशन के संबंध में हमारी तरफ से कोई संशोधन उपस्थित हुआ है तो हमने सदैव यह कहा है कि अपना प्रबन्ध खुद करना चाहिये । इसी मूलभूत सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं और यह दुनिया का सर्वमान्य सिद्धांत है और इसी सिद्धांत को लेकर कांग्रेस ने ६० साल तक लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता प्राप्त की । लेकिन आज हमारे यहाँ अपना राज्य है हम अपनी यूनिवर्सिटी के प्रबन्ध में यूनिवर्सिटी के बाहर के लोगों को रखें यह नामुनासिब बात है । हो सकता है कि वहां के लोगों को रखने में कुछ गड़बड़ियां

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

हों लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के लोग कुछ गड़बड़ी करते हैं या गलती करते हैं तो भी उनको गलती करने का अधिकार है। गलतियां हर तरफ होती हैं। आज हमारे प्रदेश में कांग्रेस मंत्रिमंडल है। उसका इस बात का दावा है कि वह जनता की चुनी हुई है अगरचे हम कभी इस दावे को नहीं मानते और इसलिये नहीं मानते कि वोटों की संख्या उस दावे के विपरीत पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कांग्रेस मिनिस्ट्री को उसके फुल टर्म काम करने की पूरी सुविधा देना चाहते हैं क्योंकि इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है। प्रजातंत्र में जब एक मरतबा एक बाडी कांस्टीट्यूट हो गई तो उसको पूरा मौका अच्छा काम करने या गलत काम करने का दिया जाना चाहिये। यह फूलप्रूफ कभी नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इंग्लैण्ड की डिमोक्रेसी की तरफ दिलाना चाहता हूं कि उसका सैकड़ों वर्ष पुराना इतिहास है। लेकिन हमारी सरकार इसके विरुद्ध है। सरकार म्युनिसिपल बोर्ड को स्वायत्त शासन देती है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को स्वायत्त शासन देती है लेकिन सब की बागडोर अपने हाथ में रखती है। एक पंचायत के डाइरेक्टर जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों को निकाल सकते हैं। हमने इन बातों को बारबार कहा है कि जो आदमी वोट देता है उसको ही पावर आफ रिकाल का हक मिलना चाहिये। गलती करने का अख्तियार प्रजातंत्र में होता है। और गलती से ही तरीका सीखा जाता है और इसका मूलभूत सिद्धांत भी यही है लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात से डरती रहती है। वह यह समझती है कि आगरा यूनिवर्सिटी के सीनेट में जिसमें वायस-चांसलर, डीन आफ फैकेल्टी रहेंगे और सरकार के आदमी उसमें रहेंगे तो उसमें आधे से ज्यादा संख्या बढ़ जायगी तो कोई गड़बड़ न होने पायेगी। सरकार इन लोगों पर अविश्वास करती है। मैं तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये यह मुनासिब समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें और आगरा यूनिवर्सिटी में अपने घर में गैरों का रोब जमने का काम न करें।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---श्री त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है उसका अभिप्राय यह है कि सिनेट में यूनिवर्सिटी के अन्दर के वे लोग जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं उनकी संख्या आधे से कम न होने पावे। श्रीमन्, यह एक बड़े महत्त्व का विषय है और मेरा अपना अनुमान है कि त्रिपाठी जी ने स्वयं इसकी इम्प्लीकेशन्स को समझा नहीं है। विश्वविद्यालय में अध्यापकों की यह मांग रही है कि यूनिवर्सिटी के शासन में और यूनिवर्सिटी की देखभाल में सारी जिम्मेदारी और अधिकार उन्हीं के हाथ में छोड़ दिये जायं। सीनेट यूनिवर्सिटी की मुख्य संस्था है। प्रश्न यह है कि यूनिवर्सिटी की सीनेट में उन्हीं लोगों का बहुमत हो जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं या बाहर के लोगों का भी यूनिवर्सिटी के शासन में हाथ हो। यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं उनका यह कहना है कि बाहर के लोग और वे लोग जो कर्मचारी नहीं है उनका यूनिवर्सिटी से संबंध नहीं है वे वहां की बात ज्यादा नहीं समझते हैं। इस वजह से वे कर्मचारी स्वयं यूनिवर्सिटी के शासन को अच्छी तरह से चला सकते हैं। इसलिये सीनेट के अन्दर या एक्जिक्यूटिव कौंसिल के अन्दर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिये।

जहां यूनिवर्सिटी की शिक्षा की नीति का प्रश्न है वह एकेडेमिक कौंसिल के द्वारा होता है। यूनिवर्सिटी के शासन की सारी जिम्मेदारी सीनेट पर होती है। अगर शिक्षक वर्ग जो कि यूनिवर्सिटी का कर्मचारिवर्ग है यह समझता है कि यूनिवर्सिटी के चलाने की सारी जिम्मेदारी और उसके चलाने का सारा भार उनके ही ऊपर है तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह भूल है। यूनिवर्सिटी के शासन की जिम्मेदारी उन कर्मचारियों के ऊपर ही नहीं है बल्कि समाज और प्रांत के रहने वाले लोगों से भी उसका बहुत संबंध है। इसके अतिरिक्त यूनिवर्सिटी से जो विद्यार्थी निकलते हैं जो कि रजिस्टर्ड स्नातक होते हैं वे यूनिवर्सिटी के काम से काफी दिलचस्पी रखते हैं और उनके ऊपर भी यूनिवर्सिटी के शासन की जिम्मेदारी डाली जा सकती है

और कोई वजह नहीं है कि यूनिवर्सिटी के शासन में ऐसे लोग जो कि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी नहीं हैं या शिक्षा से काफी दिलचस्पी रखते हैं उनका भी संबंध रहे। वे भी उसी विश्वविद्यालय के स्नातक हैं और उनको भी उससे बाहर न रखा जाय।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बहुधा यह देखा गया है कि लगभग आधे सीनेट में या यूनिवर्सिटी कोर्ट में उसके इण्टर्नल सदस्य होते हैं। प्रोफेसर वगैरह और दूसरे कर्मचारीगण जो कि वेतन पाते हैं और वह लोग जो यूनिवर्सिटी के अध्यापक नहीं हैं कोर्ट के मेम्बर हैं या सीनेट के मेम्बर हैं वह समयाभाव से या दूसरे कारणवश मीटिंगों में नहीं पहुंच पाते हैं और उसका फल यह होता है कि वही लोग बहुमत में पहुंच जाते हैं और भाग लेते हैं। अकसर इन्क्वायरी कमेटीज की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ऐसा होना मुनासिब नहीं है और विश्वविद्यालय के शासन को सुचारु रूप से चलाने के लिये कोर्ट या सीनेट में एक्सटर्नल मेम्बर्स का बहुमत रहे जिससे जहां तक शासन का संबंध है, यूनिवर्सिटी को ठीक से चलाने का संबंध है उसमें वह लोग भी अच्छी तरह से हिस्सा ले सकते हैं।

इसके अलावा एक बात और है और वह यह कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपने विषय को जानने वाले होते हैं और अपने सब्जेक्ट की ही उनको पूर्णरूप से जानकारी होती है लेकिन ऐसा भी होता है कि वह अपने विषय में ऐसे डूबे रहते हैं कि जितनी सांसारिक बातें होती हैं उनमें उन की रुचि ज्यादा नहीं होती। इसलिये यह लाजमी नहीं है कि जो प्रोफेसर हो वह अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी हो। जहां तक वाइसचांसलर की नियुक्ति का संबंध है यह प्रश्न कई कमेटियों के सामने आया कि वाइसचांसलर प्रोफेसर होने चाहिये। वहां यही कहा गया कि वाइसचांसलर की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने की ही नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय को अच्छी तरह से चलाने की भी है और इसीलिये उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की योग्यता भी होनी चाहिये। यह आवश्यक नहीं है कि यह सारी योग्यता शिक्षक में हो ही, इसी तरह से सीनेट की सारी जिम्मेदारी है, हिसाब किताब की जिम्मेदारी है, रुपया मुनासिब तौर से खर्च होता है या नहीं, यूनिवर्सिटी की नीति को देखना है कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी अच्छी तरह से चलाई जाय। तो यह लाजमी नहीं है कि अध्यापकगण ही इसके ज्ञाता और जानकार बनें और बाहर वालों से इसका संबंध न हो। मेरे ख्याल से बाहर वाले जो विश्वविद्यालय के रजिस्टर्ड ग्रेजुएट हैं और जिनको राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त है वह भी इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो अपने विषय के ही क्षेत्र में रहते हैं, और उन को रहना ही चाहिये क्योंकि प्रोफेसरों का एक प्रकार से दृष्टिकोण ही यह रहता है और वह अपने विषय में इतना लीन रहते हैं कि यह अक्सर स्वाभाविक सा हो जाता है कि वे और बातों पर अच्छी तरह से दृष्टिपात नहीं कर पाते। तो इन सब बातों को देखते हुए श्री त्रिपाठी जी ने जो कहा है कि बाहर वाले लोग सीनेट में आ जायंगे, और उससे यूनिवर्सिटी का नुकसान होगा यह बिलकुल गलत है और उनका यह लांछन कि सरकार अपने हाथ में अधिकार लेना चाहती है युक्तिसंगत नहीं है। उसमें सरकार का क्या सवाल है? प्रश्न तो यह है कि आप रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स के प्रतिनिधि कितने रखेंगे और प्रोफेसर्स के कितने रखेंगे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कितने रखेंगे। बाहर वाले भी अगर होंगे तो वह सरकार के कोई खास प्रेमी नहीं होंगे। जिनको कि सरकार अपने इशारों पर चलायेगी। वही नहीं रहेंगे बल्कि वे लोग होंगे जो उस दायरे में नहीं हैं और शिक्षक नहीं हैं बल्कि जो उन विश्वविद्यालयों में पढ़े हुये हैं, वहां से निकले हुये हैं और शिक्षा में उनको विशेष रुचि है। तो इस प्रकार के संकुचित संशोधन से यूनिवर्सिटी का कोई विशेष लाभ नहीं है और जो विधेयक में रखा गया है वह बहुत ही मुनासिब है। इन शब्दों के साथ में त्रिपाठी जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, काटजू जी ने इतने अच्छे संशोधन के विरोध में जो उत्तर प्रस्तुत किया, उनके तर्क को सुनकर तो मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं क्योंकि यदि और कोई सम्मानित सदस्य इस तरह के तर्क प्रस्तुत किये होते तो हमको इतना आश्चर्य न होता।

[श्री राजनारायण]

इनको मैं बहुत दिन से जानता हूं और कभी-कभी ऐसा भी मौका मिला है कि कुछ प्रगतिशील काम में भी उन्होंने हाथ बटाया है। मगर जब इस सदन में मैं देखता हूं कि सरकारी पक्ष से जो भी विधेयक आये उसका येन केन प्रकारेण समर्थन करना और स्वागत करना ही उन्होंने अपना तरीका बना लिया है तो मुझे बड़ा दुख होता है और मैं इस दुख को प्रगट करते हुये उनसे निवेदन करता हूं कि जरा स्वस्थ शरीर उनका है तो स्वस्थ मस्तिष्क से काम लिया करें और हर समय एक बौद्धिक परतंत्रता की झलक न दिखाया करें। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं और एक कांक्रीट (वास्तविक) बात रखना चाहता हूं। रजिस्टर्ड ग्रजुएट्स होते हैं हम भी रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स हो सकते हैं किसी युनिवर्सिटी के, मगर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां की युनिवर्सिटी के बारे में अधिकांश रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स नहीं जानते। अगर यह ख्याल है कि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो जायं और वहां अपना नाम रजिस्टर्ड करा लें तो वहां की यूनिवर्सिटी के प्रबन्ध में वह ज्यादा कुशल हो जायेंगे तो यह तर्क तो उन्हीं को शोभा देता है। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किसी यूनिवर्सिटी से बी० ए० की डिग्री ले लेने के बाद भी और उनके द्वारा चुने जाने के बाद भी जो लोग चुनकर के जाते हैं वे केवल वहां पर जाकर के पार्टी पालिटिक्स ही करते हैं और जहां-जहां यूनिवर्सिटीज के प्रबन्ध में गड़बड़ी हुई है, आन्तरिक गड़बड़ी, श्रीमन्, वह शायद किसी कारणवश यहां न मानें मगर वह इसको देखेंगे तो मालूम होगा कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स से जब चुनाव का सवाल होता है तो मालूम होता है कि कोई असेम्बली का एलेक्शन भी मात हो जाय। इतनी गहरी कोशिश, इतनी गहरी कनवेसिंग और इतना ज्यादा पैसा उस पर खर्च होता है कि उसको देखकर मैं तो कई बार आश्चर्यान्वित हो गया हूं। मालूम होता है वह नहीं हुये हैं, वह तो कहते हैं कि नहीं वह तो ज्यादा जानकारी वहां के बारे में करा सकते हैं बनिस्बत उन टीचरों के जो वहां पर टीचर हैं। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि जो प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति हों, चाहे वह उस यूनिवर्सिटी के हों, टीचर्स हों या बाहर के हों अगर वह वहां रहते हैं सिनेट में उनकी बुद्धि अकेले ही रह करके बहुत ज्यादा कारगर हो सकती है बनिस्बत १० के। इसलिये इस थोथी दलील को रख करके सदन के समय को नष्ट न किया जाय। इसको अच्छी तरह से विचार किया जाय कि जो माननीय मंत्री जी ने रखा था :—

"The number of members in the services of the University or affiliated....."

श्री शिवनाथ काटजू—मैं क्या यह समझूं कि आज हमारे सेक्रेटेरिएट के जो कर्मचारी हैं वे ज्यादा जनता के निकट हैं बनिस्बत राजनारायण जी के ?

श्री राजनारायण—इसका जवाब तो मैं रोज ही दिया करता हूं और माननीय शिवनाथ काटजू जी से कहा था कि जरा वह भी जनता के नजदीक आयें और फिर उनसे निवेदन करता हूं कि वह यूनिवर्सिटी को भी जरा उसकी गहराई में जा करके, जरा बुनियादी तौर से, तह में पैठकर समझने की कोशिश करें। मैं आपको यह बताऊंगा, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने एक बात कही, मैं अपने साथी रामनारायण जी से यही बातें कर रहा था। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि एक वाइसचांसलर है, अगर हम सरकार के हाथ में ऐसा हक नहीं देना चाहते और एक वाइसचांसलर की नियुक्ति ५ वर्ष के लिये जब हम करते हैं सरकार के द्वारा ही तो फिर उसी वाइसचांसलर को आगे रहने का मौका दें और वह सरकार की कृपा दृष्टि के लिये लालायित रहे और अपनी गति-विधि को अवसरवादिता में परिणत करे। हम उनसे कह रहे थे कि माननीय मंत्री जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया उनके तर्क में कुछ दम है। फिर हमने अपने साथियों के तर्क को सुना तो हमने कहा कि सरकार को अन्ततोगत्वा यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानूनी तब्दीली कर सकती है। अगर ३ वर्ष के समय को ५ वर्ष बना सकती है तो ५ वर्ष के समय को ७ वर्ष भी बना सकती है। तो अगर "आर्डिनरिली" शब्द भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं काटजू साहब से जानना चाहता हूं कि इसको ही पढ़ा होता।

"The number of members who may be in the service of the University or an affiliated college shall at no time exceed the number of other members."

यह क्यों रखा गया ? इसलिये रखा गया कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स नियंत्रण करने में पटु होते हैं ? इसलिये रखा गया कि जो सरकार के द्वारा जितने और नामिनी होंगे या जो नियुक्त किये जायेंगे, एक्स आफिशियो होंगे वह ज्यादा पटु होते हैं ? अगर इस धारणा से, जिसको कि मैं भ्रम की धारणा समझता हूं, ऐसी धारणा के वशीभूत हो कर हमारे काटजू साहब ने इस विधेयक द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था का समर्थन किया तो वह हमारे साथ हो लें। उन्होंने जो कुछ कहा उसके विरोध में अगर न जायं तो जब मौका आये तो हमारे साथ हाथ उठायें। म सही बात कहना चाहता हूं और अपने सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी कोई बात रखी जाय तो वह इस बात को ध्यान में रखें कि हम भी देश को उठाना चाहते हैं। हम भी अपने देश में शिक्षा व्यवस्था को एक नींव पर रखना चाहते हैं और आज तक सरकार की जो नीति रही है शिक्षा व्यवस्था में वह पूर्णतया असफल रही है और इतनी असफल रही है कि इस लखनऊ कांड के देखने के बाद भी हमारे माननीय काटजू साहब जब कहते हैं कि एक बाहर का आदमी आ कर के ज्यादा अच्छे तरीके से नियंत्रण कर सकता है, परिस्थितियों पर काबू पा सकता है तो हमें आश्चर्य होता है। बाहर का आदमी परिस्थितियों पर काबू पा भी सकता है और विषम परिस्थिति आने पर भाग करके कहीं और भी शरण ले सकता है और परिस्थिति को खराब भी कर सकता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के प्रभाव पर ये बातें असर करती हैं। तो जहां पर किसी का यह मापदंड हो, जहां यह नहीं जान सके कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स कहां चुन कर आयेंगे, वह किस तरीके से कार्य क्रम चलायेंगे तो वहां डेमाक्रैसी का सवाल आता है, चाहे वह इंडस्ट्रियल डेमाक्रैसी हो या एजुकेशनल डेमाक्रैसी हो, चाहे एजुकेशनल एटैनामी हो। तो जो एक सिद्धांत की बात है उसकी शरण में हम जाते हैं और उसी एटैनामी को ले करके उसी के अन्तर्गत हम व्यवस्था को करें और दूसरे की सम्मति भी लें।

क्या काटजू साहब यह बता सकते हैं कि १२५ मेम्बर सेनेट में रहेंगे जिनमें से ६३ वहां के टीचर्स रहें और ६२ बाहर के लोग रहें तो बाहर के ६२ लोग यदि कोई अच्छी बात रखेंगे तो महज इसलिये कि ६३ टीचर्स हैं वह सारे टीचर्स एक जगह कलेक्ट (एकत्र) हो जायंगे ? ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई एक भी उदाहरण हमारे काटजू साहब देने के लिये तैयार हैं या माननीय शिक्षा मंत्री देने के लिये तैयार हैं ? इन बेचारे टीचरों को हर समय आज तक जिस तरह की सरकार की नीति है उसमें हर समय सरकार की कृपा दृष्टि पर पलना है। अगर उनके रहते हुये भी सरकार नहीं चाहे तो सरकार की हां में हां मिलाने के लिये बहुत से तैयार हो जायेंगे। एक भी उदाहरण, श्रीमन्, काटजू साहब इस सदन के सामने नहीं प्रस्तुत कर सकते जिसमें कि तमाम के तमाम टीचर किसी एक पार्टिक्युलर इश्यू (खास पहलू) पर एक तरफ हो गये हों और तमाम के तमाम बाहरी मेम्बर किसी सिनेट या कौंसिल के एक तरफ हो गये हों। इसलिये ऐसा तर्क जो काटजू साहब ने प्रस्तुत किया वह मैं समझता हूं कि युक्तिसंगत नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब ऐसी बात नहीं है तो वहां की डिमाक्रैसी के नाम पर आंतरिक व्यवस्था को ठीक तरीके से रखने का उनके अन्दर भरोसा उत्पन्न होने के नाम पर हम क्यों एक ऐसी व्यवस्था कर दें कि टीचर्स बाहरी मेम्बरों से कम न हों।

माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी के संशोधन में केवल इतनी ही तो मांग की गयी है कि उस अफिलिएटेड कालेज के जितने टीचर्स हों उनकी संख्या बाहरी सदस्यों की संख्या से कम न हो। इतना ही इनका संशोधन है "शैल नाट बी लेस दैन"। तो इतना साधु संशोधन है और इस साधु संशोधन को भी हमारे काटजू साहब एक दूसरी बुद्धी से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है आप तार्किक हैं, आपके पास बुद्धि है। परन्तु आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग कीजिये। हर समय बुद्धि का दुरुपयोग ही क्यों आप सदन में करते हैं। इस लिये श्रीमन्, मैं आपके जरिये यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी जरा इस बात को गहराई से समझें। अगर वे एक आंतरिक व्यवस्था को बनाये रखने की क्षमता समझते हैं कि अध्यापकों में हो सकती ह तो इस ६३ और ६२ के फर्क से कोई वस्तुस्थिति में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उसको व्यावहारिक दृष्टि से भी देखेंगे तो व्यावहारिक दृष्टि से भी कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता

[श्री राजनारायण]

है। मैं यहां तक कहता हूं कि अगर ६२ आदमी हैं तो वे ६२ आदमी, जो बाहर के रहेंगे, किसी इश्यू (बात) पर एक साथ जुट जायेंगे ऐसी भी संभावना नहीं है। किसी-किसी समय, किसी-किसी परिस्थिति में कहीं जाकर ऐसा मिलन हो सकता है, यह भी असंभव सी बात है। कभी ऐसा हुआ नहीं है। इतिहास इसका साक्षी नहीं है। माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास साक्षी नहीं है, इसका मतलब मैं यह जानते हुये कहता हूं कि हिस्ट्री रिपीट तो करती है, लेकिन मार्च भी करती है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुये मैं इस बात की अपील करूंगा कि जब आंतरिक व्यवस्था को बनाये रखने में कोई व्यावहारिक दृष्टिकोण से फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वहां की आटोनामी को सुरक्षित रखने के लिये श्री रामनारायण के संशोधन को माननीय मंत्री जी को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री हरिगोविन्द सिंह---काटजू साहब के विरोध के बाद कोई आवश्यकता अधिक बोलने की नहीं मालूम होती। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामनरायण त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की खुशी हुई कि माननीय मंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे हमारे संशोधन का विरोध कर सकें। उन्होंने काटजू जी की दलीलों का सहारा लिया जिनको हमारे नेता जी ने अच्छी तरह से काट दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के विचार में जो शंकायें और कल्पनायें उठ सकती हैं उन्हीं के संबंध में मुझे कहना है। आखिर इस आगरा युनिवर्सिटी विधेयक में सिनेट के क्या-क्या अख्तियारात हैं, इस पर गौर किया जाय। पहली बात काटजू साहब ने हिसाब-किताब के बारे में कही। इस युनिवर्सिटी बिल का जो खंड (१२) है उसकी धारा (c) में जो नई बनाई गयी है सिनेट का काम यह जरूर रखा गया है :

"(c) consider and pass resolutions of the annual report, the annual accounts and the financial estimates ;"

वह रिजोल्यूशन कर सकती है, पास कर सकती है और एस्टिमेट्स पर रिजोल्यूशन कर सकती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसी विधेयक में दूसरी जगह सरकार ने पूरा अधिकार ले लिया है और वह एक्जिक्यूटिव कौंसिल या सिनेट को आदेश दे सकती है कि वह अपना हिसाब किताब सरकारी इंस्पेक्शन के लिये तैयार करे यदि उस हिसाब किताब की आडीटर्स के जरिये सरकार जांच कराये। उसके चेक के लिये एक्जीक्यूटिव कौंसिल है, जोकि सिनेट से अलग है। अगरचे इस विधेयक के यह शब्द जरूर हैं---

"The Senate shall be the Supreme Governing Body of the University and shall have power to review the acts of the Executive Council (save whom the Council has acted in accordance with the powers conferred on it under this act, the Statutes, Ordinances, or the Regulations.)"

इसके मानी साफ हैं कि सिनेट के सुप्रीम गवर्निंग बाडी होने के बावजूद भी वह एग्जीक्यूटिव पर पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती है क्योंकि इस ऐक्ट में अलग से एग्जीक्यूटिव कौंसिल को भी पूरे अख्तियार कुछ मानों में दिये गये हैं। जहां तक सिनेट का सवाल है, ऐसा भी तो नहीं है कि इलाहाबाद युनिवर्सिटी की तरफ से कोर्ट की जगह पर सिनेट काम कर? वाइसचांसलर की नियुक्ति पर यह भी अधिकार सरकार ने ले लिया है सिनेट से और वह इस काबिल नहीं है कि वह वाइसचांसलर की नियुक्ति कर सके। हालांकि उसमें सरकार ने काफी मेम्बर रखे हैं जैसे ग्रेजुएट्स, वाइसचांसलर आफ दि अदर युनिवर्सिटीज, शिक्षा मंत्री जी स्वयं भी हैं और उसकी मदद के लिये डाइरेक्टर आफ़ एजुकेशन भी हैं, ऐसे-ऐसे विद्वानों के होते हुये भी वहां, उसे ऐसा काबिल नहीं समझा कि वह वाइसचांसलर की नियुक्ति करे। एग्जीक्यूटिव कौंसिल के हाथ में बहुत कुछ दिया है लेकिन फिर भी फाइनल एथारिटी चांसलर को बनाया

है। तो इस किस्म से इस प्रांत के शिक्षा मंत्री महोदय यह कहते हैं कि उनके कार्य पर विश्वास किया जाता है और दूसरी तरफ सरकार यह विश्वास नहीं करती कि वह सब काम कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसे विद्वान्, समझदार और पढ़े लिखे लोगों को भी अगर यह समझा जाय कि वे मिसमैनेजमेंट कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा दिन नहीं आयेगा कि जब हिन्दुस्तान में सुधार हो सके। ऐसी गल्तियां तो मिनिस्ट्री भी करती हैं और अगर आज पावर आफ रिकाल होता जनता को, उपाध्यक्ष महोदय, उसको इस बात का अधिकार होता कि जो जिस कांस्टीचुएंसी से आया है, अगर रिप्रेजेंटेशन आफ दी पीपुल्स ऐक्ट में ऐसा प्राविजन होता कि उनको वापस बुला लिया जाय तो मैं समझता हूं कि आज ३८९ मेम्बरों में केवल दस पांच ही यहां रह जाते। लेकिन वह अधिकार तो नहीं है। गल्तियां की जाती हैं और उपाध्यक्ष महोदय, आप देखते हैं कि पूरी प्रोसीडिंग्स में ऐसी गलतियां भरी पड़ी हैं। जनता का लाखों करोड़ों रुपया पानी में इस तरह से बहा दिया जाता है। इसका कोई हिसाब किताब पूछने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को बतला सकता हूं कि ट्रैक्टरों के खरीदने की सरकार ने व्यवस्था की .....

श्री उपाध्यक्ष—इतने डीटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इसलिये मिसाल देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी निरुत्तर हो जायं। ट्रैक्टर आर्गेनाइजेशन के संबंध में करीब १ करोड़ रुपये के ट्रैक्टर खरीद लिये गये। ४ साल के बाद सरकार को यह पता चला कि सिर्फ ४०, ४५ ट्रैक्टरों की जरूरत है, तो सरकार ने बड़ी उदारता से इन ट्रैक्टरों को अब तकावी पर देना शुरू किया है और तकावी पर लेने के लिये लोग ढूंढे जा रहे हैं। इस तरह से करोड़ों रुपया जनता का बरबाद हो गया। एक और मिसाल है उपाध्यक्ष महोदय, मिर्जापुर में राबर्ट्सगंज सीमेंट फैक्ट्री की स्कीम चल रही है। वहां शेयरर साहब रोज-रोज स्कीमें बनाते थे और बदलते थे।

शिक्षा के संबंध में भी आप देखते हैं कि पहले तो यह हुआ कि जितनी ज्यादा से ज्यादा पापुलेरिटी जनता में प्राप्त कर ली जाय उतना ही अच्छा है। न मालूम कितने स्कूल खोल दिये गये उसके बाद रीआर्गेनाइजेशन स्कीम चली और उस पर फिर रीट्रेंचमेंट होने लगा। वहां भी अव्यवस्था का सवाल है।

श्री शिवनारायण—मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे लायक दोस्त बिल पर बोल रहे हैं या गन फैक्टरी पर बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इतना अवश्य कहूंगा कि विषयान्तर हो रहा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—मैं तो यह दलील दे रहा था कि कांग्रेस पार्टी इतनी नाकाबिल होने पर भी मौजूद है। यह तो एक एनालौजी है। इसको मैं दुहराना नहीं चाहता। इसके माने यह नहीं हैं कि उन पर अविश्वास किया जाय। हमारा बस चलता तो हम करते। जनता भी बेकाबू है और हम भी बेकाबू हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आगे हम देखें कि सीनेट के क्या अधिकार हैं —

"In particular and without prejudice to the foregoing provision the Senate may :—

(*a*) make statutes, amend and repeal them ;

(*b*) consider and cancel ordinances ;

(*c*) consider and pass resolutions on the annual report the annual accounts and the financial estimates ;

(*d*) consider and pass resolutions on any matter of general policy connected with the University."

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

यूनीवर्सिटी के हिसाब किताब में ट्रिपल कंट्रोल है। सरकार इसको सीधे कर सकती है। एक्जीक्यूटिव कौंसिल की जिम्मेदारी हो और सीनेट भी जिम्मेदार हो। यूनिवर्सिटी आर्डीनेंस बना सकती है। स्टैच्यूट के बारे में दो तीन उद्धरण दे देना चाहता हूं। खंड २३ में धारा २६ जो नई बनाई जा रही है उसमें इस प्रकार है कि —

"(*b*) the election, appointment and continuance in office of the members of the said Authorities of the University and the filling of vacancies and all other matters relative to those Authorities for which it may be necessary or desirable to provide ;

(*c*) the appointment, powers and duties of the officers of the University ;

(*d*) the constitution of a pension or provident fund and the establishment of an insurance scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and of affiliated colleges ;

(*e*) the conferment of honorary degrees ;

(*f*) the withdrawal of degrees, diplomas, certificated and other academic distinctions ;

(*g*) the establishment, combination, sub-division and abolition of Faculties ;

(*h*) the Condition under which college and other institutions may be admitted to the priveleges of the university and be liable to the withdrawal of such priveleges."

उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकार है नियम बनाने का। क्या यह आशा हो सकती है कि सब लोग मिल कर रिजोल्यूशन के जरिये से ब्लैक एंड ह्वाइट में भी गड़बड़ी करें। एफ० ए० के आदमी को एम० ए० की पढ़ाई का इन्तजाम कर दें। शिक्षा मंत्री जी हिसाब भी देख सकते हैं। हमारे प्रोटेस्ट के बावजूद पहले एक्जीक्यूटिव कौंसिल को अख्तियार देने चाहिये थे। वह पहले देख लेती। इसके बाद सरकार अपना हाथ डालती। यह सब अविश्वास की भावना है। चैक बैलेन्सेज पर माननीय मंत्री जी का कंट्रोल होना चाहिये था। अब आर्डिनेंस के बनाने का अधिकार है इसमें भी दो चार उद्धरण दे देना चाहता हूं।

"27-A. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for any matter permitted by this Act or the Statutes to be provided for by Ordinanes and for any other matter, including the giving of religious instruction, which the Executive Council considers it advisable to provide for by Ordinances."

रिलीजन के बारे में वह क्या कर सकते थे? उसमें कालेजेज वग़ैरह के प्रिंसपल्स ह वह क्या गड़बड़ी करेंगे? क्या किसी के रिलीजन के कन्वर्जन का रूल बना देंगे? वह तो सुव्यवस्था कायम करना चाहेंगे।

दूसरी उपधारा यह है कि —

"(2) Without prejudice to the generality of the power conferred by sub-section (1) the Ordinances shall provide for the following matters, namely—

(*a*) the admission of students to the University and their enrolment as such ;"

स्टूडेण्ट्स के बारे में क्या करेंगे ? क्या वह किसी को जो एफ० ए० पास नहीं है उसको बी० ए० में दाखिल कर लेंगे ? मेरी समझ में नहीं आता है कि शिक्षा मंत्री जी को क्या आशंका है।

"(*b*) the conditions under which students shall be admitted to degree and other courses and to the examinations of the University and shall be eligible for degrees and certificates."

इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें सब लोग मिल कर कांसपिरेंसी करें और ऐसी व्यवस्था पैदा हो जाय।

"(*d*) the remuneration and allowances, including travelling and daily allowances, to be paid to examiners, tabulators, inspectors and other persons employed on the business of the University."

और भी यूनिवर्सिटी के नामिनी हैं। कोई एक्स्ट्राआर्डिनरी क़दम उठायेंगे तो माननीय शिक्षा मंत्री जी तो हैं ही।

"(*e*) the number, qualifications, emoluments and the terms and conditions of service of teachers of the University ."

टीचर्स आफ दि यूनिवर्सिटी के बारे में हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हो। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री जी यह जानते हैं कि उन्होंने खुद ही ऐसी व्यवस्था की है कि इस ऐक्ट में जो आगे चल कर आयेगी जिसमें उन्होंने रिव्यू की पावर्स ली हैं। इतनी स्वीपिंग पावर्स ली गयी हैं इस ऐक्ट में कि जो पुराने टीचर्स हैं उनका फिर सेलेक्शन कमेटी रिव्यू करेगी और उनमें से बहुत निकाले जायंगे। हो सकता है कि जिनको ज्यादा तनख्वाह मिल रही हो उनकी तनख्वाह भी कम की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जितनी धारायें पढ़ता हूं तो मालूम होता है कि एक ऐसा दोज़ख़ बना हुआ है जिसको माननीय शिक्षा मंत्री जी फ़रिश्ता बन कर सुधारने का सतत् प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे अविश्वास के वातावरण में कोई संस्था चल नहीं सकती है।

अब रेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। इसमें यह दिया हुआ है--

"28. (1) The authorities and the Boards of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances.

(*a*) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum ;

(*b*) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be prescribed by Regulations ; and

(*c*) providing for all other matters solely concerning such authorities and Boards as are not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances."

क्या गड़बड़ी हो सकती है; सीनेट क्या कर सकता है ? अगर ये ६३ से ज्यादा आदमी सब के सब नालायक़ हैं तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, जिनको चाहें उनको भेज दें या किसी ख़ास बिरादरी से भेज दिये जायं जिसको माननीय शिक्षा मंत्री ठीक समझते हों।

श्री हरगोविन्द सिंह--एक तरफ से पूरा बिल पढ़ जाइये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--इसका स्पष्टीकरण करना मेरा कर्त्तव्य था। माननीय शिक्षा मंत्री के आदेश पर तो मैं बैठ नहीं सकता जब तक आप कोई आदेश न दें। मैं फिर माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे फिर से इस पर ग़ौर करें, इतने लोगों पर अविश्वास करना कि वे इतने तिकड़मबाज होंगे, इतने षडयंत्र करेंगे कि जिससे

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

शिक्षा व्यवस्था उलट जायगी यह ठीक नहीं है। ग़लती हो सकती है और ग़लती करने का सिद्धान्त डेमोक्रेसी में माना जाना चाहिये। यह इतना आधारभूत सिद्धान्त है कि इस पर सरकार हमेशा क़दम उठाती रही है, हमेशा परेशानी उसको रही है कि सत्ता का केन्द्रीयकरण किया जाय। जब-जब ऐसे अवसर आते हैं तो आपने देखा होगा कि सरकार गांधी जी का नाम लेती है, जब चुनाव होंगे तो गांधी जी का नाम लिया जायगा और सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करने की बात कही जायगी। लेकिन जहां चुनाव खत्म हुआ कि सत्ता का केन्द्रीयकरण करने की सोची जाने लगती है। इतने डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, जिस सब्जेक्ट में देखिये उसी में एक्सपर्ट हैं। इतने अविश्वास का वायुमंडल कम से कम ऐसे क्षेत्र में जिसका सम्बन्ध विश्वविद्यालयों से हो नहीं पैदा करना चाहिये। आखिर इस विधान सभा के बारे में शिक्षा के विशेषज्ञ लोग क्या राय क़ायम करेंगे? अगर यह धारा इसी सूरत में इस विधान सभा के माननीय सदस्य मान लेते हैं तो आप आगरा यूनिवर्सिटी के टीचर्स और डीन आफ फैकल्टी आफ आर्ट्स पर ही नहीं बल्कि और भी यूनिवर्सिटी के लोगों पर अविश्वास करते हैं। एक आशंका हो सकती है। सरकार का रवैया बिगड़ गया तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ले लिया, प्रताप कालेज को ले लिया, जरा स मौका मिला तो बलिया कालेज को भी ले लिया और वहां के लिये उनको एक ही आदमी मिला। उसके लिये आप लिखते हैं कि आप बड़े योग्य व्यक्ति हैं, आपको यह कालेज बहुत अनुगृहीत है, लेकिन आप यहां न रह कर सतीश चन्द्र कालेज, बलिया में चले जाइये। यह कहां का न्याय है? एक ही आदमी प्रताप कालेज के लिये तो काबिल नहीं है और बलिया के कालेज के लिये काबिल हो जाता है। यह सरकार की व्यवस्था है। इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और मैं समझता हूं कि इसके लिये सरकार के पास कोई जवाब नहीं हो सकता। इसलिये अब मैं आशा करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी मेरे संशोधन को मान लेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह—इस सम्बन्ध में मैं केवल आचार्य नरेन्द्र देव जी की राय बता देना चाहता हूं। उन्होंने ८० में से १० टीचर रक्खे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ११ में धारा १४ की उपधारा (b) की दूसरी पंक्ति के शब्द "exceed" के स्थान पर "be less than one half" रख दिया जावे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) वियेयक, १९५३ तथा उत्तर प्रदेश विक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—मैं सदन को दो सूचनायें देना चाहता हूं—

१—१८ दिसम्बर, १९५३ को होने वाली विधान सभा की बैठक में प्रश्नोत्तर के बाद ही न्याय मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) विधेयक, १९५३ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

२—१८ दिसम्बर, १९५३ को होने वाली विधान सभा की बैठक में प्रश्नोत्तर के बाद ही वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश विक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर प्रवर समिति की रिपोर्ट को विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वर्तमान कार्यसूची में

सम्मिलित मदों के उपरान्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित उक्त विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी मुखालिफत करने का अख्तियार तो हमको होगा ही?

श्री उपाध्यक्ष—जब वह प्रस्तुत होगा तब जैसा आप मुनासिब समझें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१७ दिसम्बर, १९५३।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१०३ एल० ए०—१९५४—८५०।